माला, खंड 64, अंक 11, बुधवार, 25 अगस्त, 1976/ भाद्र, 1898 (शक)

h Series, Vol. LXIV, No. 11, Wednesday, August 25, 1976/Bhadra 3, 1898 (Saka)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 276 (1)
4 XI 1976

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 64 में अंक 11 से 17 तक हैं
Vol. LXIV contains Nos. 11 to 17]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणो आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, बुधवार, 25 अगस्त, 1976/3 भाद्र, 1898 (शक)

No. 11, Wednesday, August 25, 1976/ Bhadra 3, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 205, 208, 209 और 211 से 213	Starred Questions Nos. 201 to 205, 208, 209 and 211 to 213	1—21
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	Short Notice Question No. 1	21—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	Written Answers to Questions—	26—123
तारांकित प्रश्न संख्या 206, 207, 210 और 214 से 221	Starred Questions Nos. 206, 207, 210 and 214 to 221	26—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 से 1490, 1490क, 1490ख, 1490ग और 1491 से 1600	Unstarred Questions Nos. 1410 to 1490, 1490A, 1490B, 1490C and 1491 to 1600	30—123
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	123—27
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	127,-28
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति--	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifty-Second Report—Presented	128
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति--	Committee on Government Assurances—	
17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Seventeenth Report—Presented.	128
बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक-- पुर:स्थापित	Child Marriage Restraint (Amendment) Bill—Introduced.	128

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	Labour Provident Fund Laws (Amendment) Bill—Introduced	129
श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Labour Provident Fund Laws (Amendment) Ordinance, 1976	129
मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक--	Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Bill—	129-37
विचार के लिये प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	129—31
श्री पी० के० देव	Shri P.K.Deo	131
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	132
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	133-34
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	134
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	134
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	134-35
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	135—37
खण्ड 2 से 25 और 1--	Clauses 2 to 25 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव--	Motion to pass—	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	137
लक्ष्मीरतन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक--	Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking-over of Management) Bill—	138—47
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya	138
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	138-39
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	140
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	140-41
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani	141
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R.Shukla	142
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	142
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C.Daga	142-43
श्री सी० एम० स्टीफ़न	Shri C.M.Stephen	143-44
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	144
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	144-45

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
खण्ड 2 से 17 और 1—	Clauses 2 to 17 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya . .	
धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) निरसन विधेयक—	Dhoties (Additional Excise Duty) Repeal Bill—	147—150
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya . .	147-48
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha . . .	148
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Barman	148-49
श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	Shri K.M. 'Madhukar' . . .	149
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	149
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya . .	150
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House . . .	150
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—	Essential Commodities (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	151
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	151
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour discussion—	152—56
महंगाई भत्ते की पहली किश्त की अदायगी	Payment of First Instalment of Impounded D.A.	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderajit Gupta . . .	152-53
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	153-54
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . .	154-55
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	155
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	155
डा० रानेन सेन	Dr. Ramen Sen.	155

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 25 अगस्त, 1976/3 भाद्र, 1898 (शक)

Wednesday, Avgust 25, 1976/Baadra, 3 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन

*201. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1976 में राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां

(ख) निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए थे :–

(1) विद्युत परियोजनाओं में लगने वाली भारी पूंजी को देखते हुए तथा यह समझते हुए कि देश के सभी भागों में जल विद्युत एवं कोयला साधन सामान रूप से उपलब्ध नहीं हैं, विद्युत के बारे में योजना बनाने में क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाए जाने का समर्थन किया गया। छठी योजना के लिये नयी परियोजनाओं को शुरू करने की शीघ्र आवश्यकता पर सम्मेलन ने बल दिया।

(2) राज्य बिजली बोर्डों के प्रबंध का व्यवसायीकरण करने तथा समुचित संस्थागत व्यवस्था शुरू करके विशेषज्ञता के स्तरों में वृद्धि करने की आवश्यकता को दोहराया गया।

(3) वर्ष 1976–77 के दौरान 2006 मेगावाट की नयी उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य स्वीकार किया गया ।

(4) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बड़े पैमाने पर आन्तरिक वित्तीय साधन जुटाने की विशेषकर पारेषण और वितरण में होने वाली हानियों को कम करके, उत्पादन की लागत तथा ऊपरी खर्चों को कम करके, ये साधन जटाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया ।

(5) विद्युत सप्लाई की क्वालिटी में तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि विद्युत उत्पादन में हुई उन्नति का पूरा पूरा लाभ अर्थ व्यवस्था को मिल सके ।

(6) विद्युत प्रणालियों को शीघ्र समेकित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि उत्पादन क्षमता के प्रयोग में अधिक कुशलता लाई जा सके ।

(7) बजट से इतर श्रोतों से पर्याप्त निधियां प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों को जिन सीमाओं तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उनको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि विभिन्न श्रोतों से निधियों की उपलब्धता को सरल करने की तथा बढ़ाने की समस्या का विस्तार से पुनरवलोकन किया जाए ।

सम्मेलन ने 1975-76 के दौरान राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति की भी समीक्षा की तथा देश में बिजली के सुगमता से उपलब्ध होने तथा बिजली के बढ़े हुए उत्पादन के प्रति संतोष व्यक्त किया ।

Shri Rajdeo Singh : Sir, seven decisions were taken in the recently held State Power Ministers' Conference and all the seven decisions are very important.

According to the first decision, a regional approach to power planning has to be adopted in view of the fact that hydro-electric and coal resources are not available uniformly throughout the country. I, therefore, want to know whether the present power-shortage can be overcome if a national power grid is created ?

Shri K. C. Pant : Sir, the national grid is already being created and rigional grids have also come off fairly well and new transmission and distribution lines are being aligned there with. That is to say that in one respect power can be transmitted from one corner of the country to another, but its connections are so weak that they cannot be called national grids. Therefore, a national grid is taking shape gradually and as and when these lines are strengthened they would be able to transmit more load. Formation of a national grid is a evolutionary process which continues even today.

Shri Rajdeo Singh : The fifth decision mentioned in the Statement is very vital. It is as follows :

"The need for improving the quality of power supply and the service to the consumers to enable the economy to benefit fully from the advances made in the power generation was stressed."

Sir, this decision is quite good but in Eastern U.P. drought conditions are prevailing. People have sown some paddy and where tube-wells and canal irrigation was available, power connections were snapped for non-payment of as little as Rs. 10/- as power dues. So, whether the hon. Minister would direct the Electricity Staff not to snap these power connections and they should rather behave in accordance with the times. How far it is justified to snap power connections for non-payment of mere Rs. 10/- or Rs. 20/- only ? Whether the hon. minister would hold talks with the State Government in this regard ?

Shri K.C. Pant : Yes, Sir, I will have a talk with the State government as has been suggested by the hon. Member. But when quality of power is generally stressed, payment of dues to the Electricity Board should also be stressed upon. This obligation lies on both sides.

श्री राम सहाय पाण्डे : मेरे विचार में राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों का यह सम्मेलन पहली बार हुआ है जिसमें धन की कठिनाई पर गम्भीरता से विचार किया गया है और विभिन्न स्रोतों से धन की उपलब्धता की समस्या को सरल बनाने और बढ़ाने की समस्या पर व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता समझी गई है ।

मैं जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं पर कब चर्चा की गई और उपलब्धता के स्रोत के बारे में क्या निर्णय किया गया ? ऊर्जा के मामले में अपने दायित्व निभाने के लिए अधिक धन आप को कहां से मिलेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कहना उचित नहीं है कि गम्भीरता से विचार करने के लिए यह सम्मेलन पहला है .....

श्री नरेन्द्र कुमार सात्वे : आशा है कि यह सम्मेलन अन्तिम नहीं होगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि यह एक गम्भीर सम्मेलन था ।

धन की उपलब्धि बढ़ाने के बारे में, जिसे वास्तव में बजट-बाह्य वित्त कहा जाता है और हम चाहते हैं कि अन्य सम्भावनाओं की खोज की जाये क्योंकि प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के समक्ष संसाधनों की समस्या है । विद्युत उत्पादन और पारेषण बहुत मंहगा हो गया है और जहां तक हम इन संसाधनों को बढ़ाने के उपाय ढूंढ पायेंगे हम करेंगे । हम राज्यों की भी सहायता करना चाहेंगे । इसलिए एक छोटा ग्रुप बनाया जा रहा है । जो वित्त मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ परामर्श करके इन समस्याओं को हल करेगा ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय जानते हैं कि उन संसाधनों के मामले में, जिनसे बिजली पैदा होती है, देश में काफी असंतुलन है । दक्षिणी क्षेत्र में विशेषकर जिस राज्य से मैं आया हूं, उसमें हम लगभग पूर्णरुपेण पनबिजली पर निर्भर है जो वर्षा पर आधारित है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य में कोई तापीय बिजलीघर बनाने का निश्चय किया है या उसका विचार अन्य प्रकार से गैर-पनबिजली संसाधनों को दक्षिणी क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने का है, क्योंकि केवल पनबिजली योजनाएं बढ़ाने से बिजली सप्लाई में स्थायित्व और निरन्तरता नहीं आयेगी जो कृषि और उद्योग दोनों के लिए आवश्यक है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में तीन सम्भावनाएं हैं । एक कोयले की, दूसरी तेल की, यदि वह काफी और निकट ही उपलब्ध हो और तीसरी आणविक शक्ति की ।

पूरे दक्षिणी क्षेत्र में, कोयला आन्ध्र में, लिगनाइट तमिलनाडु में उपलब्ध है परन्तु कर्नाटक में दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है और न हीं दुर्भाग्यवश तेल ही उपलब्ध है । आणविक बिजली घर बनाये जा सकते है उनके लिए कुछ स्थानों का चयन समिति द्वारा चयन किया गया है परन्तु दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे बिजली घर के स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । इस सब को देखते हुए वास्तविक समस्या यह है कि कर्नाटक में कुछ बहुत अच्छे स्थान हैं जहां पनबिजलीघर बनाए जा सकते हैं जो सबसे सस्ती और स्वच्छ बिजली कहलाती है । क्या वह तापीय बिजली बनाना चाहेंगे जिसके लिये उन्हे बंगाल और बिहार जैसे दूरस्थ स्थानों से कोयला

लाना पड़ेगा या क्या वह अपने पनबिजली साधनों का विकास करना चाहेंगे। यह एक कठिन निर्णय है जो उन्हे सूना होगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में दिया गया यह सुझाव स्वागत योग्य है जिसमें कि ऊर्जा आयोजन के प्रति क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है।

जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि तापीय तथा पनबिजली के मामले में देश में कोई समरूपता नहीं है और दोनों में इस प्रकार समावयस्थापित करना होगा जिससे कि पाषाण आदि में हानि उठाए बिना अधिकतम बिजली कैसे प्राप्त की जाये और क्योंकि आंन्ध्र प्रदेश में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है इसलिये क्या वहा एक बड़ा तापीय बिजली घर बनाने के लिए कोई निर्णय किया गया है, विशेषकर कोयला क्षेत्र में ही अर्थात कोठागुडम में जहां बिजली मद्रास और कर्नाटक जहां भी कमी हो सप्लाई की जा सकती है जैसा कि ऊर्जा मन्त्रियों ने निर्णय किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में बड़े तापीय बिजलीघरों के स्थान पर विचार नहीं किया गया था। मैंने अभी बताया कि आन्ध्र में कोयला और तमिलनाड में लिग नाइट उपलब्ध है और इस प्रकार दोनों राज्यों में कच्चा माल उपलब्ध है। दोनों में से हमें एक को चुनना है।

श्री सैयद अहमद आगा : विवरण के अनुसार वर्ष 1976-77 में नई बिजली की उत्पादन क्षमता का 2,000 मैगावाट का लक्ष्य है : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे राज्य में उड़ी पन-बिजली योजना को स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह पनबिजली योजना दी गई सुची के अनुसार 1977 में पूरी नहीं होगी। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि क्या उस पर विचार हुआ था या नहीं। इस सूची में तो उन्हीं परियोजनाओ का उल्लंख है जो 1977 में पूरी की जायेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस सभा में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पर अक्सर चर्चा होती रही है। ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण निर्णय किया गया है कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऊर्जा उत्पादन का आयोजन सन्तुलित ढंग से हो। राष्ट्रीय ग्रिड किसी एक क्षेत्र की कमी पूरी करने और किसी दूसरे क्षेत्र में अक्षिम बिजली कमी वाले क्षेत्र को देने के लिये है। इस को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1976-77 के लिये 2,600 मेगावाट के लक्ष्य में वर्ष 1976-77, 1977-78 और आगे के वर्षो के लिये देश की आवश्यकताओं का ख्याल रखा गया है या क्या यह लक्ष्य केवल 1976-77 वर्ष के लिये ही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 2,600 मेगावाट बिजली में तापीय और पनबिजली के के अलावा आणविक स्रोतो से उत्पन्न बिजली भी शामिल है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें केवल तापीय और पनबिजली ही शामिल है। हमारे यहां पन और तापीय चालू नहीं दोनों प्रकार की बिजली योजनायें है। वर्ष 1976-77 में कोई भी परमाणु बिजलीघर चालू नहीं होने वाला है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह मोटे तौर पर सरकार का ही दृष्टिकोण है। हम कमी वाले क्षेत्रो को अधिकता वाले क्षेत्रों से बिजली सप्लाई करने का प्रबन्ध करते है। इससे कुल मिलाकर पूरा देश बिजली के मामले में आत्म निभर हो जाना चाहिये। जहां तक लक्ष्य का सम्बन्ध है इ से परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर निश्चित किया जाता है। की गई प्रगति को और तेज करके 2,600 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

वस्तुओं की बिक्री पर फुटकर विक्रेताओं के लाभ की मात्रा

*202. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फुटकर विक्रेताओं के लिये वस्तुओं की बिक्री पर लाभ की मात्रा निर्धारित करने का है ;

(ख) क्या इस मात्रा के निर्धारित न किये जाने के कारण ही खरीददारों को वस्तुओं के थोक मूल्य कम हो जाने पर भी कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या तंत्र बनाया जा रहा है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : अब तक भारत सरकार ने कुछ नियंत्रित वस्तुओं को छोड़कर खुदरा विक्रेताओं के लिये लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिये कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। तथापि, सरकार को इस बात की जानकारी है कि कभी-कभी विशिष्ट वस्तुओं के थोक मूल्यों में कमी होने पर भी उन के खुदरा मूल्य कम नहीं होते और खुदरा विक्रेताओं को लाभ की मात्रा बहुत अधिक रहती है। इसलिये सरकार चुनी वस्तुओं पर अलग-अलग रूप से ध्यानपूर्वक विचार करना चाहती है। कुछ राज्यों ने इस बारे में पहले ही कायवाही आरम्भ कर दी है। उदाहरण के लिये, दिल्ली प्रशासन ने मूल्य समीक्षा समिति बनाई है, जिसने चुनी आवश्यक वस्तुओं के लिये लाभ की मात्रा निर्दिष्ट की है।

श्री आर० एन० बर्मन : मैं जानना चाहता हूं कि किन कतिपय नियन्त्रित वस्तुओं पर खुदरा दुकानदारों के लाभ की मात्रा निश्चित की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : दिल्ली में सभी प्रकार की दालों, बेगमी चावल और काले चने के थोक और खुदरा मूल्यों में दस प्रतिशत का अधिकतम अन्तर निश्चित किया गया है। चीनी के मामले में थोक व्यापारी को 3 रु० प्रति क्विंटल का लाभ लेने की छूट है। जो मिल-बाहर मूल्य ढुलाई और चुंगी की अदायगी के बाद के मूल्य पर होगा। खुदरा दुकानदार को खाली बोरी के अलावा दो रुपये प्रति क्विंटल लाभ कमाने की अनुमति है। खाद्य तेलों में तथा वनस्पति के मामले में खुदरा दुकानदार को 16-1/2 किलों के टीन पर 1 रुपया और खाली टीन मिलेगा। बेसन बनाने वालों के लिये लाभ की सीमा 3 रु० प्रति क्विंटल निश्चित की गई है। वनस्पति घी को छोड कर सरसों के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों पर 16 किलो के टीन पर 1·25 रुपये का लाभ कमाने की छूट है। गेहूं, अनाज और दालों के अर्ध थोक व्यापारियों को 2 प्रतिशत लाभ की छूट है। इन से माल खरीदने वाले खुदरा दुकानदारों को 8 प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति है।

श्री आर० एन० बर्मन : किन राज्यों ने ऐसे कदम उठाये हैं और अन्य वस्तुओं को चुनने के बारे में इस समय सरकार के मन में क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमने बताया है कि थोक व्यापारियों; खुदरा दुकानदारों और अन्य वितरण एजेन्सियों से बातचीत के बाद कुछ राज्यों ने कार्यवाही की है। दिल्ली प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाये हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ बहुत प्रभावी कदम उठाये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुजरात ने भी काफ़ी प्रगति की है। इसी प्रकार अनेक राज्यों में कई प्रकार के कदम उठाये गये हैं। यद्यपि मेरी सूची अद्यतन नहीं है।

मूल दृष्टिकोण के बारे में इन सभी प्रयासों का अन्तिम आशय यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को वस्तुयें उचित मूल्य पर मिलें। इस प्रकार केवल उत्पादन लागत ही संगत नहीं है अपितु वितरण व्यय भी महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि थोक व्यापारियों और कुछ मामलों में सोल बिक्री एजेंसियों की व्यवस्था बनाये रखी जायें। खुदरा दुकानदारों के लाभ की मात्रा का भी प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि वितरण लागत घटानी होगी और तभी उपभोक्ता को कुछ राहत मिल सकेगी इस समय हम अधिक खपत वाली आवश्यक वस्तुओं के वितरण की योजना को सफल बनाना चाहते है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मूल्य नियंत्रण केवल बड़े शहरों और नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी है। गांवों में बिल्कुल मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है। गांवों में नियंत्रित मूल्यों पर वस्तुओं की बिक्री हेतु मंत्री महोदय का क्या योजना बनाने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न योजना के बारे में नहीं है, यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है।

डा० रानेन सेन : आज जब कि देश में एक ओर खाद्यान्नों, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और चीनी इत्यादि का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ है वहां दूसरी ओर मार्च से निरंतर उनके मूल्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण हेतु इन वस्तुओं के विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के वितरण को अपने अधिकार में लेकर जनवितरण प्रणाली द्वारा इनका वितरण करने पर विचार किया है ताकि वस्तुओं के थोक मूल्यों और खुदरा मूल्यों के बीच विषमता तथा अन्य विरोधाभासी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह नीति संबंधी प्रश्न है। इस प्रश्न का संबंध चल रही योजना से है। आप पूछ रहे हैं कि क्या सरकार वर्तमान परिस्थितियों में इन वस्तुओं के वितरण को अपने हाथ में लेगी। यह एक भिन्न बात है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : दूरवर्ती क्षेत्रों में अनियंत्रित मूल्य पर बिकने वाली वस्तुओं के मनमाने दाम लगाये जाते हैं तथा सामाजिक आवश्यकता की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। खुदरा व्यापारी बिक्री मूल्य को बढ़ा देते हैं। यह बहुत अनुचित है और इसको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि जब कलक्टर जिलों में दुकानदारों से इस मामले पर बातचीत करते हैं तो इन दुकानदारों द्वारा बताया गया व्यय की जांच करना असंभव होता है क्योंकि एक मामले में किसी का खर्चा 100 होता है तो दूसरे का उसी पर 200 और तीसरे का 700 होता है। उन के लाभ और हानि के लेखों की जांच नहीं की जा सकती। सरकार को किसी वस्तु का लागत मूल्य तथा उस पर लिया जाने वाला लाभ निर्धारित करने में क्या कठिनाई है यदि सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती है तो वह एक प्रकार से अकुशल वितरण प्रणाली को बढावा ही देती है।

श्री ए० सी० जार्ज : पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि सारी प्रक्रिया में हम तीन चार महत्वपूर्ण चरणों जैसाकि उत्पादन वसूली कुछ मदों का आवंटन परिवहन और वितरण इत्यादि पर ध्यान दे रहे हैं। वितरण के बाद ही उपभोक्ता को पता चलेगा कि उसे राहत महसूस हो रही है अथवा कि हानि हो रही है। हमारा प्रयास यह है कि निर्माण लागत को घटाया जाये तथा साथ ही वितरण के खर्चे को भी कम से कम किया जाय उन स्तरों

पर खर्चा बिल्कुल घटाया जाये अथवा उन ऐंजसियों इत्यादि को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये जो कि वितरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर रही हैं। उदाहरणार्थ कुछ मामलों में एकमात्र विक्रय ऐजेंसी जोकि स्वंय कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करती लेकिन मुनाफ़ा लेकर वस्तुयें एक जगह से लेकर दूसरी जगह दे देती हैं अतः हम ऐसे विभिन्न स्तरों पर होने वाले मुनाफ़ों को रोकना चाहते हैं। पूरी योजना का उद्धेश्य वितरण व्यय को न्यूनतम बना-उपभोक्ता को अधिकतम राहत पहुंचाना है।

ज्वार-भाटे की शक्ति से विद्युत् उत्पादन

*203. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात और कच्छ की खाड़ियों में ज्वार-भाटे की शक्ति के विकास से देश में चालीस प्रतिशत विद्युत् उत्पादन किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो ज्वार-भाटे की शक्ति का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) प्रारम्भिक अध्ययनों से पता चला है कि सैद्धान्तिक तौर पर खम्भात और कच्छ की खाड़ियों में ज्वार भाटे से काफी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने की संभावना है। इस तरीके से बिजली का उत्पादन करने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अभी सुनिश्चित की जानी हैं।

श्री पी० गंगादेव : देश में बिजली की समग्र कमी को दृष्टिगत रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ज्वार-भाटे से बिजली उत्पादन के व्यवहारिक संभावित संसाधनों के पता लगाने के संबंध में कोई अनवर्ती अध्ययन किये गये हैं तथा पण, तापीय तथा परमाणु बिजली उत्पादन की लागत की तुलना में यह लागत कितनी है तथा यदि हां तो इस बारे में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आज देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। जहां तक मुख्य प्रश्न का संबंध है ज्वार-भाटे से बिजली उत्पादन को कम प्राथमिकता देने के कुछ कारण हैं प्रथम यह है कि इसकी संभाव्यता देश के केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है अतः इसका प्रभाव भी नाम मात्रा का होगा तथा स्थानीय क्षेत्र को ही इससे लाभ होगा दूसरा प्रारम्भ में इस पर खर्चा भी बहुत आयेगा तीसरे यह बिजली भी कुछ स्थिर किस्म की नहीं है और इससे कितनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। यह ज्वार-भाटे तथा ज्वार-भाटे की रफ्तार पर निर्भर करता है, हो सकता है कि इससे कुछ भी बिजली उत्पादन न हो और यह भी हो सकता है कि एक विशेष मात्रा में बिजली उत्पन्न हो।

जहां तक इस दिशा में सामान्य-प्रगति का संबंध है संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना विशेषज्ञ ने राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से बातचीत की थी तथा अध्ययन करने के बाद अपना प्रतिवेदन पेश किया था। उसके प्रतिवेदन पर विचार किया गया है। उस ने आंकडों को इक्ट्ठा करना गणितीय पद्धति अपनाने आदि सुझाव देकर समस्या का हल करन का प्रयत्न किया है राज्य सरकार से बातचीत करके इस प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ज्वार-भाटे से बिजली उत्पन्न करने के लिये अपेक्षित उपकरण भारत में बनाये जा सकते हैं तथा क्या इसके लिये तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है और यदि हां तो किन देशों से यह सहयोग लिया जा सकता है तथा इस दिशा में हमारे क्या प्रयत्न रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विश्व में केवल एक ही देश है जो ज्वार-भाटे से बिजली उत्पन्न करता है। वह देश फ्रांस है, जिसके लोरेख नगर में यह बिजली उत्पादित की जाती है। ज्वार-भाटा बिजली घर कई वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था तथा वह बिजली उत्पादन का कार्य कर रहा है। इस प्रकार के बिजली घर से बिजली उत्पन्न करने में आने वाली कठिनाइयों का अनुभव इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस ने ऐसा दूसरा बिजली घर नहीं बनाया है। जहां तक मुझे जानकारी है वाणिज्यिक स्तर पर विश्व के किसी देश में ऐसा बिजली घर नहीं है। जहां तक उपकरण बनाने का संबंध है मेरे विचार में किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। जब भी ज्वार-भाटे की रफतार तेज होती है पानी रोक कर बिजली पैदा की जाती है।

श्री माधुर्य हाल्दर : क्या संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना विशेषज्ञ ने पश्चिम बंगाल और सुंदरबन क्षेत्र की नदियों के पानी से बिजली उत्पन्न करने की संभाव्यता के बारे में अध्ययन किया था। यदि हां तो समिति का प्रतिवेदन क्या है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी हां, पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले इस विशेषज्ञ ने पश्चिम बंगाल, सुंदरबन क्षेत्र तथा एक अन्य स्थान की छोटी नदियों के ज्वार-भाटों से बिजली उत्पन्न करने की संभाव्यना की थी। मेरे विचार में पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की बिजली उत्पादन की संभाव्यता कम है तथा लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

लघु उद्योगों की गणना

*204. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की गणना संबधी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ख) उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) लघु उद्योगों की वित्त प्रौद्योगिकी कच्चा माल और उत्पादों के विपणन संबंधी समस्याओं के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) आंकड़े एकत्रित करने के लिये वर्ष, 1972 को आधार मान कर लघु उद्योगों की गणना 1973–74 में की गई थी। इस को उद्योग निर्देशकों के पास पंजीकृत लघु उद्योग एककी तक सीमित रखा गया था तथा इसमें लघु उद्योग बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लघु उद्योग भी सम्मिलित थे।

गणना से यह पता चला है कि इस क्षेत्र के कुल उत्पादन मूल्य में 1971 के मुकाबले 31 प्रतिशत तथा 1970 की अपेक्षा 1971 में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू मूल्य पर वर्ष 1973 में उत्पादन में 18 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जिससे उत्पादन के कुल आंकड़े 3420 करोड़ रु० हो जायेंगे। जबकि यह 1972 में 2900 करोड़ रु० थे। वर्ष 1974 में उत्पादन मूल्य 4932 करोड़ रु० था। जिस में वर्ष 1975 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विद्यमान मूल्य पर उत्पादन के कुल आंकड़े बढ़कर 5742 करोड़ रु० हो गये।

गणना के अनुसार 1972 तक मांग की कमी, अपर्याप्त आर्थिक सहायता, कच्चे माल की कमी और कुप्रबन्ध आदि कारणों से 66,161 एकक बन्द किये गये थे।

(ग) सरकार को लघु उद्योग एककों की वित्तीय प्रौद्योगिकीय कच्चे माल और विपणन संबंधी कठिनाइयां मालूम हैं। उपलब्ध संसाधनों से लघु उद्योग एककों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा अनेक अभ्युपाय किये गये हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

1 लघु उद्योग क्षेत्र के सभी उत्पादक प्रयासों के संबंध में जो आर्थिक दृष्टि से जीव्य है। उदार शर्तों पर वित्त की व्यवस्था करने की बकों की नीति रही है। रिजर्व बैंक ने बैंको को सूचित किया था कि छोटा ऋण लेने वालों की विशेषकर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। लघु उद्योगों की ऋण प्राप्त करने संबंधी कठिनाइयों और समस्याओं पर लघु उद्योग बोर्ड से संबद्ध ऋण सुविधाओं संबंधी स्थायी समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया जा रहा है। लघु उद्योगों की समस्याओं की जांच करने तथा लघु उद्योगों को संस्थानों से मिलने वाली वित्तीय सुप्रवाही सहायता सुनिश्चित करने के लिये विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा सितम्बर 1976 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर देने की आशा है।

2. लघु उद्योगों की उत्पादकता उनके कार्य निष्पादन विशेष रूप से निर्यात बाजारों में सुधार करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन ने एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाया है। शुरू-शुरू में 10 उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए चुना गया था और हर आगामी वर्ष में 10 उद्योगों को इसके लिए चुना जाना था। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में लघु उद्योग विकास संगठन ने विभिन्न राज्यों में आधुनिकीकरण के लिए चुने गए विभिन्न उद्योगों में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यकलापों औद्योगिक क्लिनिकों, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन किया था।

3. अधिकतर कच्चे मालों की कमी नहीं है।

4. सरकारी भण्डारों के खरीदा कार्यक्रम के अतर्गत केवल लघु उद्योग एककों द्वारा सम्भरण के लिए आरक्षित 198 वस्तुओं की सूची में बढ़ाकर 1975 में 222 वस्तुएं कर दी गई हैं। लघु एककों में बनाए जा सकने वाले उपकरणों

का पता लगाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों का सर्वेक्षण करने के लिए विशिष्ट दलों की स्थापना की गई थी। लघु उद्योगों को समेकित विपणन सहायता प्रदान करने के लिए पांच व्यापार केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी द्वारा एक योजना सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

5 स्थिति में सुधार करने के लिए बैंकों और राज्य सरकारों के परामर्श से अभ्युपाय किए गए हैं। बन्द अथवा संकटग्रस्त एककों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने चार केन्द्रों – फ़रीदाबाद, गाजियाबाद; अलवर और अहमदाबाद का सर्वेक्षण किया था। राज्य सरकारों से इस प्रकार का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। संकटग्रस्त एककों को समन्वित सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समितियां गठित करने का भी उनसे अनुरोध किया गया है। 15 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में इस प्रकार की समितियों का पहले ही गठन किया जा चुका है। भारतीय स्टेट बैंक से अलग अलग मामलों की जांच करने और ऋण अदायगी के लिए फिर से समय निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि एककों को पुर्नजोवित करने में सहायता मिल सके।

श्री राजा कुलकर्णी : विवरण में कहा गया है कि 1972 को आधार वर्ष के रूप में माना गया है और इस वर्ष तक 66,000 एकक मांग की कमी तथा अपर्याप्त आर्थिक सहायता के कारण बन्द किए गए। यद्यपि सरकार लघु पैमाने के उद्योगों को हर सम्भव सहायता दे रही है फिर भी उनकी समस्याएं दिन प्रति दिन जटिल होती जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि इंजीनियरी, रसायन, चमड़ा तथा अन्य उद्योगों के 66,000 एककों की सहायता हेतु क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारी के विकास तथा कृषि उत्पादों के विपणन हेतु क्या कार्यक्रम है।

श्री ए० पी० शर्मा : छोटे एककों के रूग्ण हो जाने के 4 मुख्य कारण है, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त आर्थिक सहायता, विपणन समस्या तथा कुप्रबंध। जहां तक कच्चे माल की उपलब्धता की संबध है पोलीथीन को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मामलों में स्थिति काफी सुधरी है। उसकी स्थिति में सुधार के लिए हम आयातित कच्चे माल ने मूल्य में कमी करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को आयतित कच्चे माल के लिए स्वदेशी कच्चे माल के बराबर ही मूल्य चुकाना पड़े। जहां तक अपर्याप्त आर्थिक सहायता का संबंध है राज्य स्तर-पर इसके लिए समितियां बनाई गई हैं और प्रौद्योगिक विभाग के सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा संबद्ध राज्यों के उद्योग निदेशक इसके सदस्य होंगे तथा एस० आई० एस० आई० का निदेशक इसका सदस्य सचिव होगा। जहां तक विपणन का संबंध है सरकार विभिन्न राज्यों में पांच विपणन केन्द्र खोलने जा रही है और राज्य सरकारों की हमने इस सम्बन्ध में राय मांगी है। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यापार विपणन केन्द्र को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी की लागत को राज्य सरकार पूरा करेगी। जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है छोटे एककों को परामर्शदायी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के लघु उद्योगों से ली जाने वाली परामर्श फ़ीस का शत प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों के उद्योगों को 25 प्रतिशत वापिस कर दिया जाएगा।

श्री राजा कुलकर्णी : रिजर्व बैंक द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को छोटे पैमाने के एककों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में दिए गए निर्देशों के बावजूद मैं यह

जानना चाहता हूं कि इन बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के एककों के पुनः चालू करने तथा उनके विकास हेतु क्या प्राथमिकताएं तथा निर्देश दिए गए हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : जैसाकि मैंने पहले बताया है कि हमने स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर समितियां बनाई हैं। लघु पैमाने के उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और वित्तीय संस्थान निश्चय ही इन एककों की सहायता करेंगे ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लघु उद्योग अधिक रोजगार प्रदान हैं, और यदि हां तो यह बताने की कृपा की जाए कि एक लाख रुपए की पूंजी निवेश से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और इतने ही पूंजी निवेश द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है ।

श्री ए० पी० शर्मा : एक लाख रुपए के पूंजी निवेश से बड़े पैमाने के उद्योगों में पांच व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है और छोटे पैमाने के उद्योगों में 21 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है ।

श्री भान सिंह भौरा : विवरण में कहा गया है कि 1972 तक विभिन्न कारणों से 66, 161 एकक बन्द कर दिए गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से अधिकांश एकक जाली थे और उनका अस्तित्व केवल कागजों पर ही था और वह सरकार से सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे और जब उन्हें यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई । यह एकक बन्द कर दिए गए। यदि यह सच है तो इन जाली एककों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री ए० पी० शर्मा : उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत लघु उद्योगों के एककों के बारे में गणना की गई है अतः जहां तक गणना के अन्तर्गत आने वाले एककों का संबध है उनमें जाली एककों के आने का प्रश्न ही नहीं है।

गैरसरकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर व्यय

श्री के० एम० मधुकर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर बहुत कम धनराशि खर्च होती है; और

(ख) यदि हां, तो लाभ का कुछ प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय करने को अनिवार्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

योजगा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार ने उद्योगों पर अनुसंधान और विकास शुल्क आरोपित करने का फ़ैसला किया है ताकि अनुसंधान और विकास के प्रयोजनों के लिए धन जुटाया जा सके। इस योजना के ब्यौरों का उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारण किया जा रहा है। वही मंत्रालय इस संबंध में कानून बनाने के लिए आवश्यक विधेयक पेश करेगा ।

Shri K.M. Madhukar: Sir, the institutions like the Indian Council of Scientific Research and the Indian Council of Medical Research have done commendable work in the field of research. But only 0.5 per cent of our gross national income is spent on research and out of this only 9 per cent is spent by the private sector. The Hon Minister has stated that Government have decided to levy a R&D cess. I want to know the time by which this cess

will be levied and what will be the per centage thereof. The monopoly houses are earning profit to the tune of crores of rupees. I want to know by what time the said cess will be levied and what will be its percentage to their income.

श्री शंकर घोष : जहां तक विधान बनाने का सम्बन्ध है इस प्रश्न की उद्योग मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है । उन्होंने काफी कार्य कर लिया है और अब इसे शीघ्रनिशीघ्र पूरा किया जायेगा ।

Shri K. M. Madhukar : The Economic Committee has also made certain recommendations to the Government in this regard. I want to know whether Government have considered those suggestions and the scheme being formulated by the Government after considering those suggestions ?

श्री शंकर घोष : अनुसंधान और विकास के लिये कई सिफ़ारिशे की गई हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने कतिपय सिफ़ारिशें की हैं। उन्होंने कुछ विषय भी बताये हैं जिनमें अनुसंधान कार्य हो सकता है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि अनुसंधान तथा विकास शुल्क की दर क्या हो, उसे किस प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाये तथा किस किस बारे में यह शुल्क लगाया जाये।

श्री एस० एस० संजीव राव : यह बात स्पष्ट है कि गैर-सरकारी क्षेत्र अपने उद्योगों में अनुसंधान और विकास कार्य पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं कर रहा है। मुझे ज्ञात है कि विकसित देशों में जनरल इलैक्ट्रिक कंपमी एशोसियेटिड इलैक्ट्रिकल कम्पनी आदि जैसी कम्पनियां विश्वविद्यालयों को, जहां कि पर्याप्त मात्रा में उपकरण तथा तकनीकी शक्ति उपलब्ध है, भारी मात्रा में धन देती हैं ताकि वे इस विशेष क्षेत्र में तकनीकी का विकास कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि यहां भी उद्योगपति विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अपने लाभ की कुछ प्रतिशत राशि दें ?

श्री शंकर घोष : इस उद्देश्य के लिए अनुसन्धान तथा विकास शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है । फिर एक प्राधिकरण होगा जो यह निश्चय करेगा कि यह राशि किसे दी जाये तथा विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को कुछ राशि देने के बारे में आवश्य विचार किया जाएगा ।

श्री धामनकर : गैर-सरकारी एककों के लिये बड़े पैमाने पर प्रयोगशालायें खोलना कठिन है । यदि वे सहकारी अथवा अन्य प्रकार का संघ बना लें, तो वे यह कार्य आरम्भ कर सकते हैं । रबड़ उद्योग में इस प्रकार के कुछ प्रयास किये गये थे, परन्तु सच्चाई यह है कि विदेशी कम्पनियों ने सहयोग देने से इन्कार कर दिया; क्योंकि उन्हें तकनीकी अमरीका तथा ब्रिटेन में अपने मुख्य एककों से प्राप्त होती है । क्या इन विदेशी एककों को विभिन्न उद्योगों में अनुसन्धान तथा विकास में सहयोग देने के लिये बाध्य करने हेतु कोई विशेष उपाय किये जायेंगे ?

श्री शंकर घोष : यदि अनुसन्धान और विकास शुल्क लगाया गया तो यह उन उद्योगों पर लगाया जाएगा जो चालू हैं और इसमें विदेशी उद्योग भी आ सकते हैं ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारा अनुभव है कि वर्ष 1973–74 में 246 करोड़ रुपए की राशि लगाई गई थी, जिसमें से गैर-सरकारी क्षेत्र ने केवल 23 करोड़ रुपये की राशि लगाई थी । इसलिये हम इस शुल्क के बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : अनुसन्धान तथा विकास शुल्क लगाने के अतिरिक्त क्या सरकार का कोई प्रस्ताव गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसन्धान कार्य पर नियंत्रण एवं दृष्टि रखने का भी है, ताकि दोहरा अनुसन्धान न हो ?

श्री शंकर घोष : दोहरे अनुसन्धान से बचने के लिये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी और उन्होंने एक समेकित योजना बनाई है, ताकि दोहरा अनुसन्धान न हो। जब अनुसन्धान तथा विकास निधि उपलब्ध होगी, तो कोई प्राधिकरण बनाया जाएगा; जो यह सुनिश्चित करेगा कि दोहरा अनुसन्धान न हो।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, the sugar factories in private sector in North Bihar and Eastern U.P. are spending a very meagre amount on research, as of the fear nationalisation. The result is that the recovery is going down, which has a direct impact on farmers. I want to know the amount proposed to be spent by Government on the research in these private sugar factories.

श्री शंकर घोष : विकास और अनुसन्धान शुल्क सभी उद्योगों पर लगाने का विचार है, जिसमें चीनी उद्योग भी शामिल है। इस समय केवल पटसन पर शुल्क लागू है, जिससे इस वर्ष लगभग 50 लाख रुपये प्राप्त होंगे। सीमेंट पर शुल्क से 90 लाख रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्री दीनेशचन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अलाभप्रद उद्योगों का अधिग्रहण किये जाने का निर्णय लिये जाने के बाद उद्योगपतियों में यह प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि वे न केवल उद्योगों में अनुसन्धान और विकास के लिये धन खर्च नहीं करते, अपितु उन्हें चालू रखने के लिये भी धन खर्च नहीं करते ? आप जो निर्णय लेंगे निःसन्देह उनमें समय लगेगा तथा इस अवधि में चीनी, चाय तथा अन्य उद्योगों को भारी हानि हो सकती है। क्या आप कोई अन्तिम निर्णय लेंगे, जिससे वे उद्योगों के चलाने पर धन खर्च करें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रबन्ध सम्बन्धी समस्या है अनुसन्धान सम्बन्धी नहीं।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में पटसन मिलों द्वारा अनुसन्धान का उल्लेख किया है। क्या यह सच है कि पटसन मिलों पर अनुसन्धान और विकास के लिये 45 लाख रुपये का शुल्क लगाया गया है तथा पटसन मिल मालिकों ने अपने हिस्से की राशि अदा करने से इंकार कर दिया है। यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उन्होंने कितनी राशि अदा की है ?

श्री शंकर घोष : पटसन शुल्क एक अप्रैल से लागू किया गया है। इसलिये अभी हमें शुल्क प्राप्त करना है। वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन

***208. श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन पूरे कर लिये हैं और योजनाओं को कार्य रूप देने हेतु प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रतिवेदनों पर, विचार करने तथा उन्हें मंजूर करने के लिये मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). सोलह राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों को, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिये उप-योजनायें तैयार की हैं, समेकित आदिवासी विकास परियोजनायें तैयार करनी हैं, जिनकी संख्या लगभग 146 है। राजस्थान ने अपनी सभी चार परियोजनायें तैयार कर ली हैं, गुजरात ने 9 में से 7, बिहार ने 13 में से 8, मध्य प्रदेश ने 32 में से 7 और उड़ीसा ने 19 में से 4 परियोजनायें तैयार कर ली हैं। गृह मंत्रालय को भेजी गई 41 परियोजनाओं में से 38 पर अब तक विचार किया गया है। अब तक प्राप्त हुई तथा विचार की गई समेकित आदिवासी परियोजनाओं के ब्यौरों का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11213/76]**।

राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित किये गये समय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक सभी परियोजनाओं को तैयार किया जाना है तथा अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री गिरिधर गोमांगो : विवरण से यह स्पष्ट है कि 146 परियोजनाओं में से अभी तक केवल 41 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और शेष स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। फिर 16 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल 10 राज्यों ने उपयोजनायें तैयार की हैं और गृह मंत्रालय को भेजी गई हैं। क्या उपयोजना प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण यह है कि राज्य यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता देने की बजाय उपयुक्त अनुदान दें। क्या यह सच है कि वे राज्य जो उपयोजनाओं के लिये धन नहीं जुटा पा रहे हैं, योजन तैयार करने में पीछे हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को जिन्होंने उपयोजनायें तैयार नहीं की हैं इसी वर्ष की अवधि के अन्दर योजनायें तैयार करने का निदेश दिया है ?

श्री ओम मेहता : हम गत दो वर्षों से जब से नई नीति अपनाई गई है, राज्यों को लिखते रहे हैं। गत वर्ष हमने आदिमजातीय विकास मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और हमने उनसे अनुरोध किया था कि योजना बनाने के प्रश्न पर वे गम्भीरता से कार्य करें। दुर्भाग्यवश पहले उन्होंने यही सोचा कि उन्हें जो विशेष केन्द्रीय सहायता मिलनी है, उसके लिये योजनायें बनानी हैं। परन्तु हमारी नई नीति के अनुसार उन्हें उस राशि का भी ब्यौरा देना जरूरी है, जो वे अपने साधनों से खर्च करेंगे और यह राशि अन्य विकास कार्यों से इस कार्य में नहीं लगाई जा सकती। दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने योजनायें नहीं भेजीं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनकी योजनायें तैयार हैं तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जा रही है। परन्तु मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने अभी योजनायें पेश नहीं की हैं। हम उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं तथा हमारे अधिकारी भी वहां गये हैं। इन राज्यों में काफी बड़े क्षेत्र में आदिम जातीय क्षेत्र हैं। हमने उन राज्यों को, मुख्यतया मुख्य मंत्रियों को कहा है कि वे योजनायें पेश करें और उन्हें काफी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। जब तक इन राज्यों की समेकित आदिम जातीय विकास परियोजनायें हमारे सामने नहीं आतीं, तब तक उन राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि करना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

श्री गिरिधर गोमांगो : नीति निर्णय के अनुसार परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न विकास विभागों में समन्वय होना चाहिये, विभिन्न वित्तीय संस्थानों में समन्वय होना चाहिये तथा प्रशासन में समन्वय होना चाहिये। पांचवीं योजना में इस परियोजना के लिये नियत 200 करोड़ रुपये में से राज्य सरकारों ने अब तक केवल 60 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और शेष 140 करोड़ रुपये पांचवीं योजना के अन्त तक खर्च किये जाने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पांचवीं योजना के आगामी दो वर्षों में 140 करोड़ रुपये की यह राशि इन क्षेत्रों में खर्च की जाएगी और यदि यह धन खर्च नहीं किया जा सकता तो क्या इसे अगली योजना में ले जाया जाएगा ?

श्री ओम मेहता : दो सौ करोड़ रुपये की यह राशि केवल केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित है। हमारा अनुमान है कि इन 146 गांवों पर 1,417 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस प्रकार यह सच नहीं है कि हमने पांचवीं योजना के इन दो वर्षों में केवल 60 करोड़ रुपये ही दिये हैं और 140 करोड़ रुपये अभी व्यय किये जाने हैं। मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1974–75 में हमने केवल पांच करोड़ रुपये ही दिये थे परन्तु वर्ष 1975–76 में केन्द्रीय सहायता बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। वर्ष 1976–77 में इसे बढ़ा कर 40 करोड़ रुपये किया जा रहा है जैसे ही वे परियोजना पूरी कर लेंगे और हमें योजना का ब्यौरा भेजेंगे, हम 140 करोड़ रुपये की शेष राशि तुरन्त उपलब्ध कर देंगे। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि राज्य अपनी मशीनरी तेज करें और यह बतायें कि वे अपनी योजनाओं में से कितना व्यय करेंगे ताकि केन्द्र से मिलने वाले अनुदानों का पूरा पूरा उपयोग हो सके।

श्री डी० बसुमतारी : मुझे आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने की सरकार की इच्छा पर कोई सन्देह नहीं है। अनेक परियोजनायें बनायी गयी हैं और देश के लिये यह अच्छा ही है। 500 से अधिक आदिवासी विकास खण्ड बनाये गये हैं परन्तु मेरा अनुभव यह है कि जब इसकी जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि केवल 25 प्रतिशत राशि ही वास्तव में आदिवासी क्षेत्रों के लाभ के लिये लगाई गई है। इस बात का सन्देह उत्पन्न होने लगा है कि केन्द्र द्वारा नियत राशि का उपयोग प्रशासकों की बेरोजगारी दूर करने में किया जा रहा है न कि आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये। अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है कि दो सौ करोड़ रुपये की इस राशि का उपयोग वास्तव में आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर हो ?

दूसरे, क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने के बाद पंचम अनुसूची के अधीन उन्हीं क्षेत्रों का पुनर्गठन करने में क्या तुक है ?

श्री ओम मेहता : इससे पहले जब कभी हम धन नियतन करते थे तो स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता था कि इसका उपयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर ही किया जाये। इसलिए गत वर्ष से हमने इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों पर न किए जाने के आदेश दिए हैं। जब कभी वार्षिक योजना में धन का नियतन किया जाता है चाहे वह राज्यीय योजना हो अथवा राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता हो, इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों पर नहीं किया जा सकता इसलिए राज्यों के लिए आदिवासी विकास के लिए नियत धन का उपयोग अन्य कार्यों पर करना बहुत कठिन हो जायेगा। हमने पहले ही राज्यों को निदेश दे रखे हैं कि समेकित आदिवासी विकास कार्य ही इसके अन्तर्गत आयेंगे। इससे वह धन केवल उन्हीं क्षेत्रों में खर्च किया जा सकेगा जहां आदिवासी जनसंख्या काफी अधिक होगी।

हमने यह भी कहा है कि यह धन लघु सिचाई योजनाओं, ऋण और कृषि सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, ऋणग्रस्तता दूर करने, बागान तथा कृषि कार्यक्रम, भू-अभिलेख तैयार करने, समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम बनाने, प्रशासनिक संगठनों को सुदृढ़ बनाने, आदि पर ही व्यय किया जाये।

श्री कार्तिक उरांव : आदिवासियों के कल्याण के इतिहास में उनके विकास की उपयोजना का तैयार किया जाना एक उल्लेखनीय घटना है और ऐसा भारत सरकार के कहने पर किया गया है। यद्यपि सरकार ने मार्गदर्शक सिद्धान्त और सहायता इन परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी करने के लिए दी हैं, तथापि इसके लिए वह राज्य सरकारों पर ही पूरी तरह निर्भर है। मेरा कहना यह है कि क्या किसी प्रकार सरकार राज्य सरकारों पर दबाव डाल कर उनसे किसी निश्चित तिथि तक परियोजना प्रतिवेदन मंगवा सकती है ? मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में निश्चित आश्वासन चाहता हूं ताकि मुझे उस तिथि के बारे में ज्ञात हो जिस तक सभी प्रतिवेदन उसे मिल जायेंगे और सरकार द्वारा मंजूर कर लिए जायेंगे ताकि परियोजनाओं को पूरा करने का काम वर्षा के बाद के मौसम में आरम्भ हो जाये।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने इस धन को अन्य कार्यों पर न लगाए जाने के निदेश दिए हैं परन्तु राज्य सरकारें जानती हैं कि उसे किस प्रकार अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। अतः सरकार के लिए निगरानी रखना अत्यावश्यक है जिससे उसे पता लगता रहे कि उस धन का कैसे उपयोग किया गया है। आप इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे ?

श्री ओम मेहता : सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार अहिंसावादी है। हम किसी पर दबाव डालने या जोर जबरदस्ती करने पर विश्वास नहीं रखते।

दूसरे, जैसा मैं कह चुका हूं, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य अपनी परियोजनाएं हमें भेज दें ताकि हम उनका अध्ययन करके उन्हें मजूर कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई काम हो ही न रहा हो। काम चल रहा है परन्तु यदि परियोजनाएं मंजूर हो जायें तो चल रहा काम और तेज किया जा सकेगा। मैं सदस्य महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि हम राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से और बातचीत करने वाले हैं जिसमें उन पर इस बात पर जोर दिया जायेगा कि जो भी धन उन्हें दिया जायेगा और जो भी धन वे अपनी राज्य योजनाओं में से उसमें डालेंगे उसे खर्च करने की मशीनरी को उन्हें तेज करना होगा। इस सत्र के बाद मैं राज्यों का दौरा करूंगा और वहीं पर योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत करूंगा।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध अधिनियम का संशोधन

***209. चौधरी राम प्रकाश :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबन्ध बोर्ड ने सरकार से दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबन्ध अधिनियम के कुछ खण्डों का संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति ने दिल्ली सिख गुरूद्वारा

अधिनियम, 1971 के कुछ उपबन्धों के संशोधन के लिये अनुरोध किया है। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 1975-76 के दौरान तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए बिजली योजनाएं

*211. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को वर्ष 1975–76 के दौरान तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाएं कुल कितनी हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने तकनीकी दृष्टि से इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) वर्ष 1975–76 के दौरान, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में 27 नयी जल-विद्युत् योजनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने अब तक 9 योजनाओं का तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन कर दिया है। 15 योजनाओं के बारे में संशोधित लागत अनुमान प्राप्त हुए थे जिनमें से अब तक केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने 2 योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है।

2. जहां तक ताप-विद्युत् परियोजनाओं का प्रश्न है, 1975–76 के दौरान केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में 15 योजनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से अब तक 5 योजनाओं का तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन कर दिया गया है। पारेषण के क्षेत्र में, पारेषण और वितरण सम्बन्धी 52 योजनाएं तथा अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों सम्बन्धी 15 योजनाएं प्राप्त हुई थीं। इनमें से, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी 22 योजनाओं का तथा अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों सम्बन्धी 9 योजनाओं का अब तक तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन कर दिया है।

संघ शासित क्षेत्रों की विद्युत् विकास योजनाओं के सम्बन्ध में 14 योजनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें 12 योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन दे दिया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना करने सम्बन्धी एक योजना भी वर्ष 1975–76 के दौरान प्राप्त हुई थी जिसका केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन कर दिया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इन दिनों यह विचार बना हुआ है कि तापीय बिजली घरों को कोयला खानों के मुहानों के निकट बनाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोयला खान मुहानों के निकट तापीय बिजली घर बनाने की योजना कोयला खान प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की गई है और यदि हां तो इसमें क्या प्रगति हुई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जो तापीय बिजली घर इस समय बन रहे हैं वे सभी कोयला खान मुहानों के निकट नहीं हो सकते। उनमें से कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं जो खपत की मात्रा पर निर्भर करेगा। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। पारेषण और वितरण लागत पर भी ध्यान रखना होगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोयला खान प्राधिकरण विदेशों में भी तकनीकी सहायता तापीय बिजली घरों की योजना बनाने और उनका निर्माण करने के बारे में दे रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रकार की कोई तकनीकी सहायता नहीं दी जा रही है। परन्तु यदि कोई तकनीकी सहायता देश के अन्दर या भारत हैवी इलैक्ट्रिकलस को अपेक्षित हो तो अवश्य दी जायेगी।

Shri K.M. Madhukar: What are the names of power projects demanded by the Bihar Government from Central Power Authority and the steps taken by it in regard thereto ?

Prof. Siddheshwar Prasad : The main question related to the year 1975-76 and no project pertaining to 1975-76 is pending with this authority.

श्री रण बहादुर सिंह : मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि कुछ एक तापीय बिजली घर कोयला खान मुहानों से दूर भी बनाये जा सकते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे बिजली घरों के लिये कोयला पहुंचाने का माध्यम क्या होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समय अधिकांशतः ढुलाई रेल द्वारा की जा रही है और इसमें सड़क द्वारा ढुलाई भी शामिल है। भविष्य में हम पाइपों द्वारा ढुलाई की सम्भावना पर भी सोच सकते हैं। परन्तु इन मामलों पर प्रत्येक मामले को सामने रख कर विचार किया जायेगा।

विज्ञान परीक्षणशालाओं में अनुसंधान परियोजना में कार्यरत वैज्ञानिक

*212. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न विज्ञान परीक्षणलशालाओं में कितने वैज्ञानिक अनुसन्धान परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या इन वैज्ञानिकों ने विदेशी तकनीकी जानकरी की सहायता के बिना ही उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनेक स्वदेशी प्रक्रियाओं का आविष्कार किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुसन्धान और विकास प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या 31-3-76 को लगभग 33845 थी। इन संस्थाओं में इन वैज्ञानिकों की सहायता के लिए जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उन्हें इस संख्या में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। उपर्युक्त अनुसन्धान और विकास प्रतिष्ठानों ने 1429 आविष्कारों और प्रक्रियाओं का विकास किया है जिन्हें 31-3-76 तक उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त कराने के लिए उपलब्ध कराया गया था।

श्री अर्जुन सेठी : सबसे पहले मैं अपने उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं जो देसी तरीकों की खोज में लगे हुए हैं। तथापि, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उद्योगों की स्थापना के लिये, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये भारतीय तरीकों या तकनीकी ज्ञान के उपयोग के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है या कोई लक्ष्य निश्चित किया है ताकि ग्रामीण जनता के उत्थान के लिये शीघ्रतिशीघ्र इस तकनीकी ज्ञान को वहां पहुंचाया जा सके ?

श्री शंकर घोष : जिन अनुसन्धानों का उपयोग उद्योगों में किया गया है जिनमें पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने वाले उद्योग भी शामिल हैं उनकी संख्या रायल्टी के आधार पर 797 है और बिना रायल्टी के भुगतान के उनकी संख्या 122 है। इनमें भैंस के दूध से अमूल शिशु आहार बनाना भी शामिल है। जो भारत में पहली बार किया जायेगा। और भारतीय तकनीक के आधार पर विटामिन 'सी' बनाना भी शामिल है और अन्य भी कई क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने नये अनुसन्धान किये हैं।

श्री अर्जुन सेठी : क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने के लिए दृढ़-संकल्प है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस भारतीय तकनीकी ज्ञान का उपयोग समेकित भवन निर्माण योजना में करने पर विचार कर रही है ताकि गरीब लोगों को मकान और भी कम कीमत पर उपलब्ध कराये जा सकें ?

श्री शंकर घोष : कम कीमत के सस्ते मकान बनाने का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। कुछ समय पूर्व भारतीय वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् ने आन्ध्र के कुछ गांवों में उसका प्रयोग किया था और वह सफल रहा है। इसलिये इस कार्यक्रम को गम्भीरता से पूरा किया जा रहा है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं समझता हूं कि अनेक लघु उद्योगपति और बेरोजगार स्नातकों ने राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विकास परिषद् से इस भारतीय तकनीकी जानकारी को लिया परन्तु उन्होंने शिकायत की है कि यह तरीके केवल प्रयोगशालाओं में ही ठीक बैठते हैं नाकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में भी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय लघु उद्योगपतियों को इन तरीकों को उपलब्ध कराने से पूर्व मार्गदर्शी परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री शंकर घोष : जहां तक भारतीय तरीकों का सम्बन्ध है हमारे पास 1429 तरीके उपलब्ध हैं और इनमें से वास्तव में 919 का प्रयोग करने की अनुमति दी जा चुकी है और उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निगम के अधीन प्रायोगिक और विकास योजनाओं के बारे में हमारे पास एक निश्चित कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत कतिपय उद्योग स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1975-76 में इस निगम ने 4,62,00,000 रुपये की लागत से सात विकास परियोजनाएं अर्थात् सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित की थीं और राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विकास परिषद् ने उक्त राशि में से 68 लाख रुपये का अंशदान किया था।

श्री बी० वी० नायक : क्योंकि प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसन्धान को हमारा प्रयास समाज की आवश्यकता से सम्बद्ध करने का है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि 39 हजार से अधिक वैज्ञानिकों के लिये, जो विभिन्न प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं, पोषण के लिये क्या मशीनरी, संगठन अथवा व्यवस्था की गयी है ? उन्हें हमारी आवश्यकताओं के बारे में कौन बताता है ?

श्री शंकर घोष: समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे मे राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति के सूत्रपात में वैज्ञानिकों को सम्बद्ध करने का एक व्यापक प्रयास किया गया था ताकि किसी समय किसी क्षेत्र विशेष में क्या अनुसन्धान किया जाये, इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और विकास एजेंसियों के विचार जानने का प्रयास किया गया था। यदि हम सीमेंट को लें तो 5 करोड़ रुपये की 36 अनुसन्धान योजनाएं हैं और यदि पटसन को लें तो अनुसन्धान के लिए 23 योजनाएं हैं...

अध्यक्ष महोदय : उनका चयन हो चुका है।

अगला प्रश्न।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

*213. **श्री वयालार रवि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने 1973 में अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ाए थे;

(ख) क्या यह वृद्धि किसी भावी तारीख से लागू होनी थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बुद्ध प्रिय मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि कीमतों में वृद्धि 1 फरवरी, 1973 से की गई थी किन्तु 16 और 35 एम० एम० की साइन पोजिटिव फिल्मों के मामलों में मूल्य वृद्धि 36 मार्च, 1973 से लागू की गई थी।

(ग) ऐसा साइन पाजिटिव फिल्मों के जमा हुए भण्डार को बेचने की सुविधा के लिए किया गया था। किन्तु कम्पनी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि पुराने मूल्य का लाभ बढ़ाई गई अवधि में वास्तविक उपभोक्ताओं को मिले और उनके द्वारा अपनाई गई विपणन नीति से वितरकों को अनुचित लाभ नहीं मिलने पाया था।

श्री वयालार रवि : ये गलतियां श्री एस० के० राजू, चेयरमैन के भ्रष्टाचार के कारण हुई हैं। मैं यहां विस्तृत रूप से नहीं बताना चाहता। मैं मन्त्री जी को सभी दस्तावेज देने के लिए तैयार हूं।

अन्तिम भाग के बारे में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उसकी जांच करें। कीमत बढ़ाने का निर्णय निदेशक मण्डल ने लिया था। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि क्या निदेशक मण्डल को जमा हुए स्टाक का पता नहीं था। किन्तु इस निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय चेयरमैन ने लिया। समूचे उत्पादन का वितरण वितरकों द्वारा किया गया। फिर आप इस बात को कैसे उचित ठहरा सकते हैं कि उपभोक्ता को उत्पाद पुराने ही मूल्य पर मिला। बात यह हुई कि वितरकों ने दो महीनों के अन्दर सारा स्टाक उठा लिया था। उन्होंने उसे जमा किया और 26 मार्च के बाद बेचना शुरू कर दिया। चेयरमैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार का यह स्पष्ट मामला है। चेयरमैन के विरुद्ध सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निदेशक मण्डल को जमा हुए स्टाक का पता नहीं था। चेयरमैन ने बोर्ड के निर्णय पर अमल क्यों नहीं किया। चेयरमैन के सिवाय सभी प्रबन्ध अधिकारियों ने फैक्ट्री को छोड़ दिया है। प्रबन्धक निदेशक तथा अन्य प्रबन्धक त्यागपत्र देकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं। मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह इस फैक्टरी के कार्यकरण की पूरी तरह जांच करें।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं लोक उपक्रमों सम्बधी समिति के निष्कर्षों को उद्धृत करने के अतिरिक्त इससे बढ़िया और कुछ नहीं कह सकता। यह इस समिति के 1973-74 के प्रतिवेदन से है :—

> "सामान की बहुत बड़ी सूची को देखकर, जिसका उस समय नकदी प्रचलन स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा तथा साधनों की कठिनाइयों और स्टाक को पर्याप्त भाग का निम्न स्तर का होने के कारण बोर्ड ने 1 फरवरी, 1973 को मूल्य वृद्धि की घोषणा करने की विपणन नीति अपनाई और साइन पोजिटिव के विद्यमान स्टाक को पुराने मूल्य पर निपटाने की अवधि की सीमा बढ़ा कर 25 मार्च कर दी। सामान्य प्रथा यह है कि पुराने स्टाक को निपटाने के लिए मूल्य पर कुछ छूट दी जाती है। इसके बजाय कम्पनी

ने मूल्य पर किसी प्रकार की छूट दिए बिना विद्यमान स्टाक को पुराने ही मूल्य पर बेच दिया। यदि कम्पनी ने विपणन नीति न अपनाई होती तो ऐसा करना सम्भव न होता। और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी के हित में यही बेहतर सोचा गया। इसके अतिरिक्त समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना था न कि वितरकों को यह बताया गया है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है।"

मैं और भी उद्धरण देता हूं और इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। चाहे माननीय सदस्य के मन में जो भी सन्देह हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं केवल आधा मिनट लूंगा। चेयरमैन के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आधे मिनट में उद्धरण दे दूं . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम पहले ही निर्धारित समय से आगे बढ़ गए हैं। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1

SHORT QUESTION No. 1

महाराष्ट्र में खाद्य तेलों की कमी

1. श्री वसन्त साठे : क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में खाद्य-तेल की भारी कमी और अधिक मात्रा में खाद्य-तेल वाले अन्य राज्यों द्वारा लगाई गई पाबन्दियों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में खाद्य-तेल की सप्लाई स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कायवाही की गई है / करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि बम्बई शहर में पर्याप्त मात्रा में खाने के तेल नहीं पहुंच रहे हैं। खाने के तेल तैयार करने तथा उनकी खपत करने वाले प्रमुख राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों तथा उनके सचिवों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे यह बात सुनिश्चित करें कि खाने के तेलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर पाबन्दी न लगाई जाये। बम्बई शहर की बहुत जरूरी मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा राज्य व्यापार निगम के स्टाक में मूल रूप में निर्यात के लिये रखे गए मूंगफली के तेल को वहां पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ गुजरात से खाने के तेलों की और मात्रा बम्बई भेजने की व्यवस्था भी कर रहा है। सितम्बर के अन्त में बम्बई में लगभग 10,000 टन आयातित मूंगफली का तेल पहुंचने की आशा है और इसमें से काफी मात्रा महाराष्ट्र को सुलभ की जायेगी।

श्री वसंत साठे : बड़ी अजीब बात है कि देश में वर्ष 1974–75 में मूंगफली का उत्पादन 51.1 लाख टन से बढ़कर 69.9 लाख टन हुआ है अर्थात् एक वर्ष में लगभग 20 लाख टन की वृद्धि हुई है और सरकार ने केवल 2.15 लाख टन निर्यात करने की अनुमति दी है। जब हमारे पास 18 लाख टन अतिरिक्त मूंगफली है तो इसकी कमी कैसे हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपात-स्थिति की इस अवधि के दौरान आंसुका सहित सभी शक्तियों के बावजूद सरकार मूंगफली के वितरण आदि में नियमितता पैदा क्यों नहीं कर सकी, विशेषकर गुजरात जैसे राज्य में जहां केन्द्रीय सरकार का शासन है। आपको रिपोर्ट मिली है कि बड़े-बड़े तेल उत्पादक राज्यों ने सरकार से सहयोग करने की पेशकश की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन बड़े-बड़े तेल उत्पादकों की दया पर निर्भर हैं। आपको उनसे कैसा सहयोग मिल रहा है जबकि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में मूंगफली का तेल नहीं भेज सकते। तेल के लाने ले जाने पर आपका किस तरह का नियंत्रण है? आपने बताया है कि आप 10,000 टन मूंगफली के तेल का आयात कर रहे थे किन्तु आपने 2 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया है और इस तरह लोगों को मूंगफली के तेल से वंचित कर दिया। यह किस तरह की नीति है और आप लोगों की विशेषकर त्योहारों के अवसर पर मूंगफली के तेल की जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आज मूंगफली का तेल आठ रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। और फिर भी यह उपलब्ध नहीं है। गरीब लोग क्या करेंगे? खाना पकाने के लिए वे इसी तेल को काम में लाते हैं। सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्पष्ट किया है, इसके पीछे निर्यात की एक अजीब सी पृष्ठभूमि है। कोई ढाई महीने पहले, मई के मध्य में जब मूंगफली के तेल के मूल्य में 4 रुपये प्रति किलो कमी आ गई तो मूंगफली के मूल्य में भी कमी हो गई। गुजरात तथा अन्य मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों की यह सामान्य मांग थी कि किसान को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है और इस मूल्य पर शायद किसान अगली फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित न हो। सर्वत्र यह मांग की गई है कि स्टाक हटाया जाये और कुछ मात्रा में निर्यात किया जाये। समर्थन मूल्य की भी मांग की गई। उत्पादक क्षेत्रों की मांग के अनुसार, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, मूंगफली के कुल उत्पादन अर्थात् 700 लाख टन का 3 प्रतिशत से कम का निर्यात किया गया जो कि 2.15 लाख टन था और यह एच० पी० एस० क्वालिटी का था। यही वह पृष्ठभूमि है, जिसका कुछ समय पूर्व उल्लेख किया गया था। फसल अच्छी थी और उसकी उपलब्धता भी थी इसी कारण उस समय मूल्यों में कमी हो गई और इसीलिए समर्थन मूल्य तथा निर्यात की मांग भी की गई थी। किन्तु मैं अभी भी यह बता दूं कि इसके मूल्य में वृद्धि निर्यात के कारण नहीं हुई। मानसूनों में विलम्ब हो जाने के कारण फसल में भी विलम्ब की संभावना हो गई और कमी का आभास हो गया जिसका कुछ अवांछनीय व्यापारियों ने लाभ उठाया और फल स्वरूप बाजार में मूंगफली के तेल के मूल्य में अचानक वृद्धि हो गई। किन्तु 6–7 हफ्तों के अन्दर उत्पन्न हुई इस स्थिति का ज्यों ही हमें पता चला तो विभिन्न सरकारी विभागों ने तत्काल उपाय करने आरम्भ कर दिए। निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया, लाने ले जाने को सुविधाजनक बनाया गया और राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे जमाखोरी के विरुद्ध व्यापक रूप से कार्यवाही करें। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है।

यद्यपि 10,000 टन मूंगफली का तेल एक छोटी सी मात्रा है, किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सितम्बर के आरम्भ या मध्य भाग में मूंगफली की फसल आने लगेगी। तमिलनाडु में दक्षिण आर्कोट जिले से कोरोमैन्डल नामक फसल आनी आरम्भ हो गई है और पोलाची

में यद्यपि फसल अच्छी नहीं है फिर भी उम्मीद है, कि यह एक आध हफ्ते में पहुंचनी शुरू हो जायेगी। और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी जिलों में फसल दो हफ्तों के अन्दर आनी आरम्भ हो जायेगी। और इस बीच इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्योहार आ रहे हैं, वर्तमान संकट को दूर करने के लिए हम कुछ तदर्थ उपाय कर रहे हैं। इसलिए आपको 10,000 टन मूंगफली के तेल के क्रय तथा पहुंच को इस पृष्ठभूमि में देखना है। इसके अतिरिक्त परसों मैं महाराष्ट्र में था। मैं गुजरात भी गया और वहां के राज्यपाल तथा अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इसके लाने ले जाने में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वे इस बात में सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं कि अवांछनीय निजी व्यापारी बाजार में आकर स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सकें। जब हमने यह आश्वासन दिया कि भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारिता का सहयोग उपलब्ध रहेगा और लेन-देन एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ होगा तब गुजरात सरकार ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम के पास निर्यातहेतु जो स्टाक उपलब्ध है, और जो हम बम्बई शहर को भेज रहे हैं उसके अतिरिक्त हमने एन० ए० एफ० ई० डी० तथा गुजरात की शीर्ष सहकारिता के साथ कुछ व्यवस्था की है ताकि एन० ए० एफ० ई० डी० के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के सिविल सप्लाई निगम को हम परिशोधित तेल भेज सकें। इससे किसी प्रकार का कदाचार नहीं होने पायेगा और हम वर्तमान संकट को दूर कर सकेंगे। कल मैंने महाराष्ट्र के सिविल सप्लाई मंत्री से बातचीत की और उन्हें 5000 टन सोयाबीन तथा तोरी का बीज भेजा है जिसका परिशोधन पत्तन के पास ही हो सकता है। यद्यपि यह बहुत बढिया किस्म का नहीं होगा तो भी कम से कम जनसाधारण के लिए यह उपलब्ध तो हो जायेगा।

हम हर संभव उपाय कर रहे हैं ताकि अब से लेकर जब तक नई फ़सल बाजार में आती है, तब तक का संकट दूर हो सके। हम मूंगफली के तेल के लिए ही नहीं अपितु जनसाधारण के उपयोग की सभी वस्तुओं की सुचारु सप्लाई तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्यों में त्योहारों के आने से पूर्व वृद्धि होने लगती है। इसलिए आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर हम अग्रिम रूप से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : माननीय मंत्री जी ने जो इतना लम्बा उत्तर दिया है उससे मैं वास्तविक रूप से संतुष्ट नही हूं। जिस बात का अभी भी उत्तर नहीं दिया गया है, वह यह है कि 2 लाख टन का निर्यात करने के पश्चात् भी 18 लाख टन शेष रहता है और यह कहां गया है ? इसका तो यही मतलब है कि निजी व्यापार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह तो मैं भी समझता हूं कि कमी के कारण मूल्य में वृद्धि हो गई है। मंत्रालय हमेशा इसी तरह का उत्तर दे देता है। लेकिन आप . . .

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि जमाखोरी अभी भी चल रही है। सीधे कहो।

श्री वसंत साठे : मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह छिपा लिया गया है।

श्री वसंत साठे : आप ठीक कहते हैं। आपने मेरे मुंह की बात कह दी है। धन्यवाद। क्या आप इस छिपाये माल को बाहर नहीं निकाल सकते। क्या आप एक राष्ट्रीय विपणन संगठन

या किसी ऐसे तंत्र की स्थापना की बात नहीं सोच सकते जिससे कि इस तरह की सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण सम्बन्धी कार्य आपके माध्यम से हो। आप गैर-सरकारी व्यापारियों की दया पर क्यों रहते हैं? मैं यही बात जानना चाहता हूं। आप क्या बार-बार यही उत्तर दे रहे हैं कि नई फ़सल आने वाली है, कर्नाटक की फ़सल आने वाली है–आन्ध्र प्रदेश की फ़सल आ रही है, ये और वो और 10,000 टन के आयात से स्थिति में सुधार हो जायेगा। आपको वहीं लोगों को बताना चाहिए कि अगले माह उन्हें मूंगफ़ली का तेल उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा। यह आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। यही समस्या है और आप स्थिति के बारे में संतुष्ट नहीं हैं। यह फालतू स्टाक कहां गया है? आप उस फालतू स्टाक को कैसे प्राप्त करेंगे?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं पहले भी यह बात स्पष्ट कर चुका हूं। ऐसी आशंका थी कि मानसूनों में विलम्ब हो जायेगा और फसल गत वर्ष की भांति उतनी अच्छी नहीं हो पायेगी। यह मैंने अवश्य बताया कि कुछ व्यापारी अवसर की ताक में थे और उन्होंने जमाखोरी की है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। किन्तु जब हमें इसका पता चला तो तत्काल कार्यवाही की गई और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा अन्य विभिन्न राज्यों में खाने योग्य तेल के बारे में 3300 छापे मारे गये।

श्री वसंत साठे : आप कितनी मात्रा में इसे बरामद कर पाये हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री वसंत साठे : मैं 18 लाख टन अधिक हुए उत्पादन की बात कर रहा हूं। यह कहां गया है?

श्री ए० सी० जार्ज : यह 18 लाख टन वाली बात बड़ी भ्रामक है। वह गत वर्ष की तुलना में हुए अधिक उत्पादन के आंकड़े बता रहे हैं।

श्री वसंत साठे : यह सही है।

श्री ए० सी० जार्ज : छिलका समेत 52 लाख टन और 1975–76 में छिलका समेत 69.9 लाख टन मूंगफली वास्तव में तेल नहीं होता। इसमें से तेल तो केवल 40 प्रतिशत ही होगा। आंकड़ों में न पड़ते हुए मैं यह बात कह दूं कि हमें जमाखोरी की प्रवृत्ति का पता चला और हमने उसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सारे देश में कदम उठाये हैं। कई राज्यों में तो कठोर कार्यवाही की गई। हम इस संकट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तीन दिन पूर्व मैं बम्बई में था। भयभीत होने का कोई विशेष कारण नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दस एक दिन में फसल पहुंचने वाली है। मैं सभा को बता दूं कि अधिक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री वसंत साठे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न का उत्तर देने में उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अन्तोतोगत्वा हमने लोगों को मुंह दिखाना है। क्या मैं महाराष्ट्र के लोगो को यह कह दूं कि आप लोगों को पन्द्रह दिनों के बाद कम मूल्य पर मूंगफली का तेल मिल जायेगा? क्या मैं यह आपकी ओर से कह सकता हूं।

श्री ए० सी० जार्ज : वह निश्चित रूप से यह मेरी ओर से कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया है। आप उनकी बात बता सकते हैं।

श्री वसंत साठे : किन्तु मुझे तेल नहीं मिलेगा।

श्री घामनकर : यद्यपि महाराष्ट्र में मूंगफली के तेल की अत्यधिक कमी है, किन्तु समाचार-पत्रों में समाचार छपा है कि मूंगफली के तेल को ले जाने वाला टैंकर सांगली रेल यार्ड पर भरा हुआ यों ही पड़ा हुआ है। क्या मन्त्री जी को इस बारे में सूचित किया गया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सूचना तो मुझे नागरिक आपूर्ति मन्त्री ने भी नहीं दी है। अब मुझे यह सूचना दे दी गई है, अतः मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री घामनकर : यह तो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे : इसमें एक लाख रुपये से भी अधिक मूल्य का तेल है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। यह समस्या केवल केरल की नहीं है। प्रश्न महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया है। आप महाराष्ट्र के बारे में ही पूछिये।

श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे : प्रश्न खाने के तेल की कमी के बारे में है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ? कुछ जिलों में मूंगफली का तेल उपलब्ध नहीं है और विशेष रूप से मेरे चुनाव क्षेत्र सांगली में तो एक तेल का टैंकर ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई दावेदार नहीं है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति काफी गम्भीर है। ग्रामीण क्षेत्रों को मूंगफली के तेल की पर्याप्त मात्रा सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

दूसरे हमें यह भी बताया गया था कि माननीय मंत्री महोदय की गुजरात के राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है। क्या वह हमें इस बात का आश्वासन देंगे कि अन्य राज्यों से मूंगफली के तेल का लाने ले जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात प्रशासन द्वारा तेल उत्पादको पर लेवी लगाई गई थी और उत्पादन की कुछ सीमित मात्रा ही महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल ले जाने वाले टैंकरों को गुजरात तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की सीमा पर इस बहाने पर रोक दिया गया कि उनमें प्रकाश तथा खतरे के संकेतों की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में अभाव उत्पन्न हुआ है। तेल अधिकांश मात्रा में उपलब्ध होने के उपरान्त भी महाराष्ट्र में हमें इसके अभाव का सामना करना पड़ रहा है। अतः इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थिति में तुरन्त सुधार करने के लिए तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में मूंगफली का तेल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : महाराष्ट्र के माननीय सदस्य की चिन्ता उचित ही है। मूंगफली का तेल महाराष्ट्र में कम होता है जबकि गुजरात में वह काफी अधिक होता है। ऐसी परम्परा रही है कि गुजरात तेल बेचता रहा है तथा महाराष्ट्र उसे खरीदता रहा है। यह सुनिश्चित करना तो राज्य सरकार का काम है कि उसे बेचा हुआ घी नगर में जाता है, जिले में या ग्रामीण क्षेत्र में।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह बता सकते हैं कि स्थिति में कोई सुधार हो रहा है या नहीं ? ऐसा राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है या निजी रूप से ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम इस कार्य के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह प्रश्न तो गुजरात राज्य से महाराष्ट्र राज्य को तेल ले जाने तक सीमित है ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी शिकायत को दूर करने के लिए कितना तेल भेजा जा रहा है।

श्री ए० सी० जार्ज उस राज्य को विभिन्न समीपवर्ती राज्यो यथा आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक और गुजरात से तेल भेजा जाता है। हम केवल गुजरात पर ही निर्भर नहीं कर रहे हैं। मैंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ बातचीत की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके अपने ही राज्य में इसकी कुछ कठिनाई अनुभव की जा रही है परन्तु इसके बावजद भी उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि तेल की कुछ मात्रा महाराष्ट्र को भेजी जायेगी। महाराष्ट्र की सिविल सप्लाई निगम के कुछ अधिकारी हैदराबाद गये थे। अभी तीन दिन पहले ही उनकी बातचीत हुई थी। आन्ध्र-प्रदेश से 1,000 टन से भी अधिक तेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुजरात की शीर्षस्थ सहकारी संस्था तथा राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 40 से 50 टन तेल प्रतिदिन महाराष्ट्र भेजा जा रहा है जो कि महाराष्ट्र सिविल सप्लाई निगम, महाराष्ट्र को भेजा जा रहा है ताकि उसका वितरण समान रूप से किया जा सके। इन सभी तरीको को सुव्यवस्थित किया जा रहा है तथा हम अनेक उपाय कर रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल टेंकरो को सीमा पर इस बहाने से रोका गया था कि उनमें प्रकाश तथा खतरे के संकेतों आदि की उचित व्यवस्था नहीं थी?

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी जांच कर सकते हैं। यह कोई गम्भीर समस्या नहीं है। क्या आपको इस बात का विश्वास है कि तीनो राज्यों से तेल की पर्याप्त मात्रा महाराष्ट्र राज्य को भेजी जायेगी? क्या आप इसके लिए सदन को आश्वासन दे सकते हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : हम जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके साथ विचार-विमर्श कर लिया है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं कि महाराष्ट्र को इसकी पर्याप्त मात्रा भेजी जानी चाहिये।

श्री ए० सी० जार्ज मैं सदन को यह आश्वासन देता हू कि इन तीन राज्यों से महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Code Of Conduct For Newspapers And Editors

*206. Shri G. P. Yadav. Will the Minister of Information and Broadcasting be pleas to state :

(a) whether Government propose to frame a code of conduct for newspapers and editors;

(b) Whether suggestions have been invited from editors of various newspapers in this regard; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of State of Information and Broadcasting (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c): A Code of conduct for Journalists and Newspapers has been framed by the Central Committee of Editors and the All India Newspaper Editors Conference. Both these bodies consist of leading editors from different parts of the country.

दक्षिण क्षेत्र में एक नए परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना

*207. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में एक नए परमाणु बिजली सन्यन्त्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इसके लिए स्थल का चयन करने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, लैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) भविष्य के परमाणु बिजलीघरों के लिए उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने दक्षिणी विद्युत् क्षेत्र में अनेक स्थलों की जांच की है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

नीलाम्बर (केरल) में लकड़ी पर आधारित उद्योग

*210. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से नीलाम्बर (केरल) में लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि में बचत या पूंजी-निवेश

*214. **श्री रेणु पद दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 5 वर्षों में कृषि आय में 26 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक वृद्धि होने के बावजूद कृषि में बचत या पूंजी निवेश में कोई वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : यह कहना ठीक नहीं है कि कृषि-जन्य आय में वृद्धि होने के बावजूद कृषि संबंधी पूंजी-निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कृषी में पूंजी-निवेश 1969–70 में 1124 करोड़ रु० था जो बढ़ कर 1973–74 में 1642 करोड़ रु० हो गया।

कृषि में बचत संबंधी सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

कुछ उद्योगों को लाइसेंस संबंधी विनियमों से छूट

*215. श्री एम० कतामुतु
श्री के० मालन्ना :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक उद्योगों को लाइसेंस संबंधी विनियमों तथा प्रतिबंधों से छूट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं तथा सरकार को किन कारणों से ऐसा निर्णय लेना पड़ा है?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) और (ख). साधनों को यथासंभव उत्पादक प्रयोजनों के लिये मोड़ने को बढ़ावा देने और देश में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने और जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार ने अक्टूबर, 1975 में अपने निर्णय की घोषणा की थी। इस घोषणा के द्वारा 21 चुने हुए उद्योगों को जैसे उन वस्तुओं के बारे में जो पूरी तरह से लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित नहीं हैं या वे औद्योगिक उपक्रम जो एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं तथा ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिनके लिये आयातित पूंजीगत वस्तयें, कच्चे माल अथवा विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कुछ शर्तों पर औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए सम्पूर्ण छूट दे दी गई है। सरकार कुछ और उद्योगों से लाइसेंस समाप्त करने की दृष्टि से उनका पता लगाने के प्रश्न का भी अध्ययन कर रही है।

मंगलौर और ब्रह्मवार प्रसारण केन्द्र

***216. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मंगलौर और ब्रह्मवार प्रसारण केन्द्र पूरे हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किस तारीख से काम करना शुरू कर देंगे और इनसे किन भाषाओं में प्रसारण होगा; और

(ग) इन दो केन्द्रों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेशन को शीघ्र चालू करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके प्रसारण मुख्यतया कन्नड में होंगे। कार्यक्रमो में तुलु और कोंकणी को भी शामिल किया जायेगा।

(ग) मंगलौर उडिपि कामप्लैक्स में मंगलौर में स्टूडियो और एक अल्प शक्ति वाला मीडियम वेव ट्रांसमिटर और उडिपि के निकट बृह्मवार में एक 20 किलोवाट वाला मीडियम वैव ट्रांसमिटर शामिल हैं। इन दो सेंटरों को उच्च स्तर के दूर संचार सर्किटों द्वारा आपस में जोड़ा जायेगा। ब्रह्मवार का ट्रांसमिटर दक्षिण कनारा जिले के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र को और उत्तर कनारा के कुछ भाग में भी सेवा प्रदान करेगा। मंगलौर का अल्प शक्ति वाला ट्रांसमिटर मंगलौर शहर के भीतर ही नगर स्तर की सेवा प्रदान करेगा।

आयुध कारखानों द्वारा सप्लायर्स के बिलों की अदायगी

*217. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों द्वारा सीधी तथा स्थानीय खरीददारियों के लिये सप्लायर्स को शीघ्रता से बिलों की अदायगियां की जायें इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) आयुध कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल नरहर गाडगिल) : प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, सप्लाई कर्त्ताओं (सप्लायर्स) को 95 प्रतिशत—98 प्रतिशत भुगतान उनके द्वारा निरीक्षण और डिस्पैच का प्रमाण दे दिये जाने के बाद कर दिया जाता है। शेष भुगतान तब किया जाता है जब कि फैक्टरी में सामान अच्छी हालत में पहुंच जाता है। शेष भुगतान में उस समय विलम्ब हो जाता है जब फैक्टरी में सामान प्राप्त हो जाने के पश्चात् उसमें परिशोधन अथवा बदलाई करने की आवश्यकता पाई जाती हैं।

(ख) आयुध कारखानों के उत्पादन लक्ष्य सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। महत्वपूर्ण मदों के लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन उपलब्धियों पर निकट निगरानी रखी जाती है। इन मदों की रक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है और यदि कोई गत्यवरोध होता है तो उसे दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। वर्तमान संयंत्र और उपस्कर को भी चरणवार ढंग से आधुनिक बनाया जा रहा है।

फिल्म सेंसर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

*218. **श्री भानसिंह भोरा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों को सेंसर करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उनके अधीन बने नियमों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की जानी होती हैं। केन्द्रीय सरकार अपने सांविधिक अधिकारों के अन्तर्गत समय-समय पर निर्देश जारी करती है जिनमें वे सिद्धान्त दिये हुए होते हैं जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्में प्रमाणीकृत करने में बोर्ड का मार्गदर्शन करते हैं। सरकार ने बोर्ड को सलाह दी है कि वह इन सिद्धान्तों को सख्ती से लागू करे।

विकास केन्द्र

*219. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शीघ्र औद्योगीकरण और बेरोजगारी को दूर करने के माध्यम के रूप में विकास केन्द्रों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक दृष्टि से विकास करने के लिये विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में प्रतिवेदन

†220. **श्री नारायण चन्द पराशर :**
श्री वसन्त साठे :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में योजना आयोग की उप-समिति का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट इस समय तैयार की जा रही है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लक्ष्यों का कम किया जाना

†221. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित पैट्रोलियम और चीनी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रो के वास्तविक लक्ष्यों को योजना आयोग ने कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार लक्ष्यों में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्न उत्पादन जैसे प्रमुख लक्ष्य को कम करने के क्या विशेष कारण हैं, जिसका वार्षिक आयोजना के सभी क्षेत्रों और मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) से (ग) वास्तविक लक्ष्यों सहित पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने का कार्य इस समय चल रहा है।

केरल मैडिकल प्रक्टिशनर्स विधेयक पर निर्णय

1410. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स विधेयक के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चूंकि केरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स विधेयक के कुछ उपबन्ध भारत सरकार की मूल नीति के विरोधी हैं अत: विधेयक राज्य विधान मण्डल के पुनर्विचार के लिये राष्ट्रपति के सन्देश के साथ केरल के राज्यपाल को वापिस किया जा चुका है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बम्बई में छापे

1411. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बम्बई में मारे गये एक छापे में दो व्यापारियों से लगभग 460 लाख डालर पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). अनुमानत: प्रश्न में उस रिपोर्ट की ओर संकेत है, जो एक दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 3-7-1976 को प्रकाशित हुई थी, किन्तु वह तथ्यत: सही नहीं थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 30-6-76 को बम्बई के श्री रमेश सन्तदास रजनी और श्री सगनोमल रेवाचन्द रूपचन्दानी के परिसरों की तलाशी ली गई थी। तलाशी लेने पर श्री रजनी के परिसर से 46,500 की भारतीय मुद्रा, 565 अमेरिकन डालर, 900 दुबाई दिरहम और कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए थे, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया था और श्री रूपचन्दानी के परिसर से 20,000 रुपए की भारतीय मुद्रा और कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए थे और उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया था।

अनवर्ती कार्रवाई के तौर पर, श्री श्रीचन्द जयरामदास बजाज नाम के बम्बई के एक अन्य व्यक्ति के परिसर की भी तलाशी ली गई थी और उसके परिसर से 10,000 रुपए की भारतीय मुद्रा तथा कुछ दस्तावेज पकड़े गए थे, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया।

(ग) ये तीनों व्यक्ति 1-7-76 को गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने जमानत पर उनकी रिहाई के आदेश दे दिये।

Construction of Phulpur Fertilizer Plant

1412. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state;

(a) Whether the report on the fertilizer plant under construction at Phulpur in Allahabad is ready with Government;

(b) the time by which this plant is likely to be completed;

(c) the annual production capacity thereof; and

(d) the number of employees presently engaged in this plant ?

The Minister of State in the Ministry of Civil Supplies and Co-operation : (Shri A.C. George) : (a) Government of India have already approved the Phulpur Project.

(b) March, 1979.]

(c) 495,000 tonnes per annum of urea.

(d) 85.

Newsprint stock lying with Nepa Mills

1413. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the quantity of newsprint stock lying with Nepa mills of Madhya Pradesh at the end of 1975 ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri B.P. Maurya) : The following stocks of newsprint were lying with Nepa Mills of Madhya Pradesh as on the 1st January, 1976 :—

Standard Size	3883 M. Tonnes
Non-standard Size	1933 M. Tonnes
Reject Grade	1842 M. Tonnes
TOTAL	7658 M. Tonnes

चमड़े के लघु उद्योग का विकास

1414. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चमड़े के लघु उद्योग का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चमड़े के बड़े कारखाने चमड़े के छोटे कारखानों का सदैव शोषण करते हैं और उन्हें विकसित नहीं होने देते;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चमड़े के लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (घ). लघु उद्योग क्षेत्र में चमड़ा उद्योग का विकास करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) देश के विभिन्न भागों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों से सम्बद्ध क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन कराया जाना;

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई करना;

(3) छोटे चमड़ा कमाने वालों की सहायता के लिए कुछ राज्यों में सम्मिलित सुविधा केन्द्र स्थापित करना;

(4) लघु उद्योग क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करके तथा आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी निविष्ट साधनों का पता लगा कर जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अपनाई गई उन्नत प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित है, चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करना;

(5) चमड़ा उद्योग के डिजाइनरों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का संगठन करना;

(6) मद्रास में आद्यरूप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के माध्यम से चमड़ा मशीनों के आद्यरूपों का विकास करना;

(7) चमड़ा तैयार करने और जूते बनाने के लिए आवश्यक मशीनों को निर्बाध सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात नीति में सम्मिलित करना;

(8) राज्य सरकारों द्वारा राज्य चमड़ा विकास निगमों की स्थापना।

(ख) और (ग). बड़े पैमाने के एककों को केवल निर्यात के लिए विभिन्न प्रकार के तैयार किए गए चमड़े का उत्पाद करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों को अर्द्ध तैयार चमड़े और खालों का, जिनका केवल लघु उद्योग एककों द्वारा उत्पादन किया जाता है उत्पादन करना होता है। चमड़े के बड़े कारखानों द्वारा लघु उद्योग एककों का शोषण किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पाँचवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1415. श्री एम० एस० पुरती : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिये उदार केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुदानों तथा ऋणों का सही-सही अनुपात तैयार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिये प्रत्येक राज्य के लिये मात्रा निर्धारित करने का आधार क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) से (ग). राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशिष्ट कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती है। इसलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए सहायता देने का कोई अलग सूत्र या विधि नहीं है। वैसे इस कार्यक्रम के लिए अलग से परिव्यय रखा गया है और परिव्यय में कमी होने पर सम्बन्धित राज्य को दी जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता में कमी करना आवश्यक हो जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए विदेशों के साथ करार

1416. श्री बी० डी० चन्द्र गौडा : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिये कुछ करार किये गये हैं; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन, अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये तकनीकी जानकारी और उपकरण प्राप्त करते हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित देशों के साथ करार किए गए हैं;

(1) आस्ट्रेलिया, (2) बुल्गारिया, (3) चैकोस्लोवाकिया, (4) संघीय जर्मन गणराज्य, (5) जर्मन जनवादी गणराज्य, (6) हंगरी, (7) मैक्सिको, (8) पीरू, (9) पोलैण्ड, (10) कोरिया गणराज्य, (11) रोमानिया, (12) श्रीलंका, (13) तुर्की, (14) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, (15) यूगोस्लाविया, और (16) जाम्बिया।

(ख) (I) विदेश मन्त्रालय के कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई० टी० ई० सी०) के अधीन निम्नलिखित देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है :—

(1) अफगानिस्तान, (2) अल्जेरिया, (3) अंगोला, (4) मिस्र, (5) बहरीन, (6) ब्रह्मा, (7) बार्बादोस, (8) साईप्रस, (9) कम्बोदिया, (10) वियतनाम जनवादी गणराज्य, (11) फिजी, (12) इथियोपिया, (13) घाना, (14) गिनी, (15) गुयाना, (16) इन्दोनेसिया, (17) ईरान, (18) ईराक, (19) केनिया, (20) कुवैत, (21) लाओस, (22) लेसोतो, (23) लीबिया, (24) मलेशिया, (25) माल्दीव्ज, (26) मलावी, (27) मुजम्बीक, (28) मारिशियस, (29) मारितानिया, (30) नाइजीरिया, (31) ओमान, (32) पपुआ न्यूगिनी, (33) यमन गणराज्य (34) कातार, (35) सिनेगाल, (36) सोमालिया, (37) श्रीलंका, (38) दक्षिण कोरिया, (39) सूडान, (40) तनजानिया, (41) थाइलैण्ड, (42) टोंगा, (43) ट्यूनिशिया, (44) संयुक्त अरब अमीरात, (45) जिबाब्वे, (46) जंजीबार, और (47) जाम्बिया।

(ख) (II) निम्नलिखित देशों को कोलम्बो योजना के अधीन सहायता प्रदान की जा रही है। इसका प्रशासन वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के हाथ में है :—

(1) अफ़गानिस्तान, (2) बंगला देश, (3) भूटान, (4) ब्रह्मा, (5) फ़िजी, (6) इन्दोनेसिया, (7) ईरान, (8) कम्बोदिया, (9) कोरिया गणराज्य, (10) लाओस, (11) मलेशिया, (12) मालदीव्ज़, (13) नेपाल, (14) पाकिस्तान, (15) फिलिपीन्स, (16) सिंगापुर, (17) श्रीलंका, (18) थाईलैण्ड, (19) वियतनाम गणराज्य, (20) आस्ट्रेलिया, (21) ब्रिटेन, (22) जापान, और (23) न्यूजीलैण्ड।

(ख) (III) वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संचालित विशेष राष्ट्रमण्डल, अफ्रीकी सहायता योजना के अधीन निम्नलिखित देशों को भारत से तकनीकी सहायता प्रदान की गई है :—

(1) बोत्स्वाना, (2) गाम्बिया, (3) घाना, (4) केनिया, (5) लेसोतो, (6) मलावी, (7) मारिशियस, (8) नाइजीरिया, (9) सियरालियोन, (10) स्वाज़ीलैण्ड, (11) तनजानिया, (12) युगांडा, और (13) जाम्बिया।

(ख) (IV) विदेश मन्त्रालय बांग्ला देश, नेपाल और भूटान के लिए विशेष/पृथक् सहायता कार्यक्रमों का संचालन भी करता है।

Non-Participation in the Ministerial Conference of Non-Aligned Countries on Press Agencies Pool by certain Countries

1417. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the countries which did not participate in the Ministerial Conference of the non-aligned countries on the News Agencies Pool concluded recently even though they were invited to it ;

(b) whether any decision about the headquarters of its co-ordination committee was taken therein ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) the following countries did not attend the New Delhi Conference :—

Full Members

1. Burma
2. Benin
3. Cape Verde
4. Cameroon
5. Central African Republic
6. Chad
7. Congo
8. Equatorial Guinea
9. Gabon
10. Guinea Bissau
11. Ivory Coast
12. Kampuchea
13. Lebanon
14. Lesotho
15. Malagasy
16. Malawi
17. Mali
18. Panama
19. Rwanda
20. Saudi Arabia
21. Sierra Leone
22. Singapore
23. Upper Volta

Observer Countries

1. Bolivia
2. Brazil
3. Barbados
4. Columbia
5. El. Solvador
6. Grenada.

(b) It was decided that the Co-ordination Committee of the Press Agencies Pool will not have a fixed headquarters.

(c) Does not arise.

Setting up of Industries by Jhuggi Dwellers

1418. **Shri Ram Hedaoo** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to allow the downtrodden and unemployed poor persons resettled in Jhuggis under the 20-Point programme to set up industries ; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri A. P. Sharma) : (a) and (b). One of the objectives of the development programmes for small industries is to enlarge opportunities for employment including self-employment of artisans, craftsmen etc., including those belonging to the weaker sections. As a part of this overall objective Delhi Administration have initiated a programme for the benefit of the weaker sections of the society

in the Union Territory of Delhi. This programme includes training in spinning and weaving on 25 new model charkhas and 5 looms to be provided each of the centres. Charkhas will be distributed to trained persons on 50%grant and 50% loan basis. The products will be marketed by approved Khadi Institutions. In suitable places carpentary, blacksmithy, pottery and oil ghani programmes will aslo be started on land which is being sought from Delhi Development Authority on nominal prices. The programme will be spread to other colonies in the Union Territory of Delhi in the light of the success achieved in these centres.

Besides the Khadi & Village Industries programme, the Delhi State Industries Development Corporation has a programme of setting up of indusrtial work places in each of the larger colonies where training will be imparted to poor artisans and work places provided on reasonable charges. The Corporation will also arrange for common services including provision for raw materials where necessary.

दिल्ली पुलिस में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के बारे में कथित जाँच

1419. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के बारे में की जा रही जांच में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह जांच पूरी होने तक इस प्रयोजन के लिये फिर से परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जो समिति जांच कर रही है वह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

(ख) जी, नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय जलवायु में सौर तथा वायु ऊर्जाओं संबंधी तकनीकी आर्थिक अध्ययन

1420. **डा० के० एल० राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, भारतीय जलवायु के अन्तर्गत, सौर तथा वायु ऊर्जाओं के बारे में, प्रत्येक के लिये स्वतन्त्र रूप से अथवा ऊर्जाओं के अन्य स्रोतों के सापेक्ष संदर्भ में, कोई प्रौद्योगिक-आर्थिक अध्ययन किए हैं ;

(ख) वे सौर पद्धतियां तथा उत्पाद कौन-कौन से हैं जिन्हें आगामी पांच वर्षों में ही प्रयुक्त करने हेतु तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से सम्भाव्य समझा गया है ; और

(ग) आगामी दस वर्षों में, गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में भारत में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग के स्थान पर सौर तथा वायु ऊर्जाओं का उपयोग होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विभिन्न प्रयोजनों के लिये सौर और वात ऊर्जा का उपयोग अभी अनुसन्धान और उत्पाद विकास के चरण में ही है । उनकी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता की स्पष्ट तसवीर चल रहे अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम के सफ़लतापूर्वक पूरा हो जाने, उत्पादन अभिमुखी डिजाइनों के तैयार हो जाने तथा सफ़लतापूर्वक विकसित किये गये शिल्पविज्ञान पर आधारित उपकरणों/यंत्रों के प्रोटोटाइपों के निर्माण तथा क्षेत्रीय परीक्षणों के पश्चात् ही सामने आएगी ।

(ख) स्थान तथा जल को गर्म करने और कृषि पम्पों को चलाने के लिये और ऊर्जा के उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता निश्चित हो गई है। इस समय, इस प्रकार के उपयोगों के लिए सौर प्रणालियों को इष्टतम किया जा रहा है और आर्थिक दृष्टि से उनकी जीवन क्षमता के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ग) यह आशा नहीं की जाती कि सौर और वायु ऊर्जा की जिन प्रणालियों को इस समय प्राथमिकता दी जा रही है, वे प्रणालियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा का स्थान आगामी दस वर्षों में पर्याप्त रूप से ले लेंगी।

इडिक्की पन-बिजली परियोजना

1421. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल राज्य में इडिक्की पन-बिजली परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी ;

(ख) उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) उस पर आगे कितना व्यय होने की सम्भावना है ;

(घ) इस संयंत्र पर अब तक कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ङ) इस संयंत्र के 'न लाभ न हानि' की स्थिति में कब तक आ जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना दिसम्बर, 1962 में मूल रूप में स्वीकृत की गई थी। इसकी अनुमानित लागत 49.22 करोड़ रुपये थी। तदनन्तर, निर्माणपूर्व अन्वेषणों को ध्यान में रखते हुये इस स्कीम के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिये परियोजना के प्रस्तावों को संशोधित कर दिया था और इसके प्रथम चरण में 130–130 मेगावाट की तीन यूनिटों के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था की गई थी। संशोधित चरण-एक परियोजना 68.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1968 में स्वीकृत की थी। 1973–74 के अन्त तक परियोजना पर हुआ व्यय 79.16 करोड़ रुपये बताया गया है। 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान व्यय के अन्तिम आंकड़ों की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।

(ग) राज्य प्राधिकारियों से सूचना की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ). परियोजना से लाभ और हानि का हिसाब परियोजना द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन कर दिये जाने तथा उससे लाभ होने पर ही किया जा सकता है। चूंकि इडिक्की परियोजना फ़रवरी, 1976 के बाद चालू की गई थी, यह प्रश्न केवल आगामी वर्ष के बाद ही उठेगा।

Accident in Ordnance Factory at Jabalpur

1422. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether in the middle of July, 1976 a major accident occurred in the Ordnance Factory, Khamaria, Jabalpur, as a result of which several employees were killed and many injured;

(b) if so, whether any enquiry had been conducted, if so, the findings thereof;

(c) whether any assistance to the family members of the deceased has been given by the factory authorities;

(d) whether Government have any scheme to provide the family members of the deceased with employment in the factory itself; and

(e) if so, the facts thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri V. N. Gadgil) : (a) An explosion occured in Ordnance Factory, Khamaria on 6th July, 1976 in which eight employees died and three were injured.

(b) An enquiry has been conducted and the findings thereof are under examination.

(c) The following assistance has been given to the family-members of the deceased employees viz;

6 employees of the Ordanance Factory, Khamaria.

(i) Rs. 10,000/- each, by way of part payment of compensation due under the Workmen's Compensation Act.

(ii) Rs. 2,000/- to each family as ex-gratia payment from Government.

(iii) Rs. 4,502/- to each family as donation from various organisations and funds.

One Supervisor of Ordnance Factory, Khamaria

(i) Rs. 2,000/- as ex-gratia payment from Government.

(ii) Rs. 4,252/- as donation from various organisations and funds.

(iii) Sanction for payment of compensation is being processed.

One employee of the Inspectorate of Armaments, Khamaria

(i) Rs. 2,000/- as ex-gratia payment from Government.

(ii) Rs. 21,000/- sanctioned as compensation.

(d) and (e) Appointment Orders have already been issued to widows/nearest relatives of six of the deceased employees. In respect of the other two bereaved families, efforts for the provision of similar employment assistance are being made.

Ban on Films by Censor Board

1423. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state : (a) Whether the Censor Board has banned screening of some films containing obscene scenes in violation of the censor rules; and

(b) if so, the names of the films banned on these as well as other grounds in 1975 and 1976 so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcating (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). Yes, Sir. A list of films banned on ground of violation of censorship guidelines, inculding obscenity, is attached. [Placed in library *See* No. L T 11214/76]

टूथ पेस्टों की किस्म

1424. श्री अरविंद एम० पटेल

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने यह पाया है कि भारत में बनने वाले टूथ पेस्टों की किस्म बहुत ही घटिया है और इसमें मुनाफ़े का भाग बहुत अधिक है ;

(ख) क्या सरकार का विचार टुथ पेस्टों की किस्मों का मानकीकरण करने और इनके मूल्य निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री टी०ए०पाई) : (क) से (ग). भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने इस वर्ष के मई-जून में टुथ पेस्टों का एक नमूना सर्वेक्षण किया था। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने अपने निष्कर्षों में यह पाया कि भारत में बनने वाले टुथ पेस्ट में मसूड़ों की सुरक्षा के लिये जो दांत कायम रखने के लिए एक आवश्यक भाग है, उपयोग पदार्थ नहीं डाले जाते हैं तथा इन टुथ पेस्टों की कीमतें भी बहुत अधिक हैं। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

तमिलनाडु फिल्म उद्योग जांच समिति

1425. **श्री मुरासोली मारन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त फिल्म उद्योग जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस बारे में सूचना तमिलनाडु सरकार से अभी प्राप्त होनी है ।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में बड़े औद्योगिक गृहों का निम्न हिस्सा

1426. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, जारी किए गए प्रत्येक श्रेणी के औद्योगिक लाइसेंसों की, राज्यवार, संख्या क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार, इस कुल संख्या में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास पंजीकृत प्रत्येक बड़े व्यापार गृह का हिस्सा कितना रहा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). वर्ष 1973–75 की अवधि में जारी किए गए हर प्रकार के औद्योगिक लाइसेंसों की राज्यवार वितरण संख्या तथा एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के शेयरों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एल० टी० 11215/76] ।

Assistance Sought By Bihar For Fifth Plan

1427. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have requested Central Government for an amount of Rs. 300 crores for the completion of the Fifth Five Year Plan of the State; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Sankar Ghose): (a) The Planning Commission has not received any request from the Government of Bihar for an amount of Rs. 300 crores for the completion of the state's Fifth Five Year Plan.

(b) Does not arise.

सैन्य मुख्यालय के एम० आई० निदेशालय में सहायक परीक्षक

1428. **श्री के० लकप्पा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य मुख्यालय के अधीन एम० आई० निदेशालय के सहायक परीक्षकों ने अपनी सेवाओं में व्याप्त अवरोध तथा तदर्थ नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों की वर्तमान प्रक्रिया के विरोध में हाल ही में अनेक अभ्यावेदन पेश किये हैं ; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों को इस संवर्ग में पदोन्नतियों के अधिक अवसर प्रदान करके उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) पांच सहायक परीक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है कि सहायक परीक्षकों के लिये विभागीय पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार किया जाए ।

(ख) उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

Gratuity to Khadi Bhavan Employees

1429. **Shri Hiralal Doda :** will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) Whether the workers of the Khadi Bhavan, New Delhi are enjoying the facility of gratuity;

(b) if so, from which date; and

(c) whether the Khadi and Village Industries Commission have framed their own rules in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri A.P. Sharma): (a) to (c). The Khadi & Village Industries Commission have framed regulations called the Khadi & Village Industries Commission Employees (Gratuity) Regulations, 1975 which came into effect from Ist April, 1967. These regulations apply to whole-time employees borne on the regular and temporary establishment including trading staff of the Commission, other than the following categories of employees:

(i) Casual employees;

(ii) Government servants and other employees on deputation terms;

(iii) employees on contract basis;

(iv) apprentices and trainees;

(v) re-employed persons;

(vi) schematic staff;

(vii) honorary workers;

(viii) employees on daily wages; and

(ix) any other class of employees not specifically made eligible for the benefit of gratuity under these regulations.

Subject to the above categories workers of the Khadi Bhavan, New Delhi are also eligible for facility of gratuity under the above regulations.

धोखा–धड़ी से स्वतंत्रता सैनानी की पेंशन लेने वाले व्यक्ति

1430. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धोखा-धड़ी करने स्वतन्त्रता सेनानियों के रूप में सरकार से पेंशन ले रहे व्यक्तियों के विरुद्ध जनता की ओर से कुल कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन शिकायतों की कोई जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों की जांच की गई और उनकी जांच के क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 15-8-1976 तक 4,383 मामलों में उन स्वतन्त्रता सेनानियो के विरुद्ध पेंशन स्वीकृति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो योजना के अधीन पेंशन के पात्र नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग). प्राप्त शिकायतों की जांच, सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से, जहां आवश्यक होता है, की जाती है । अब तक 148 मामलों में पेंशन रद्द की गई है, 292 मामलों में फिर से पेंशन दी गई है तथा 2,925 मामलों में आगे जांच होने तक पेंशन स्थगित की गई है ।

कलकत्ता स्थित बोस-इंस्टीट्यूट का कार्यकरण

1431. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित बोस इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख). बोस संस्थान के विरुद्ध प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के बारे में प्राप्त कई शिकायतों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के एक दल द्वारा जांच की गई थी । ये शिकायतें आमतौर पर अस्पष्ट पाई गई थीं जिन्हें कि सिद्ध नहीं किया जा सकता है । इस दल ने इन शिकायतों के सम्बन्ध में जिन प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक उपायों की सिफ़ारिश की थी, उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है ।

20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियाँ

1432. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राज्य तथा जिलास्तरीय 20–सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियों में सत्तारूढ दल, भारतीय साम्यवादी दल तथा अन्य दलों के एक जैसे विचारों वाले प्रतिनिधि शामिल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11216/76]।

पश्चिमी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाना

1433. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान का चयन करने हेतु स्थान चयन समिति ने गुजरात राज्य का अनेक बार दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो स्थान चयन समिति के निष्कर्ष क्या हैं और केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) स्थल चयन समिति ने गुजरात राज्य के तीन स्थलों अर्थात् महुआ, बलना तथा काकरापार की जांच विस्तार से की थी। पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है, में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के बारे में स्थल चयन समिति की अन्तिम सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

दानापुर केन्टोन्मेंट बोर्ड वर्कर्स यूनियन की मांगें

1434. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर केंटोन्मेंट बोर्ड वर्क्स यूनियन ने सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां। दिनांक 10 मई, 1976 का एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) उस मांग पत्र में उठाई गई बातों का उन्हें उत्तर भेजा जा रहा है।

Activities of Samyukt Sadachar Samiti

1435. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2424 on the 14th April, 1976 regarding Activities of the Samyukt Sadachar Samiti and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the facts thereof; and

(a) Yes, Sir.

(b) & (c) No case of large scale cheating of innocent people by cerain local persons in Delhi under the name of Samyukt Sadachar Samiti has come to the notice of the Government. However, one Shri Paras Das Jain, who claims to be an office bearer of the Samit was arrested by the Delhi Police under Section 41(2)/110(d) Cr. P.C. on 16/17-9-75. He was subsequently discharged by the SDM, Kotwali, on 26-3-1976.

It has been pointed out by the Samyukt Sadachar Samiti that Shri Paras Das Jain has no connecion with the Samiti. It has also been reported that Shri Jain was expelled from the Samiti about 2 years ago.

According to information available with the Government, the Samiti has not been indulging in any malpractices.

जम्मू और कश्मीर में टेलीविजन बनाने का कारखाना

1436. श्री सैयद अहमद आगा : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिये कोई टेलीविजन बनाने का कारखाना मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर लगाया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (इन्दिरा गांधी) (क) : जी, हां ।

(ख) श्रीनगर ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

1437. श्री अन्नासाहेब गोटखिंडे : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिये वर्ष 1975–76 और 1976–77 के लिए मंजूर की गई योजनाओं के नाम क्या है और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ;

(ख) प्रत्येक का निर्धारित कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) उनके अधीन कितने-कितने गांवों में बिजली लाए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 (20–8–1976 तक) के दौरान, निगम ने महाराष्ट्र को 1042.166 लाख रूपये की कुल लागत वाली 15 ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं को 616.477 लाख रूपये की ऋण सहायता के लिए स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के नाम, उनकी लागत तथा स्वीकृत की गयी ऋण राशि संलग्न दर्शायी गयी है। (उपबंध)। [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11217/76]

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं को 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रत्येक योजना को पूर्ण करने के लिये नियत की गई अवधि का उल्लेख भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण में किया गया है।

(ग) पूरी हो जाने पर ये योजनाएं 1174 गांवों को बिजली प्रदान करेंगी।

दिल्ली में धुएं रहित कोयले की सप्लाई

1438. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली और इसके आस पास के क्षेत्रों को धुआं रहित कोयला सप्लाई करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का कोयला अनुमानत : कब तक उपलब्ध किया जायेगा और

(ग) उक्त कोयले का मूल्य क्या होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) : सवाल नहीं उठता ।

कोयले से ऊर्जा का उत्पादन

1439. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा कोयले से उर्जा का उत्पादन करने के प्रयासों के अध्ययन के लिये उस देश का दौरा किया था ; और

(ख) कोयले से ऊर्जा का उत्पादन करने के जर्मनी के तरीके की तुलना में भारतीय तरीका किस प्रकार का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं । लेकिन 1974 में भारत सरकार की ओर से एक ऊर्जा दल पश्चिमी जर्मनी भेजा गया था ।

(ख) पश्चिम जर्मनी कोयला से ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग/अध्ययन कर रहा है । इस संबध में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का नीचे उल्लेख किया गया है :—

(1) बिजली तथा कृत्रिम गैस के उत्पादन के लिये प० जर्मनी में न्यूक्लीय ऊष्मा के कोयले के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है । भारत में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं हो रहा है ।

(2) कोयला दबाब-गैसीकरण-कोयला दबाब गैसीकरण के लिए पश्चिम जर्मनी के पास वाणिज्यिक प्रक्रिया है । भारत में दूरस्थ प्रेषण के लिए उच्च दबाब गैसीकरण इस तकनीक का मूल्यांकन किया गया किन्तु वह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं हुई ।

(3) दूषण नियंत्रण पश्चिमी जर्मनी में ओपेन कास्ट और भूमिगत खानों में दूषण की रोकथाम के लिये कुछ मानक निर्धारित किए है । भारत में इस के खनन कार्य में परिवेशी बचाव के लिये मितव्ययिता पूण उपायों की खोज हेतु एक अध्ययन दल बनाया गया है ।

(4) बिजली संयंत्र डिजाइन पश्चिम जर्मनी और भारत दोनों में ही बड़े ताप बिजली घरों में उच्च राख वाले कोयले का उपयोग किया जा रहा है ।

(5) एम० एच० डी० कार्यक्रम ने पश्चिम जर्मनी जर्मन वैज्ञानिकों को एक समिति के कहने पर इस अनुसंधान कार्य को बंद कर दिया गया है। भारत में अनुसंधान तथा विकास के लिये इस तथ्य पर विचार हो रहा है।

(6) कोयला द्रवीकरण जर्मनी में ईंधन के रूप में कोयले के द्रवीकरण के क्षेत्र में कोई बड़ा बुनियादी कार्य नहीं हो रहा है। भारत में इस विषय पर अनुसंधान संस्थान में अध्ययन किया जा रहा है।

पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का प्रतिवेदन

1440. **चौधरी नीतिराज सिंह :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देश की 25 से 30 प्रतिशत जनसंख्या गन्दी बस्तियों या अनधिकृत बस्तियों में रहती है।

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है, और

(ग) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, **शहरों में** रहने वाली आबादी का (न कि देश की आबादी का, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है) 25 से 30 प्रतिशत भाग गन्दी बस्तियों और अनधिकृत बस्तियों में रहता है।

(ख) रिपोर्ट में मानव बस्तियों पर नीति सम्बन्धि ढांचे के लिये मार्गदर्शक धाराओं को सूची बद्ध किया है। इसकी सम्बद्ध विशेषताओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(i) शहरी और देहाती बस्तियों में रहन-सहन के स्तर के मौजदा अंतर को कम से कम किया जाए,

(ii) शहरी और देहाती क्षेत्रों में अच्छे सम्बन्धों की स्थापना करके प्रवसन की प्रक्रिया को कम किया जाए और सेवा केन्द्रो और विकास केन्द्रों का विकास करके सामान और सेवाओं के पर्याप्त वितरण की व्यवस्था की जाए,

(iii) समाज के कमजोर तथा अल्प सुविधाएं प्राप्त वर्गों के विकास के लिये प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जाए, और

(iv) समाज के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के लिये पर्याप्त आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उपयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से सेवाओं और (उद्योगों की) अवस्थापना को सुदृढ़ बनाया जाए और उन वर्गों के लिए अन्तर्निहित प्रेरणाओं की व्यवस्था की जाए।

(ग) गन्दी बस्तियों और अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के हित-लाभ के लिये रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गए हैं उनके अनुसार सरकार ने पहले से ही कई योजनाओं को हाथ में ले लिया है और कई योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। उदाहरण के लिये 1956 में गन्दी बस्तियों को हटाने/उनमें सुधार करने की एक योजना आरंभ की गई थी। गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार नामक एक और योजना 1972 में आरंभ की गई थी जिसके अधीन पेय जल, नालिया, पक्की सड़के आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

टूथपेस्ट निर्माण उद्योग में बहु-राष्ट्रीय निगमें

1441. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु राष्ट्रीय निगमों का टूथ पेस्ट निर्माण उद्योग में तुलनात्मक रूप से प्रमुख स्थान है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा इस बारे में किये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बहु राष्ट्रीय निगमों के इस क्षेत्र में योगदान संबंधी तथ्य क्या है और भारतीय उपभोक्ता परिषद् की सिफारिशों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) संगठित क्षेत्र में सिर्फ एक निर्माता को छोड़कर बाकी की सभी कंपनियों के पास 45 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की मात्रा में प्रचुर विदेशी इक्विटी पूंजी है। फरवरी, 1970 से टूथ पेस्टों का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिये आरक्षित है। भारतीय उपभोक्ता परिषद् की टूथ पेस्टों के बारे में की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

गोपालपुर (उड़ीसा) में 'रेयर अर्थस फैक्ट्री' की स्थापना

1442. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर (उड़ीसा) में रेयर अर्थस फैक्ट्री" की स्थापना के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इंण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड ने, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करने वाला एक सरकारी उपक्रम है, एक समेकित उद्योग समूह के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इस उद्योग समूह में खनिजयुक्त रेत को अलग करने वाला एक सन्यन्त्र तथा संश्लिष्ट स्टाइल सन्यन्त्र शामिल हैं। आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम चल रहा है। खनिजयुक्त रेत को अलग करने वाले अपने प्रस्तावित सन्यन्त्र तथा संश्लिष्ट स्टाइल सन्यन्त्र के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमति भी कम्पनी को मिल गई है।

अन्तिम निर्णय के लिए विचाराधीन पड़ी प्रमुख अन्तर्राज्यीय बिजली परियोजनाएं

1443. **श्री शशि भूषण :** क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम निर्णय के लिए प्रमुख अन्तर्राज्यीय बिजली परियोजनाओं के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) अन्तिम निर्णय में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 15 विद्युत्-बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रस्तावों में अन्तर्राज्यीय पहलू सन्निहित हैं जिनमें नर्मदा बेसिन की परियोजनाएं भी शामिल हैं और इस नदी के जल के आवंटन नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अधीन है, जो वाद विषय निपटे नहीं हैं उन्हें द्विपक्षीय समझौते से अथवा भारत सरकार की मध्यस्थता से सुलझाने के प्रयास जारी हैं। इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि सभी वाद-विषय कब तक अन्तिम रूप से सुलझ जाएंगे।

पतरातु तापीय बिजलीघर की बिजली उत्पादन क्षमता

1444. डा० कैलाश : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 620 मेगावाट क्षमता के पतरातु तापीय बिजलीघर का निर्माण कब आरम्भ किया गया था और बिजली का उत्पादन करने सम्बन्धी विभिन्न कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस बिजलीघर को चालू किए जाने से आपातस्थिति की घोषणा तक इसमें केवल 60 से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था।

(ग) क्या अब भी 200 मेगावाट या इससे कम बिजली का उत्पादन होता है;

(घ) बिहार की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता क्या है और क्या यह बिजली घर बड़ी-बड़ी कोयला खानों और उद्योगों की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगा; और

(ङ) 620 मेगावाट बिजली का उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) पतरातु ताप विद्युत् केन्द्र की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 400 मैगावाट है। 50 मैगावाट की प्रथम यूनिट अक्तूबर, 1966 में, 50 मेगावाट की दूसरी यूनिट जून, 1967 में और 50-50 मेगावाट की तीसरी तथा चौथी यूनिटें क्रमश: फरवरी, 1969 तथा जनवरी, 1970 में चालू की गई थीं। 100 मेगावाट की एक यूनिट दिसम्बर, 1971 में तथा 100 मैगावाट की दूसरी यूनिट मार्च, 1972 में चालू की गई थी। 110-110 मैगावाट की दो यूनिटें इस समय लगाई जा रही हैं और इनमें से एक यूनिट के इसी वर्ष में चालू हो जाने की आशा है।

इस केन्द्र से पैदा की गयी बिजली की मात्रा 120 मेगावाट से 250 मेगावाट के बीच भिन्न-भिन्न रही और विगत चार महीनों के दौरान, इस केन्द्र ने 250 मेगावाट से भी अधिक की अधिकतम मांग की पूर्ति की। बिहार में बिजली की वर्तमान आवश्यकता 6.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन से 7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के बीच है और इसकी पूर्ति पतरातु व बरौनी ताप-विद्युत् केन्द्रों से उत्पन्न बिजली द्वारा तथा दामोदर घाटी निगम में बिहार के अंश से की जा रही है।

पतरातु केन्द्र द्वारा 1977 की तीसरी तिमाही में 620 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने की आशा है जिससे यह केन्द्र लगभग 403 मेगावाट की व्यस्तकालीन मांग की पूर्ति करने की स्थिति में होगा।

केरल स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
का औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र

1445. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इलेक्ट्रोनिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स केरल स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का संचार यन्त्र (कम्प्युनिकेशन सिस्टम) के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र 1974 से मन्त्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में जिला बहराइच की नामपाड़ा तहसील में रेल की पटरियों के पास
पाई गई विस्फोटक सामग्री

1446. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की नामपाड़ा तहसील में रेल की पटरियों के निकट जुलाई, 1976 में कुछ विस्फोटक सामग्री पाई गई थी; और

(ख) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जांच पड़ताल जारी है परन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1447. श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर अब भी अत्याचार किये जा रहे हैं जैसे कि उन्हें कुओं से पानी न लिने देने तथा उनसे छुआछूत बरतना;

(ख) यदि हां, तो गत ६ महीनों में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत इस अवधि में किये गये अत्याचारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संचार अन्तर को दूर करना

1448. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और उसके विदेशी दर्शकों के बीच संचार में यदि कोई अन्तर है तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिये जाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्य के लिये देश में स्थापित किये गये संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन संगठनों को सरकार यदि कोई सहायता दे रही है तो वे क्या हैं तथा ये संगठन अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों को जो भारत का सही चित्र प्रस्तुत करें, सम्भव सीमा तक, आवश्यक सहायता देने की इच्छुक है। कम्यूनिकेशन सेंटर-इण्डिया सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत नवम्बर, 1975 में पंजीकृत इसी प्रकार का संगठन है। "समाचार" भी, जिसका काम समाचारों का संकलन और वितरण करना है, जनवरी, 1976 में संस्था के रूप में पंजीकृत हुआ था। दोनों संगठनों को सहायक अनुदान मंजूर किये गये हैं। कम्यूनिकेशन सेंटर--इण्डिया अन्य देशों में बुद्धिजीवियों और व्यावसायिक व्यक्तियों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ भी सम्पर्क स्थापित करने के काम में लगा हुआ है उक्त सेंटर भारत की विकास सम्बन्धी गतिविधियों तथा सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों पर पत्रिकाओं और प्रकाशनों का भेजना पहले ही आरम्भ कर चुकी है 'समाचार' राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के रूप में काम करने के अलावा, अपने विदेश स्कन्धका क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विस्तार कर रहा है। 'समाचार' ने अनेक देशों के साथ समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था पहले ही कर ली है और कई अन्य देशों के साथ वह बातचीत कर रहा है।

दिल्ली में प्रशासनिक निकायों का बाहुल्य

1449. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रशासनिक निकायों के बाहुल्य को कम करने के लिए कोई योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) (1) दिल्ली प्रशासन को आर्थिक तथा प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि करके (2) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण और क्षेत्राधिकार को युक्तिकरण के लिये, (3) इन संगठनों के कार्यों के प्रभावकारी समन्वय के लिये और (4) दिल्ली से सम्बन्धित मामलों के बारे में केन्द्रीय मन्त्रालयों के स्तर पर प्रभावकारी समन्वय के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में विचार करने तथा सिफारिश करने के लिये एक कृतिक बल गठित किया गया था।

विशेष दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता सेनानियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और परूपधारण के आरोप

1450. श्री झारखण्डे राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लगभग 400 स्वाधीनता सेनानियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और परूपधारण के आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) उत्तरप्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुलबर्ग, कर्नाटक में दूरदर्शन का रिले स्टेशन

1451. श्री एस० बी० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1976 में 'साइट' परीक्षण कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद भी कर्नाटक में गुलबर्ग में दूरदर्शन का रिले स्टेशन स्थापित करके 'साइट' कार्यक्रम को चालू रखा जाएगा; जिसके अन्तर्गत कर्नाटक के 400 ग्रामों के इस समय कार्यक्रम प्रसारित होता है; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन केन्द्र की कितनी क्षमता होगी और कितने क्षेत्र में कार्यक्रम देखे जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) संसाधनों की कमी के कारण, 'साइट' के अन्तर्गत आने वाले लगभग 40 प्रतिशत गांवों को स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से एक ट्रांसमीटर गुलबर्ग में लगाया जायेगा। यह ट्रांसमीटर कर्नाटक के लगभग 300 गांवों जिनमें "साइट" के 90 गांव शामिल हैं, में सेवा उपलब्ध करेगा।

(ख) बैंड 3 चैनल 7 पर काम करने वाला 100 मीटर लम्बे मास्ट सहित एक किलोवाट का एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर गुलबर्ग में लगाया जायेगा। इसकी रेंज 40 किलोमीटर होगी। उम्मीद है यह गुलबर्ग के इर्द-गिर्द लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा। इससे 300 गांवों की लगभग 6 लाख जनसंख्या को सेवा उपलब्ध होगी।

रक्षा प्रतिष्ठानों में सुपरवाइजर 'ए' टेक्निकल के वेतनमान

1452. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयुध कारखानों सहित अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में सुपरवाइजर 'ए' टेक्निकल के वेतनमानों के बारे में अभी तक अंतिम निणय नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा लिये जाने वाले अंतिम निर्णय को 1 जनवरी, 1973 से ही क्रियान्वित किया जायेगा, जैसा कि अन्य मामलों में किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल नरहर गाडगिल) : (क) सुपरवाइजर 'ए' टैक्निकल के वेतन-मानों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विस्तार

1453. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विस्तार करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान्। जब कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुख्यालय के लिए 36 अतिरिक्त पद पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं, सरकार विभिन्न उपक्रमों में नियुक्ति के लिए विभिन्न दर्जों के 6500 पदों के सृजन के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

कोका कोला बॉटलर्स का कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन से अलग होना

1454. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या उद्योग मंत्री कोका कोला बॉटलिंग प्लांट्स में क्षमता से अधिक उत्पादन के बारे में 5 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न सं० 221 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला बोतल भरने वालों को कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन से अलग कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या सरकार दो वर्ष की समय सीमा सुनिश्चित करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) कोका कोला बोटलर्स द्वारा अपना निजी पेय तैयार करने की संभाव्यता का निरन्तर पता लगाया जा रहा है। इसी संदर्भ में बोतल भरने वालों की एक बैठक 1975 में हुई थी। इस बात की आवश्यकता पर सभी एक मत थे कि सभी अमादक पेय उत्पादकों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले आयातित पदार्थों को बन्द करने के लिये कोशिश करनी चाहिए और इस दिशा में अनुसंधान और विकास करना आवश्यक है। बोतल भरने वालों को यह भी बताया गया था कि यदि वे अपना अमादक पेय बनाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी। केन्द्रीय सरकार खाद्य अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने कोका कोला के विकल्प का उत्पादन करने के लिये प्रौद्योगिकी विकसित की है तथा उसका परीक्षण किया गया है और उसे उपयुक्त पाया गया है। विकसित की गई प्रौद्योगिकी का लाइसेंस उचित/उपयुक्त उद्यमियों को दिया जा सकता है।

C.B.I. Inquiry against Gazetted Officers

1455. Shri Hari Singh : Will the **Prime Minister** be pleased to state the number of Gazetted Officers in the Ministries of Government of India against whom inquiry by the C.B.I. has not so far been completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, The Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : Enquiries against 278 Gazetted Officers in the Ministries of the Government of India are pending with the Central Bureau of Investigation.

तालचेर तापीय बिजलीघर का विस्तार

1456. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर तापीय बिजलीघर का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तालचेर ताप विद्युत् केन्द्र की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 250 मैगावाट है। इसमें 62.5--62.5 मेगावट की चार यूनिटें हैं। 110--110 मेगावाट की दो और यूनिट लगाकर इस केन्द्र का विस्तार किया जा रहा है। इन पर कार्य हो रहा है।

सीतामढ़ी, बिहार में आकाशवाणी की रिकार्डिंग यूनिट

1457. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीतामढ़ी, बिहार में आकाशवाणी की एक रिकार्डिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोका कोला/फेंटा के लागत-मूल्य का पता लगाया जाना

1458. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने कोका कोला/फ़ैंटा आदि का लागत मूल्य का पता लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफ़ारिशें क्या हैं और उन्हें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी० आई० ए० की गतिविधियाँ

1459. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता का एक पत्रकार सी० आई० ए० द्वारा उसे दिये गये कागज और अन्य जुगतों को उन्हें देने के लिए तैयार है, जैसा कि बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र, — के 10 जुलाई, 1976 के अंक में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या उक्त पत्रकार से कोई पूछताछ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). इस मामले में ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक

1460. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अभी हाल में बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में विद्युत् उत्पादन दक्षता में सुधार करने के तरीकों पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान ताप क्षमता से बिजली का अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिये गये थे :—

(1) ताप-विद्युत् संयंत्रों को नियत तौर पर तथा जबरन तौर पर बन्द किये जाने की अवधियों को कम करने के लिए दृढ कदम उठाये जाने चाहिएं।

(2) निवारक रख-रखाव प्रविधियों को वैज्ञानिक तरीके से शुरू करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

(3) मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य शीघ्रता से करने के लिए समुचित कार्रवाई की जानी चाहिएं।

(4) आंशिक तौर पर बन्द किये जाने की स्थितियों को कम करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए।

(5) खराबियों का पता लगाने और उनके लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारत हैवी इलक्ट्रीकल्स लिमिटेड और इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा के इंजीनियर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ विद्युत् केन्द्रों का दौरा करेंगे।

(6) रूसी और अमरीकी मशीनों के संदर्गत वाले फुटकर पुर्जों का भंडार भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड रखेगा और साथ ही अपनी मशीनों के लिए भी फुटकर पुर्जों का भंडार रखेगा।

(7) यह बात मान ली गई थी कि विभिन्न संवटक क्षेत्रीय आधार पर अपने ग्रिडों की समेकित कार्य व्यवस्था में आवृत्ति नियंत्रण, भार प्रेषण इत्यादि के संबंध में अनुशासन का पालन करें जिससे कि समेकित व्यवस्था से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(8) व्यवसायिक प्रबंध संबंधी प्रविधियां अपनाने और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की महत्ता स्वीकार की गई।

आग लगने से तारापुर परमाणु बिजलीघर को क्षति

1461. **श्री भाऊ साहेब वामनकर :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 जुलाई, 1976 को आग लगने से तारापुर परमाणु बिजली घर का एक ट्रांसफ़ार्मर पूरी तरह खराब हो गया ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) ट्रांसफ़ार्मर की मरम्मत करने / उसे बदलने में और उसे चालू करने में कितना समय लगेगा तथा उस पर कितनी लागत आएगी ; और

(घ) क्या आग लगने के कारण की जांच कर ली गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोजिनक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) से (ग). तारापुर परमाणु बिजलीघर के स्विचयार्ड के पास स्थित महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड का एक ट्रांसफ़ार्मर 12 जुलाई, 1976 को आग से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना से तारापुर परमाणु बिजलीघर के काम में कुछ घंटों के लिये बाधा पड़ी थी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड यह अनुमान लगा रहा है कि ट्रांसफ़ार्मर की मरम्मत के लिये कितना काम करना पड़ेगा, मरम्मत में कितना समय लगेगा तथा उस पर कितना खर्च आएगा। आग लगने की वजह ट्रांसफ़ार्मर के उपकरण की एक खराबी मालूम पड़ती है।

गिरिदीह कोयला खान में कोक भट्टी संयंत्र के पास पड़े हुए भण्डार से हार्ड कोक का कम हो जाना

1462. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिदीह कोयला खानों में कोक भट्टी संयंत्र के पास पड़े हुये भण्डार से 1,97,400 रुपये मूल्य के 2200 टन हार्ड कोक के कम हो जाने का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। 2177.80 टन कमी का पता चला है।

(ख) सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा मामले की जांच पड़ताल हेतु एक समिति नियुक्त की जा रही है।

फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

1463. श्री शंकरराव सावंत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़िल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(ग) क्या बोर्ड के सदस्यों के लिये कोई अर्हता निर्धारित की गई है, यदि हां, तो क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। इसके पहले कि फ़िल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, फ़िल्मों के स्तर में सुधार लाने के लिये सरकार सेंसरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा सम्बन्धित मामलों का आगे पुनरीक्षण कर रही है।

(ग) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति उनकी वैयक्तिक योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर उन व्यक्तियों में से की जाती है जो केन्द्रीय सरकार के विचार से लोगों पर फ़िल्मों के प्रभाव को आंकने में समर्थ हों।

सिविल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा कम किया जाना

1464. श्री रामभगत पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सचिवों के नवीनतम सम्मेलन में देश में सिविल कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा को कम करने की सिफ़ारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं। श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का आकाशवाणी द्वारा प्रचार

1465. श्री डालकृष्ण वैंकप्पा नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विशेषत: जिला, खंड और ग्राम स्तर पर सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके प्रचार के लिये आकाशवाणी द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के व्यवहारिक पक्ष के प्रचार के लिये सरकार ने कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ग) क्या खंड स्तर या जिला स्तर पर होने वाली 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम समिति की किन्हीं बैठकों के बारे में आकाशवाणी से मूल या सम्पादित रूप में कोई प्रसारण किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रों से यह कहा गया है कि वे क्षेत्र आधारित कार्यक्रम प्रसारित करें जिनमें 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर सरकारी और अर्ध-सरकारी एजेंसियों की गतिविधियों शामिल होती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी द्वारा काफ़ी संख्या में बाहरी प्रसारणों की व्यवस्था की गई है जिनमें स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्वेच्छिक और अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में प्रसारण किया जाता है। इस प्रकार की बैठकों के बारे में प्रसारण सम्पादित रूप में ही किये जाते हैं।

कृषि क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिका द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी

1466. **श्री रानेन सेन : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों ने कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) से (ग). भारतीय वैज्ञानिक देश में कृषि का विकास करने के लिये और कृषि की दर में वृद्धि तेजी लाने के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि विश्व-विद्यालयों, विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों तथा राज्य अनुसन्धान केन्द्रों के सहयोग से 50 समेकित परियोजनायें कार्यान्वित कर रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भूमि की उर्वरता को बढ़ाना तथा फ़सलों, पशुओं, और मछली की बेहतर किस्में विकसित करना भी है। विविध तथा विषम स्थितियों में (जैसे कि भूमि में नमी, खारेपन, आम्लता की अधिकता अथवा कमी अथवा मिट्टी का खारा होना आदि) के लिये उपयुक्त फ़सल की विभिन्न किस्में विकसित की जा रही हैं। कृषि तकनीकों को विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के अनुकूल बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिये नमी वाले क्षेत्रों और शुष्क क्षेत्रों के लिये अलग-अलग तकनीकें हैं। पौधों के जैनेटिक्स और जनन से सम्बन्धित अनुसन्धान के परिणामस्वरूप अधिक उपज देने वाली फ़सलों की किस्मों का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त, देश में वाणिज्यिक खेती कि लिये कपास की संकर किस्म तैयार की गई है।

अनुसंधान और क्षेत्रीय कार्य को उपयुक्त रूप में समन्वित किया जा रहा है। उर्वरकों और कीटनाशों जैसे परिष्कृत निवेशों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि अनुसन्धान ने कृषि की उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रभावित किया है।

तमिलनाडु में बिजली सप्लाई में कटौती

1467. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुछ महीनों से बिजली सप्लाई में 40 से 50 प्रतिशत तक कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इससे राज्य में औद्योगिक उत्पादन प्र भावित हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तमिलनाडु में विद्युत् के उपयोग पर 28 जुलाई, 1976 से कुछ प्रतिबन्ध लागू किये गये थे। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रति माह 250 यूनिट तक उपभोग करने वाले एल० टी० उद्योगों को छोड़कर, अन्य उद्योगों पर ऊर्जा की कटौती 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है। प्रति माह 250 यूनिट तक उपयोग करने वाले एल० टी० उद्योगों पर ऊर्जा की कोई कटौती नहीं है। एल० टी० उद्योगों को छोड़कर, जिनकी मांग में कटौती नहीं की गई है, मांग में कटौती 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अलग-अलग है। कृषि भारों और घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई कटौती लागू नहीं है।

(ख) औद्योगिक कार्यकलापों की गति को बनाए रखने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकार काफ़ी सतर्क है तथा उन्होंने सूचित किया है कि अनेक प्रकार के उद्योगों को कटौती से छूट दे दी गई है। कुछ उद्योगों के पास अपनी निजी उत्पादन व्यवस्था है।

मूलभूत विज्ञानों में सहयोग के बारे में भारत-सोवियत संघ समझौता

1468. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत विज्ञानों में सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम को दुगुना करने के लिये भारत और सोवियत संघ ने मास्को में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख). सोवियत विज्ञान अकादमी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच फरवरी, 1975 में हस्तांतरित वैज्ञानिक आदान प्रदान तथा वैज्ञानिक सहयोग के करार के अनुसरण में, भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की विज्ञान अकादमी के बीच एक कार्यकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। वैज्ञानिक आदान प्रदान तथा वैज्ञानिक सहयोग के कार्यक्रम के कार्यन्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु, सोवियत अकादमी के निमंत्रण पर, भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का एक शिष्टमण्डल अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में, 14 से 23 जुलाई 1976 के बीच सोवियत संघ गया। इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में दोनों पक्षों द्वारा अत्यधिक सन्तोष व्यक्त किया गया। दोनों शिष्टमंडलों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में सहमति प्रकट की :—

(1) सोवियत संघ और भारतीय सुविधाओं को उपयोग में लाते हुये रेडियो खगोलिकी, जिसमें अत्यन्त दीर्घ आधार-रेखा व्यक्तिकरणमिति (इंटर-फेरोमीटरी) गवेषणायें भी शामिल हैं।

(2) न्यूट्रिनो खगोलिकी, जिसमें न्यूट्रिनो प्रस्फोटों, उच्च ऊर्जा अन्तरिक्ष विकिरणों आदि के संसूचन शामिल हैं ;

(3) अक्रिस्टलीय पिंडों, द्रव क्रिस्टल कांच, अक्रिस्टलीय सामग्री आदि का मांस बौअर, स्पेक्ट्रम विज्ञान।

(4) उत्प्रेरण

(5) सूक्ष्मजैविकीय रूपांतरण तथा जैव-रासायनिक इंजीनियरी

(6) सौर ऊर्जा

(7) अन्य क्षेत्र जैसे प्रकाश, संश्लेषण, पादप ऊतक संवर्धन, नव धातुकर्मीय तकनीकें और प्रक्रियायें तथा प्रायोगिक शैलविज्ञान ।

पोर्ट ब्लेयर स्थित सैलूलर जेल का संरक्षण

1469. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भूतपूर्व अंडमान राजनीतिक बन्दियों की ओर से हाल में कलकत्ता में आयोजित प्रेस सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसमें पोर्ट ब्लेयर स्थित पुरानी सेलूलर जेल और स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्ध ऐतिहासिक महत्व की अन्य इमारतों के रखरखाव और संरक्षण के बारे में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा न किये जाने की शिकायत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उल्लिखित आश्वासन क्या हैं तथा उन्हें पूरा न किये जाने की शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). सरकार ने 10 जुलाई, 1976 की प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसके अनुसार भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक बन्दी फ्रेटरनिटी सर्किल ने सन्देह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सैलूलर जेल के संरक्षण से सम्बन्धित निर्माण कार्य में विलम्ब हो सकता है। अभिप्राय जेल के सेन्ट्रल टावर तथा वर्तमान तीन स्कंधों के संरक्षण का है। इस प्रयोजन के लिये लगभग 4 लाख रुपये की लागत के अनुमानित निर्माण कार्य का अनुमोदन किया गया है और निर्माण कार्य चल रहा है। यह आशा की जाती है कि समस्त स्वीकृत कार्यक्रम अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

केन्द्रीय सूचना सेवा केडर के अधिकारियों द्वारा विरोध

1470. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के एककों और सेंसर संगठन में केन्द्रीय सूचना सेवा केडर के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो 1 अगस्त, 1976 को 58 वर्ष और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों की एसोसिएशन ने मंत्रालय में सूचना नीति निदेशक तथा क्षेत्र प्रचार निदेशक पदों से उन्हें वंचित रखने पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक विशेष सैल की स्थापना

1471. श्री एन० ई० होरो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई विशेष सैल स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के समय से धोखाधड़ी, ठगी, तथा दुरुपयोग के मामलों के साथ-साथ राज्यवार, काले धन के कितने मामलों का पता चला है और कितना लेखा बाह्य धन पकड़ा गया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). बैंकों में धोखाधड़ी से सम्बन्धित जटिल मामलों की जांच के लिये जनवरी, 1976 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली में एक विशेष एकक (यूनिट) स्थापित किया गया था । बैंकों में धोखाधड़ी से सम्बन्धित अन्य मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रादेशिक शाखाओं द्वारा की जाती है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 25-6-75 से 15-8-76 तक जांच के लिये हाथ में लिए गए बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या 91 है । इन 91 मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है :

विवरण

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 25-6-75 से 15-8-76 तक हाथ में लिए गए बैंकों में धोखाधड़ी के मामले ।

1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	12
5.	हरियाणा	1
6.	केरल	5
7.	कर्नाटक	4
8.	मध्य प्रदेश	3
9.	महाराष्ट्र	9
10.	उड़ीसा	2
11.	पंजाब	1
12.	राजस्थान	6
13.	तमिलनाडु	11
14.	उत्तर प्रदेश	13
15.	संघ राज्य क्षेत्र	3
16.	पश्चिम बंगाल	10
	जोड़	91

डेनमार्क के सहयोग से सुसज्जित फर्नीचर के कारखाने की स्थापना

1472. श्री सुखदेव प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क सरकार ने भारत में भारतीय फर्मों के सहयोग से एक सुसज्जित फर्नीचर कारखाना स्थापित करने में अत्यधिक रुचि जाहिर की है ; और

(ख) यदि हां, तो हिस्सेदारी सहित करार का सारांश क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लकड़ी के फर्नीचर से सम्बन्धित एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की हाल की पश्चिमी योरूपीय देशों की यात्रा के दौरान डेनिश सरकार ने भारतीय पार्टियों के सहयोग से भारत में सज्जाकारी फर्नीचर का उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखलायी थी ।

(ख) विस्तृत विवरणों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों के नामों का राज्यों के समाज कल्याण विभागों द्वारा पंजीकरण

1473. श्री दशरथदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को उनके अपने समाज कल्याण विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों के नाम दर्ज करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को इसलिये आरम्भ करने का है ताकि समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के नाम विभिन्न रोजगार प्राधिकरणों को भेज सकें ; और

(ग) क्या किसी राज्य ने यह प्रणाली आरम्भ की है, और यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Atrocities on Harijans in Gujarat and Maharashtra

1474. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether three cases (2 in Gujarat and one in Maharashtra) of heinous atrocities on Harijans came to light as per Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1973-74 ;

(b) whether the members of Panchayat in Gujarat and the police in Maharashtra respectively failed to protect the affected Harijan families;

(c) whether any action has been taken against them ; and

(d) if so, the full facts in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reform and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) Yes Sir.

The following three cases of atrocities on Harijans have been discussed in detail in pages 186-189 of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes :—

(i) Incident of June 22, 1974 in village Ranmalpur, District Surendranagar in Gujarat in which two Harijans lost their lives ;

(ii) Incident of July 22, 1974 in village Mithagoda in District Surendranagar resulting in the death of one Harijan;

(iii) Incident of September 26, 1974 in village Dhakli, District Akola (Maharashtra) in which two Neo-Buddhist brothers were rendered blind.

(b) to (d). The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has observed that the members of the Panchayats of villages Ranmalpur and Mithagoda in Gujarat had failed to protect the interests of the Scheduled caster, He has also recommended that Panchayat members concerned may be suspended and debarred from contesting any election. The observations of the Commissioner has been brought to the notice of the State Government. Information about the action taken by the State Government in this regard is being obtained and will be laid on the Table of the House.

As regards the incident in village Dhakli in Maharashtra, the Commissioner has observed that, in the beginning, the role of the police was not helpful to the Scheduled Castes, and that strict action should be taken against the police personnel and the police patil. This has been brought to the notice of the State Government. According to the information furnished by them, the police patil of Village Dhakli was removed from service, with effect from the 30th May 1975. Departmental enquiries against one Police Sub-Inspector and two Head constables are in progress.

तमिलनाडु बन्नियार मन्द्रम मद्रास द्वारा अभ्यावेदन

1475. **श्री एस० राधाकृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु बन्नियार मन्द्रम मद्रास में वन्निया कुल क्षत्रिय जाति के, जो तमिलनाडु में एक बहुत पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन की जांच करने के लिये एक आयोग गठित करने के लिये एक अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Constitution of a Committee to consider the Cost and Price Structure of T. V. Sets

1476. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Electronics** be pleased to state :

(a) whether a high level committee has been constituted by the Electronics Department to consider the cost and the price structure of television sets ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the time by which the report of the Committee is expected to be brought out ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) The Committee, set up by the Department of Electronics, is headed by the Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices and secretarially serviced by the Information Planning and Analysis Group of the Electronics Commission. It includes senior officers from the Department of Defence Supplies and the Cost Accounts Branch of the Ministry of Finance as also technical specialists in TV receiver and picture tube technology. The Committee is to examine the cost and price structure of the T.V. receiver industry and suggest measures for reducing the prices of T.V. sets, without loss in quality. It is also to examine quality control measures practiced and after-sales service offered by T.V. receiver manufacturers and suggest ways in which they could be improved.

(c) By the end of November, 1976.

पौंग बांध

1477. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास नदी पर बनाये जाने वाले पौंग बांध की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये से बढ़ कर अब 700 करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह बांध कब तक पूरा होगा;

(घ) इससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई सम्भव हो सकेगी; और

(ङ) इससे कितने किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांध 30-5-1974 को पूरा हो गया था।

(घ) राजस्थान में 1.2 मिलियन हैक्टेयर
पंजाब और हरियाणा में 0.4 मिलियन हैक्टेयर।

(ङ) प्रथम चरण में पौंग बांध बिजली घर की प्रतिष्ठापित क्षमता 240,000 किलोवाट होगी।

महाराष्ट्र में एक्सरे फिल्मों की कमी

1478. **श्री वसंत साठे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विशेषकर महाराष्ट्र में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). सरकार को देश में विशेषकर महाराष्ट्र में एक्सरे फिल्मों की बेहद कमी होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० ऊटकमण्ड द्वारा किया जा रहा चिकित्सा एक्सरे फिल्मों का वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है। कम्पनी ने सन्यन्त्र स्तर पर और वितरकों के स्तर पर पर्याप्त स्टाक रख छोड़ा है। इसने वितरकों के स्तर पर होने वाली किसी भी अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में त्वरित सेवा केन्द्र भी स्थापित किये हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से कम्पनी किसी भी रेडियोलाजिस्ट की मांग की पूर्ति वितरकों के पास स्टाक न होने की स्थिति में भी कुछ ही दिनों में कर सकती है।

Loans and advances for industries in Backward areas

1479. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government had decided to grant subsidy of Rs. 10 crores in the form of central grants for industries in the dackward areas;

(b) whether there has been no uniformity in grant of subsidy to backward and advanced States ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to remove this imbalance and to grant more subsidy for backward areas of the backward States ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri A. P. Sharma) : (a) Yes, Sir.

(b) Subsidy is granted on the basis of performances and not on uniform basis.

(c) The required action in this regard has to be taken primarily by the various State Governments, since such subsidy is disbursed on performance. The Government of India have however been in close touch especially with the State Governments where the impact of the scheme has not been appreciable so as to suitably guide them to improve their performance. Minister of Industry has already written in this regard to the Chief Ministers of such States.

दिल्ली हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट के बारे में जांच पड़ताल

1480. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री एम० कल्यामुत्तु :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मई, 1976 को दिल्ली हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट के बारे में की गई जांच पड़ताल के सिलसिले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) जांच पड़ताल कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) जांच पड़ताल पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). तक जांच पड़ताल अभी तक जारी है। अपराध के सम्भावित प्रशाखन को ध्यान में रखते हुए यह बताना सम्भव नहीं कि किस तारीख तक जांच पूरी हो जायेगी। इन्टरपोल से भी सहायता मांगी गई है। ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

आसनसोल–रानीगंज रहने के लिए असुरक्षित

1481. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-वैज्ञानिकों तथा खनन विशेषज्ञों ने बाराकर तथा आसनसोल-रानीगंज के कुछ भागों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में रहने वाले दो लाख व्यक्तियों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). खान सुरक्षा महानिदेशक ने 1973 में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले समय-समय पर सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सूचित किया था कि भूमिगत खनन कार्य होने के कारण बाराकर और रानीगंज शहरों के कुछ इलाकों, छोटा ढेमो, कैंडा, फतेपुर, पानकियारी, सेंक्टोरिया, केंदुरा, शिवपुर, घोबागान, बोराचक, जमुडिया, छतिन्डांगा, क्वार्डी, हरीपुर, पलासबन और आसनसोल रानीगंज एरिया के नन्दी गांव रिहायश के लिए सुरक्षित नहीं हैं। इन इलाकों में लोगों को बसने से रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है और की जा रही है। भारत सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्र सहित समूचे कोयला खनन क्षेत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ आवास निर्वाह की समस्या पर विचार करने के लिए जनवरी, 1976 में एक समिति गठित की है।

पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट नियतन

1482. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में धन का विशेष आवंटन किया है; यदि हां, तो राज्यवार, यह आवंटन कितना किया गया है; और

(ख) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहाड़ी राज्यों ने अपने क्षेत्र में रेलगाड़ी चलाने के लिए केन्द्र से विशेष आवंटन करने को कहा है; यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) पांचवीं योजना में देश के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिनमें इन क्षेत्रों में विकास के प्राथमिक क्षेत्रों पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1974–77 में विभिन्न राज्यों को 76 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। पांचवीं योजना की बाकी अवधि के लिए आवंटनों को इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) उत्तर-पूर्वी परिषद के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों ने यह प्रस्ताव किया है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कम से कम एक रेलवे स्टेशन बनाया जाय जिससे कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सुविधा हो तथा आर्थिक, प्रशासनिक और सामरिक आवश्यकताओं की दृष्टि से ये क्षेत्र सुदृढ़ हो सकें। तदनुसार, इस क्षेत्र में आठ रेलवे अनुभाग बनाने के बारे में सर्वेक्षण आरम्भ कर दिए गए हैं। इस समय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट नियतन

पहाड़ी क्षेत्र—राज्यवार आवंटन

(करोड़ रुपए)

	1974-75	1975-76	1976-77
पश्चिम बंगाल . . .	2.50	2.50	3.00
असम . . .	3.00	3.00	5.00
उत्तर प्रदेश . .	12.00	12.00	22.00
तमिलनाडु . . .	1.00	1.00	1.50
पश्चिमी घाट क्षेत्र . .	1.50	1.50	4.50
	20.00	20.00	36.00

दिल्ली में मूल्यों में स्वैच्छिक कटौती

1483. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दुकानदारों ने प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ पर अपनी वस्तुओं के मूल्य स्वेच्छा से 10 से 50 प्रतिशत कम कर दिये हैं ,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन दुकानदारों ने अपनी वस्तुओं के मूल्य इस घोषणा से कुछ ही समय पूर्व बढ़ा दिये थे और लोगों तथा सरकार को धोखा देने के लिए ही मूल्य घटाये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दिल्ली के दुकानदारों ने प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आम तौर पर अपनी वस्तुओं के मूल्यों में कमी की है। परन्तु मूल्यों में यह कमी अलग-अलग व्यापार में अलग-अलग प्रतिशत में की गई है। उदाहरण के लिए दिल्ली राज्य फुटकर कपड़ा व्यापारी संघ ने 5 से 15 प्रतिशत तक की कमी करने, सेण्ट्रल रेडियो तथा इलैक्ट्रानिक एसोसियेशन ने 2 प्रतिशत की कमी करने, नई दिल्ली व्यापारी एसोसियेशन ने 1—2½ प्रतिशत की छूट देने तथा दिल्ली राज्य कापी निर्माता एसोसियेशन ने अपनी कमीशन में 20 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव किया।

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

सहकारी समितियों का कार्यकरण

1484. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1976 के समाचार पत्र में "फ़ंक्शानग आफ़ को-आपरेटिव एसेल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिए सहकारी समितियों में क्या सुधार किये जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये सरकार का विचार समस्त देश में समान कानून बनाने का है; और

(घ) सहकारी समितियो की सदस्यता बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जिन महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है तथा जिन पर गम्भीरतापूर्वक-ध्यान दिया जा रहा है वे हैं—प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को पूणकालिक कर्मचारियो वाले आत्म निर्भर बहु-उद्देशीय सोसायटियों के रूप में पुनर्गठित करना, उनकी सदस्यता सर्वसाधारण के लिए सुलभ करना, उनकी ऋणदायी नीतियों तथा कार्यविधियों को सरल तथा कारगर बनाना, जिसमें कमजोर वर्गों को सहायता देने पर बल दिया जाना है तथा इन सोसायटियों के प्रबन्ध में कमजोर वर्गों को शामिल करना ।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में वर्णित विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक तथा कानूनी कार्यवाही की जानी है और इस बारे में उन्हें मार्गदर्शक सिद्धान्त भेज दिये गये हैं ?

(घ) प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटियों की सदस्यता कानूनी व्यवस्थायें करके प्रशासनिक कारवाई करके और इन सोसायटियो के प्रबन्ध में कमजोर वर्गों को कानूनन शामिल करके सबके लिए खोली जा रही है, जिससे कि विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोग इनके सदस्य बन सकें।

भारतीयों द्वारा विदेशों में खोले गये बैंक

1485. **श्री हरी सिंह :**
श्री झारखंडे राय :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने चालू वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशों में खोल रखे सत्तर बैंक खातों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने/कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) हाल ही के पिछले दिनों में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भारत में रह रहे व्यक्तियों द्वारा विदेशों में बैंक के खाते रखने के अनेक मामलों का, जो प्रथम दृष्टया अनधिकृत मालूम होते हैं, पता लगाया गया है ।

(ख) इस स्टेज पर मामले के तथ्यों तथा उसमें ग्रन्तर्ग्रस्त राज्यों के बारे में ब्यौरा दिया जाना, इन मामलों की जांच पड़ताल के हित में नहीं होगा।

(ग) जांच पड़ताल पूरी होने पर, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संगत उपबन्धों के अनुसार समुचित कारवाई की जायेगी ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

1486. **श्री राजदेव सिंह : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का कार्य सन्तोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकरण में सुधार करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के साथ संयुक्त क्षेत्र की परियोजना में भाग लेने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या इस संयुक्त क्षेत्र के लिए 'भदोही वूलन्स' के नाम की एक नयी कम्पनी बनाने का प्रस्ताव किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) कर चुकाने के पश्चात ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का गत चार वर्षों का लाभ निम्नलिखित रहा है :—

1972 . . .	रु० 26.98 लाख
1973 . .	रु० 42.10 लाख
1974	रु० 5.78 लाख
1975	रु० 54.94 लाख

'भदोही वूलन्स' नाम की एक नयी कम्पनी स्थापित की गई है, जिसकी प्रदत्त पूंजी का 25 प्रतिशत भाग ब्रिटिशि इण्डिया कारपोरेशन द्वारा तथा 26 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा दिया जाएगा। बी० आई० सी० अपनी फ़ीस लेकर इस नयी कम्पनी को तकनीकी जानकारी भी देगी। नयी कम्पनी गलीचे बनाने का कार्य भी करेगी। बी०आई०सी० ने इस संयुक्त उपक्रम में भाग लेने का निर्णय किया है, क्यों कि यह कम्पनी बी० आई० सी० से कारपेट यार्न लेगी जो इस कम्पनी के उत्पादों में से एक है, तथा आशा है कि निविष्ट पूंजी पर इससे पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा।

कृत्रिम अंग बनाने वाले कारखानो को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

1487. **श्री राम सहाय पाँडे : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कृत्रिम अंग बनाने के कारखानों की स्थापना के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, कानपुर नामक भारत सरकार का एक उपक्रम मध्यप्रदेश राज्य सरकार की सहायता से कृत्रिम अंग लगाने के लिए इन्दौर, भोपाल और जबलपुर में मेडिकल कालेज से सम्बद्ध तीन केन्द्रों की स्थापना करेगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा आर्टिफिशियल लिम्बस कारपोरेशन आफ़ इण्डिया के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौते के अनुसार, इन केन्द्रों की स्थापना करने के लिये दोनों समान आधार पर उतना ही अनुदान देंगे। यह कारपोरेशन इन केन्द्रों को आवश्यक तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा कानपुर स्थित सन्यन्त्र में निर्मित हिस्सों-पुर्जों की व्यवस्था करेगी।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्यों को सहायता

1488. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्र ने कुल कितनी सहायता दी है; और

(ख) क्या धन की कमी के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को कठिनाई हो रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शंकर घोष (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित सहायता के रूप में दी जाती है और वह किसी विशिष्ट कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती।

(ख) वित्तीय आवंटन के आधार पर और साथ ही विगत निष्पादन, विद्यमान अध्ययन कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं के अधिकतम उपयोग की सम्भावनाओं, राज्य में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति की सम्भाव्यता आदि के आधार पर राज्यों से परामर्श करके राज्य योजनाओं के लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं।

उद्योगों में भट्टी तेल के स्थान पर कोयले के उपयोग की योजना

1489. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश उद्योगों में भट्टी तेल के स्थान पर कोयले के उपयोग की योजना में बहुत कम प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख). जी नहीं। एक ओर तो भट्टी तेल की लागत में वृद्धि तथा दूसरी ओर कोयले व रेल यातायात की आसानी से उपलब्धियों के फलस्वरूप कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां भट्टी तेल की जगह कोयले का उपयोग करने लगी हैं और करने जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप 1975–76 के दौरान विदेशी मुद्रा के रूप में 27.5 करोड़ रुपए के मूल्य के 4.5 लाख टन भट्टी तेल की बचत हुई है। 1976–77 के दौरान भट्टी तेल की बचत बढ़कर 7.8 लाख टन होने की आशा है।

केरल की नारियल जटा का विकास

1490. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1974 के दौरान केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ तथा वित्तीय सहायता के लिए नारियल जटा विकास योजना हेतु कोई पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या केरल सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव का अभी तक अनुमोदन नहीं किया है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) केरल सरकार ने 10-12-1974 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें विद्यमान कायर सहकारी समितियों के लिए तथा नई प्राथमिक कायर सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सहायता की प्राक्कल्पना की गई है, जिस पर 41.72 करोड़ रु० का व्यय आयेगा। प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार करने के पश्चात् इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि राज्य सरकार विद्यमान कायर सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर ध्यान देगी तथा नई कायर सहकारी समितियां बनाने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक विद्यमान जीव्यक्षम कायर सहकारी समितियों को आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टि से जीव्य नहीं बना दिया जाता। तदनुसार राज्य की विद्यमान जीव्यक्षम कायर सहकारी समितियों को पुन सशक्त करने के लिए 4.31 करोड़ रु० की एक विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी। राज्य सरकार को 3 करोड़ रु० की राशि दी जा चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में चीनी कारखाने के कार्यकरण के बारे में अध्ययन

1490क. श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी कारखानों के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी हां; महाराष्ट्र में मुख्य रूप से चीनी कारखानों को गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति करने से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था।

(ख) अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष तथा सुझाव ये हैं--(क) विभिन्न चीनी कारखानों के लिए गन्ने के क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए; (ख) राज्य में गन्ना अनुसंधान कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए; (ग) प्रत्येक चीनी कारखाने द्वारा गन्ना विकास कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; (घ) चीनी कारखानों के क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए; (ङ) खरीद कर की वसूली में से कम से कम 50 प्रतिशत भाग एकमात्र गन्ना विकास कार्य तथा गन्ना अनुसन्धान कार्य के लिए रखा जाना चाहिए; (च) एक अक्षय राहत निधि बनायी जानी चाहिए जिसमें सहकारी सोसायटियां भी अंशदान दें; (छ) राज्य में गन्ने का कम से कम क्षेत्रवार समान मूल्य होना चाहिए तथा (ज) भविष्य में किसी चीनी कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश करने से पहले गन्ने की सुलभता ठीक-ठीक कार्यांकन कर लिया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने इस अध्ययन दल की रिपोर्ट की जानकारी महाराष्ट्र सरकार को दे दी है, जो इन सिफारिशों से मुख्य रूप से सम्बन्धित है।

मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये राज्यों को निर्देश

1490ख. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस मामले में कितने राज्यों ने कार्यवाही की है; और

(घ) इन उपायों से मल्य वृद्धि किस सीमा तक रुकी है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) वर्ष 1976–77 का बजट पेश करने से पह,ले राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे बजट के महीने को 'सतर्कता मास' के रूप में मनायें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिलती रहें। 15 जून, 1976 को नागरिक पूर्ति और सहकारिता राज्य मन्त्री ने सभी मुख्य मन्त्रियों/राज्यपालों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे यह आग्रह किया गया था कि वे जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और दूसरे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ उपयुक्त कदम उठायें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी अवांछनीय गतिविधियों से मूल्य न बढ़ें। उसके बाद 16 जून, 1976 को गृह मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुदेश जारी किये गये कि वे सतर्क रहें और जमाखोरों आदि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और इसके लिए वे जहां कहीं आवश्यक हो, आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम का प्रयोग भी कर सकते हैं।

राज्य सरकारों ने केन्द्र के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को कार्य रूप दिया है और प्रवर्तन उपाय तेज कर दिये हैं। इन उपायों से मूल्य वृद्धि को रोकने में मदद मिली है।

कमजोर वर्गों को वितरित करने हेतु आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का सुझाव

1490ग. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने केन्द्र को सुझाव दिया है कि कुछ प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया जाये ताकि उन्हें कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी०जार्ज) (क) भारत सरकार को इस सुझाव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड की विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1491. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री राम भगत पासवान :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की विशेषज्ञ समिति ने बाहरी गन्दगी हटाने और अच्छे किस्म के कोयले की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक खुले मुंह वाली कोयले की बड़ी खान में कोयला तैयार करने का संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या समिति ने धोवन उद्देश्यों के लिए मैगनेटाइट का उपयोग करने में धोवनशालाओं की कठिनाइयों को दूर करने हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा एक केन्द्रीय मैगनेटाइट संयंत्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया है;

(घ) समिति ने अन्य सिफारिशें क्या की हैं; और

(ङ) सरकार ने उनको कहां तक स्वीकार किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ऐसी किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ). सवाल नहीं उठता।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित होने के बारे मे राज्यों की प्रतिक्रिया

1492. **श्री वसन्त साठे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित होने के बारे में उनके विचार पूछे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने उक्त प्रस्ताव पर अपने विचार भेज दिये हैं; और

(ग) राज्यो के, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के विचारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह का मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-11218/76]

उड़ीसा में समेकित जनजाति विकस परियोजनायें

1493. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अब तक कौन-कौन सी समेकित जनजाति विकास परियोजनाएं पूरी कर ली हैं; और

(ख) प्रत्येक समेकित जनजाति विकास परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उड़ीसा सरकार ने चार परियोजनाओं अर्थात् कप्तीपाड़ा बोनई, कओन्झाड़–I तथा कओन्झाड़–II के बारे में समेकित आदिवासी विकास परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली हैं।

(ख) सभी समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए राज्य योजना संसाधनों से आवंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :—

	रुपये करोड़ों में
1974–75	17.95
1975–76	22.55
1976–77	20.13 (प्रस्तावित)

प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित की गई धनराशि उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में जन-जाति विकास के लिये उपयोजना हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि

1494. श्री गिरधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को जनजाति विकास के लिए उप-योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 1974–75 तथा 1976–77 में उनके मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को यह धनराशि सहायता के रूप में दी गई थी अथवा अनुदान के रूप में; और

(ग) उड़ीसा सरकार ने नीति निर्णय के अनुसार उपयोजना के अन्तर्गत इन वर्षों में राज्य-क्षेत्र से कितनी धनराशि व्यय की ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं पांचवीं योजना अवधि में तैयार की गई हैं। पहले तीन वर्षों के दौरान दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

	(रुपये करोड़ों में)
1974–75	0.86
1975–76	2.92
1976–77	1.33 (आज तक)

1976–77 के दौरान उड़ीसा की कुल पात्रता 5.32 करोड़ रुपये है।

(ख) विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों के लिए एक अनुदान है और क्षेत्र में आदिवासी विकास के लिए राज्य के अपने प्रयत्न के लिए पूरक है।

(ग) उप-योजना क्षेत्र में राज्य योजना साधनों से उपयोग की गई व्यय राशि इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

1974–75	17.95
1975–76	22.55
1976–77	20.13 (प्रस्तावित)

पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण

1495. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी भारत में उन राज्यों के नाम क्या हैं जो ग्रामीण विद्युतीकरण के मामलों में बहुत पीछे हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का द्रुत विद्युतीकरण करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण की अखिल भारतीय औसत में, पूर्वी भारत में असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल पिछड़े हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पूर्वी/उत्तर-पूर्वी राज्यों की राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों तथा केन्द्र के संबंधित विभागों से समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें लागू करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, जो कि ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक ऋण सहायता देता है, कलकत्ता, पटना तथा गौहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ताकि पूर्वी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों के साथ अधिक निकट से सहयोग स्थापित किया जा सके तथा ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम तैयार करने में उन्हें आवश्यक सहायता व मार्ग-दर्शन प्रदान किया जा सके। इससे, इस क्षेत्र के बोर्ड तेजी के साथ अधिक जीवन क्षम ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं तैयार कर सकेंगे जो निगम के विचारार्थ भेजी जा सकें। तीनों क्षेत्रीय कार्यालयों का पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य इंजीनियर के प्रभाराधीन एक क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है।

Television Centre in Madhya Pradesh

1496. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh has submitted a proposal for setting up a television centre in the State ; and

(b) if so, the decision taken by the Centre in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Some correspondence has been going on with the Government of Madhya Pradesh in connection with the setting up of a TV transmitter in the State.

(b) It has been decided to set up a TV transmitter at Raipur to provide TV transmission to SITE villages in the area, as a part of the SITE continuity programme.

Electronics Industry in M.P.

1497. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Electronics** be pleased to state :

(a) whether it have been revealed by the surveys conducted by industrial and technical organisations that there is good scope for electronics industry in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No specific survey report has been received by Government.

(b) Does not arise. However, the Electronics Commission, as part of its general programme to nucleate and develop electronics activities in the various States of the country, has taken certain initiatives and been holding discussions with authorities in Madhya Pradesh.

Loan to Madhya Pradesh for Electric Transmission Lines

1498. Shri G. C. Dixit : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh has been given loans for laying electric transmission lines; and

(b) if so, the amount of loans given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The following loans have been released to the Government of Madhya Pradesh by the Central Government for the construction of inter-State transmission lines :

Name of Line	Amount (Rs. lakhs)
(i) Rihand-Morwa-Amarkantak 132 kV—Stringing of second circuit	71·94
(ii) Satpura-Ambazari 220 kV S/C on D/C towers	130·60
(iii) Chandni-Bhusawal 132 kV—stringing of second circuit	21·10
(iv) Bodhghat-Balimela 220 kV S/C	1·50
TOTAL	225·14

Issue of letters of intent for setting up industries in M.P.

1499. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of letters of intent issued for setting up industries in Madhya Pradesh during the Fifth Plan period ; and

(b) the names of the industries to be set up and the locations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri B. P. Maurya) : (a) 97 letters of intent were issued during the calendar years 1974, 1975 and January-June, 1976 for the establishment of industries in Madhya Pradesh.

(b) The details of letters of intent including names of the industries and location etc. are being published in "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", "Indian Trade Journal", "Journal of Indusry and Trade" and "Monthly List of Letters of Intent and Industrial Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

Assistant sought by Rajasthan for Fifth Plan

1500. **Shri M. C. Daga :** Will he Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Government have requested for an additional amount of Rs. 50 crores for the State for the last wo years of Fifth Plan ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Shankar Ghosh) : (a) The Planning Commission has not received any request from the Goverment of Rajasthan for an additional amount of Rs. 50 crores for the remaining two years of the State's Fifth Plan.

(b) Does not arise.

प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना

1501, **श्री डी० बी० चन्नगौडा ।**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सरकार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सेवा के सम्बन्धी मामलों में प्राप्त अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

(क) सरकार जिन अस्थायी प्रस्तावों पर विचार कर रही है; वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से अनुशासनिक कार्रवाई और वरिष्ठता पदोन्नति, वेतन तथा भत्ते आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में सभी सेवा के मामलों पर अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्ताव है कि कुछ मामलों को जिन्हें नीचे दिया गया है, अधिकरणों के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जा सकता है :—

(क) तैनाती तथा स्थानान्तरण

(ख) सेवाओं का आवंटन

(ग) संविधान के अनुच्छेद 311(2) (क) तथा (ग) के अधीन सेवा से बर्खास्तगी/हटाया जाना।

(2) सेवानिवृत्त व्यक्ति अथवा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित शिकायतों को अधिकरणों के समक्ष रखे जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(3) विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, एक अधिकरण दिल्ली में होगा जहां इसका मुख्यालय भी होगा और तीन बैंचें बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थापित की जा सकती हैं।

(4) प्रस्ताव है कि किसी अपील के अमान्य कर दिये जाने के बाद कर्मचारियों को प्रशासनिक पुनरीक्षा कराने अथवा किसी अपील पर कार्रवाई समाप्त किये जाने के बाद उन्हें अधिकरण के समक्ष पेश होने के विकल्प की अनुमति दी जाये।

(5) ऐसा प्रस्ताव है कि अधिकरण की स्थापना किये जाने के साथ ही साथ संविधान में संशोधन किया जाये, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जा सकें।

(6) अधिकरणों के निष्कर्षों को अन्तिम माना जायेगा और सरकार को उन्हें अस्वीकार करने अथवा उनमें संशोधन करने के कोई अधिकार नहीं होंगे।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

1502. श्री बलायार रवि : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने मद्रास स्थित अपने संयंत्र में एक्सरे, ग्रेफिक आर्टस अथवा इंडस्ट्रियल एक्स-रे फिल्म प्लांट बनाना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आयात की गई मशीनरी की लागत क्या है ; और

(ग) किन किन विदेशी फर्मों ने मशीनरी और सहयोग की पैशकश की थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ऊटकमण्ड, के पास इस समय मद्रास में निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं किन्तु कम्पनी का विचार मद्रास में चिकित्सा एक्सरे औद्योगिक एक्स-रे ग्राफिक आर्ट्स और सिनेमा की रंगीन पाजिटिव फिल्मों के जम्बो रीलों को बदलने सम्बन्धी सुविधायें स्थापित करने का है।

(ख) मद्रास में प्रस्तावित सुविधाओं के लिये आयातित मशीनों की अनुमानित लागत करीब 55 लाख रुपये है जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 29 लाख रुपये होगा।

(ग) उपकरण और तकनीकी सहायता के लिये कम्पनी को जापान, ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के एम० क्यू० सी० डिवीजन का एक किराये की इमारत में कार्य करना

1503. **श्री बयालार रवि :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा का एम० क्यू० सी० डिवीजन एक किराये की इमारत में कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रति वर्ष किराये पर कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री; परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में इमारतदार इलाके की अत्यन्त दुर्लभता के कारण, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के द्रव्य तथा गुण नियंत्रण प्रभाग (एम० क्यू० सी० डिवीजन) का एक भाग तीन वर्षों के अधिक समय से नालनचीरा में एक किराये की इमारत में कार्य कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल 25,200 वर्गफुट है ।

(ग) प्रति वर्ष किराये पर 36,000/- रुपये की राशि खर्च की जाती है ।

दिल्ली में दुकानदारों द्वारा बची जाने वाली वस्तुओं पर मूल्यों की पर्चियां लगाया जाना

1504. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दुकानदारों को अपनी दुकानों में बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ मूल्य पर्ची लगाने का निर्देश दिया गया है जिससे सौदेबाजी न हो सके ;

(ख) क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अधिक मूल्य नहीं ले रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दिल्ली में 19 सितम्बर, 1975 से दुकानदारो को वस्तुओं के मूल्य लगाने के निदेश दिये गये हैं । केवल उन वस्तुओं को छोड़ा गया है, जिन पर पहले से मूल्य छपे हुये हैं या जिनके बारे में मूल्य लगाने से छूट दी गई है ।

(ख) व (ग). दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने के लिये शक्तियां प्रदान की हैं कि लगाये गये मूल्यों से अधिक दाम न लिये जायें । जनवरी—जुलाई, 1976 के दौरान 10413 छापे मारे गये और दोषी व्यक्तियो के विरुद्ध 238 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

उड़ी पनबिजली परियोजना

1505. **श्री सैयद अहमद आगा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर सरकार ने उड़ी पनबिजली परियोजना विषयक एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर सरकार ने उड़ी जल-विद्युत् परियोजना के बारे में प्रथम प्रस्ताव सितम्बर, 1974 को भेजा था। उसके बाद, दो वैकल्पिक प्रस्ताव क्रमशः सितम्बर, 1975 और दिसम्बर, 1975 को भेजे थे। इन प्रस्तावों की केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों में जांच कर ली गई है। टिप्पणियों परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा प्राक्कलन को अद्यतन बनाने तथा परियोजना की विशिष्ट रूप-देखा को अन्तिम रूप देने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करने की सलाह उनको दी गई हैं।

राज्यों में प्रति व्यक्ति ऋणग्रस्तता

1506. **श्री के० माल्लन्ना :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण तथा नागरिक दोनों क्षेत्रों के लोगों की प्रति व्यक्ति ऋणग्रस्तता की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) गरीब जरूरतमन्द लोगों को ऋण उपलब्ध करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) बकाया ऋण के बारे में 30 जून, 1971 को प्रति ग्रामीण परिवार के अनुसार राज्यवार औसत राशि का जो विवरण रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट (1971–72) भाग––1 [आल इंडिया डेट एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट (1971–72) वोल्यूम- 1] प्रकाशित हुई है, उसका एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। बाद के वर्षों के बारे में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

जहां तक शहरी ऋणग्रस्तता का प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के श्रम-इतर कर्मचारियों के बारे में वर्ष 1970–71 (जुलाई––जून) की सूचना उपलब्ध है। सर्वेक्षण के परिणाम रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नवम्बर, 1974 के बुलेटिन में बताए गए हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1970- 71 के वर्ष के अन्त में प्रति परिवार औसत ऋणों की राशि 731 रुपये थी। शहरी जनसंख्या के अन्य वर्गों और प्रत्येक राज्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इसके अलावा, राज्यों द्वारा सहकारिता की व्यवस्था को पुनर्गठित और सुदृढ़ करने के लिए जो कार्यवाही की जा रही है उसका उद्देश्य भी यह सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध हो; इन वर्गों को ऋण देने के लिये सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने योजनायें बनाई हैं। इन बैंकों ने देश के चुने हुये पिछड़े राज्यों में विभिन्न ब्याज की दरें लेने की योजना बनाई है और खास कर छोटे/मझोले किसानों, कृषि श्रमिकों, शिल्पियो, आदि को ऋण देने के लिये देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये है।

विवरण

बकाया ऋण के बारे में 30 जून, 1971 को प्रति ग्रामीण परिवार के अनुसार राज्यवार औसत राशि :—

	(रुपये)
आंध्र प्रदेश	663.09
असम	187.53
बिहार	302.49
गुजरात	928.04
हरियाणा	924.73
हिमाचल प्रदेश	562.43
जम्मू व कश्मीर	357.89
कर्नाटक	788.37
केरल	369.42
मध्य प्रदेश	409.67
महाराष्ट्र	597.78
मणिपुर	102.60
मेघालय	14.78
नागालैण्ड	उ० न०
उड़ीसा	201.88
पंजाब	1083.95
राजस्थान	895.16
तमिलनाडु	695.00
त्रिपुरा	241.09
उत्तर प्रदेश	346.77
प० बंगाल	201.03
दिल्ली	629.64
अखिल भारतीय	503.07

स्रोत : अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट (1971-72) भाग--1, रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आल इंडिया डेट एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्वे--1971-72 वोल्यूम-1, रिजर्व बैंक आफ इंडिया)।

तापीय बिजली क्षमता का उपयोग

1507. **श्री बसंत साठे :**

श्री मुरासोली मारन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली क्षमता का उपयोग केवल 53 प्रतिशत ही है ;

(ख) गत वर्ष के दौरान तापीय बिजली क्षमता का उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में तापीय बिजली संयंत्रों की क्षमता के कम उपयोग में सुधारने के लिये राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). वर्ष 1975–76 के दौरान देश के सभी ताप विद्युत् केन्द्रों की औसत क्षमता उपयोगिता लगभग 53 प्रतिशत थी। राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध) । तापीय क्षमता के उपयोग में विगत दो वर्षों में, समग्र तौर पर, सुधार हुआ है तथा अनुरक्षण पद्धतियों के आधुनिकीकरण, सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकों की शुरुआत, मरम्मत कार्यों के युक्तिकरण, विद्युत् प्रणालियों के समेकित प्रचालन को बढ़ावा देना तथा रात्रिकालीन विद्युत् भार तैयार करना जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं ताकि इस दिशा में और सुधार हो सके ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम (प्रचुर ताप विद्युत क्षमता वाले राज्य)	*क्षमता का उपयोग प्रतिशत (संयंत्र भार अनुपात प्रतिशत)
1	आंध्र प्रदेश	52
2	असम	45
3	बिहार	43
4	गुजरात	61
5	हरियाणा	46
6	मध्य प्रदेश	67
7	महाराष्ट्र	39
8	उड़ीसा	33
9	पंजाब	32
10	दिल्ली	53
11	तमिलनाडु	42
12	उत्तर प्रदेश	62
13	पश्चिम बंगाल	45

*दर्शाये गये आंकड़ों तथा 100 के बीच के अन्तर को निम्नलिखित कारण विस्तार से स्पष्ट करते हैं :—

(क) सहायक क्षमता के रूप में अथवा अतिरिक्त क्षमता के रूप में अनुरक्षण के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं है ; इस सम्बन्ध में आवश्यकताओं की पूर्ति प्रतिष्ठापित क्षमता में से ही करनी पड़ती है।

(ख) इस भांति, उप-साधनों का रख-रखाव भी प्रतिष्ठापित क्षमता में से ही करना पड़ता है ।

(ग) जल-विद्युत् और ताप-विद्युत की पारस्परिक आदान-प्रदान, विशेषकर, उस समय जब कि सस्ती पड़ने वाली जल विद्युत् ऊर्जा का अधिकाधिक सहारा लेने के लिए ताप विद्युत् केन्द्रों पर निर्भरता कम करनी पड़ती है ।

(घ) रात में घटी हुई अव्यस्तकालीन मांग का प्रभाव ।

(ङ) पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बिजली की जबरन बन्दी का प्रभाव ।

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के अंग के रूप में पुनाप्रा वयालार आन्दोलन को मान्यता देना

1508. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के अंग के रूप में पुनाप्रा वयालार आन्दोलन को मान्यता देने के प्रश्न पर कोई अंतिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). मामला अभी तक विचाराधीन है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ इस आन्दोलन तथा कुछ अन्य आन्दोलनों के संबंध के निहितार्थ पर गहराई से अध्ययन किया जा रहा है और इस मामले में निर्णय बहुत शीघ्र लिये जाने की सम्भावना है ।

नीलाम्बुर केरल में एक जनजाति के उत्थान के लिये सहायता

1509. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के जनजाति कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सरकार से मालापुरम जिले में नीलाम्बुर के वनो की उस जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है जो गुफाओं में रहते हैं और कच्चे गोश्त, जंगली फलों तथा शहद पर निर्भर करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग). राज्य सरकार ने कोलनाइकनों के बारे में प्रारम्भिक नोट भेजा है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने पोशाकों, कम्बलों, रसोई के

बर्तनों की सप्लाई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर 1975-76 में 11000 रु० खर्च किये थे। इस वर्ष उनका एक लाख रुपये की लागत सेवन की छोटी-छोटी वस्तुओं इत्यादि के विपणन तथा उपभोग-भण्डारों इत्यादि की सप्लाई की व्यवस्था करने का विचार है। राज्य सरकार से इन समूहों के लिए व्यापक योजना तैयार करने तथा इसे भारत सरकार को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल का यूरोप तथा ब्रिटेन का दौरा और नारियल उद्योग के बारे में उसकी सिफारिशें

1510. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० पी० शर्मा० के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय व्यापार शिष्टमंडल अध्ययन करने के उद्देश्य से हाल ही में ब्रिटेन तथा पश्चिम योरोपीय देशों के दौरे पर गया था ;

(ख) यदि हां, तो नारियल जटा उद्योग के बारे में इसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या नारियल जटा विकास सहकारी फैडरेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) संभरण की नियमितता का सुनिश्चय करने के लिये कंयर के उत्पान की बाधाओं का विवरण किया जाना चाहिए। उद्योग सम्बन्धी तकनीकी जानकारी के स्तर को देशी अनुसंधन को दृढ़ आधार प्रदान करके तथा जहां आवश्यक हो विदेशी तकनीक का आयात करके और ऊंचा उठाया जाना चाहिए। उत्पादन विदेशी बाजारों के रुप को अनुरुप तत्काल उपलब्ध होने चाहिये तथा निर्यात बढ़ाने के प्रयासों को और गहन किया जाना चाहिए। निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये तथा कंयर के रेशे पर लगे 15 प्रतिशत निर्यात-शुल्क को हटा दिया जाना चाहिये। एफ० ए० ओ० जैसी एजेंसियों की सहाता से अंतर्राष्ट्रीय-सहयोग को और अधिक मजबूत करने के प्रयास किये जाने चाहियें जिनसे कंयर अनुसंधान कार्य का संवर्धन होगा और इससे वैकल्पिक कृत्रिम रेशों के मुकाबले इसे वरीयता मिलेगी।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को विद्युत् का आवंटन

1511. **डा० के० एल० राव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत् को राज्यो में आबंटित करने के लिए क्या सिद्धान्त अपनाए जाते हैं ; और

(ख) विद्युत पैदा करने वाली केन्द्रीय परियोजना कौन-कौन सी हैं तथा इस विद्युत को राज्यों में किस प्रकार आबंटित किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय मे उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : जो केन्द्रीय परियोजनाएँ इस समय विद्युत का उत्पादन कर रही हैं, वे ये हैं-- बदरपुर ताप-विद्युत् केन्द्र, राजस्थान अणु-शक्ति परियोजना, तारापुर अणु-शक्ति केन्द्र तथा नेवेली लिग्नाइटकारपोरेशन । तारापुर तथा नेवेली को छोड़ कर, इस समय बिजली का उत्पादन कर रहे शेष दो केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत का कोई सुनिश्चित आबंटन नहीं किया गया है तथा विभिन्न राज्यों की बिजली की आवश्यकताओं और उपलब्धियों के अनुसार ही, समय-समय पर आवंटन किए जाते हैं ।

केरल में आदिवासी लोगों का विकास

1512. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान केरल में आदिवासी लोगों के विकास पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आवंटन राशि पूरी-पूरी उपयोग की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : सूचना इस प्रकार है--

	आवंटन	व्यय
	(रुपये लाखों में)	
राज्य योजना स्कीमें	16.66	15.39
केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	19.00	20.21
योजनेत्तर	42.13	57.52

(ग) राज्य योजना स्कीमों के अधीन कमी इस तथ्य के कारण है कि वीनाद डेरी विकास स्कीम शुरु नहीं की जा सकी ।

केरल द्वारा वर्ष 1976-77 के लिये माँगी गई अतिरिक्त सहायता

1513. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चालू वर्ष 1976-77 के लिए राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय में सम्पूर्ण संसाधन अन्तर को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई अतिरिक्त सहायता मांगी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शंकर घोष : (क) जी, नहीं । परन्तु राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय ऋणों और ब्याज की वसूली मार्च, 1977 तक स्थगित कर दी जाए

(ख) और (ग) : राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

Expansion of Scooter Units

1514. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 1344 on the 28th January, 1976 regarding black marketing of scooters and state whether the existing units have also applied for permission to expand their capacity, and if so, the names of those units which have been given such permission ?

The Minister of Industry (Shri T. A. Pai) : M/s. Bajaj Auto Ltd. who submitted and application to expand their capacity from 48,000 to 100,000 scooters per annum have been granted an industrial licence on 15-7-1975 for expansion of their production capacity to 80,000 scooters (including three-wheelers). Earlier, both M/s. Bajaj Auto Ltd. and M/s. Automobile Products of India Ltd. were granted industrial licences on 23-2-1973 to expand their production capacity from 24,000 to 48,000 scooters (including three-wheelers) per annum. No further proposal for expansion of capacity for manufacture of scooters has been received by Government from any of the existing manufacturers.

Decontrol of the Distribution of Scooters

1515. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to decontrol the distribution of scooters, if so, by what time : and

(b) since when the control on the distribution of scooters has been in force ?

The Minister of Industry (Shri T. A. Pai) : (a) Statutory Control on the distribution and sale of all scooters except those produced by M/s. Bajaj Auto Ltd. and their licences, namely, 'Bajaj 150', 'Bajaj Chetak' and 'Priya' has been removed.

(b) 2nd September, 1960.

Production of Refrigerators

1516. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the percentage increase in the production of Refrigerators and other similar items following the reduction announced in excise duty; and

(b) the production figures for the years 1974-75 and 1975-76 ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri. B. P. Maurya) : (a) There was about 21% increase in the production of domestic refrigerators of capacity exceeding 100 litres but not exceeding 165 litres and water coolers during the 4 motnths period April, 1976 to July, 1976 compared to the production of both these items during the corresponding 4 months period last year.

(b) The production of Refrigerators (of all sizes) and water coolers for the years 1974-75 and 1975-76 is as follows :—

	Refrigerators (of all sizes)	Water coolers
1974-75	1,06,874 Nos.	5046 Nos.
1975-76	93,160 Nos.	6699 Nos.

Production of Television Sets

1517. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the **Minister of Electronics** be pleased to state :

(a) the percentage increase in the production of television sets following the reduction announced in excise duty ; and

(b) the production figures for the years 1974-75 and 1975-76 ?

The Prime Minsiter, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The reduction in excise duty was contained in the Union Budget for 1976-77 announced on March 15, 1976. Production returns from television receiver manufacturers for the months of April and May, 1976 indicate an increase of about 75 per cent as compared to the production during January to March, 1976.

(b) 1974-75 . . . . 74,000 sets.
1975-76 . . . . 87,150 sets.

CISF Posted in various Public Sector Undertakings

1518. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of jawans of the Central Industrial Security Force posted in various industries in the public sector ; and

(b) the annual expenditure incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The total strength of CISF is 21,734, which is deployed in 87 departmental and public sector undertakings.

(b) A sum of Rs. 10,36,76,530/- was spent on the Force during 1975-76.

Circulation of Newspapers

1519. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the circulation of all newspapers in the country has come down considerably ;

(b) whether in view of this, their quota of imported newsprint had been reduced and if so, by what percentage; and

(c) whether Government have issued orders or formulated a scheme whereunder the circulation of all newspapers can be scrutinized and if so, the time by which this scrutiny is proposed to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). According to the applications received so far for the allotment of the sprint for the licensing year 1976-77, the circulation of the newspapers has shown a rising trend. The newsprint policy for 1976-77 also provides for 5% additional quota to newspapers.

(c) Under Section 19F of the Press and Registration of Books Act, the Registrar of Newspapers is already authorised to conduct circulation checks and this is being done regularly.

Quantity of Newsprint Quota given to certain Newspapers in Madhya Pradesh

1520. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether circulation of newspapers published from Gwalior, Ujjain, Bhopal, Jhansi and Shahdol is shown as highly exaggerated where as their actual circulation is far less and if so, the present circulation thereof; and

(b) whether large quantity of newsprint Quota given to these newspapers is sold in black market and whether Government propose to conduct an enquiry into all such cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Out of 35 newspaper checked in Gwalior and Jhansi, ciecula-tion claimed was found to be higher than assessed in 3 cases. None of these three news-papers applied for newsprint quota in 1975-76. Circulation check of newspapers in the towns of Ujjain, Bhopal and Shabdol is due to take place shortly.

(b) No specific allegation of black marketing has been received.

उपग्रह शिक्षणात्मक दूरदर्शन परीक्षण को जारी रखना

1521. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन का विचार देश के अपने राष्ट्रीय उपग्रह के तैयार होने तक प्रयोग प्रौद्योगिकी उपग्रह (ए० टी० एस०) के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौते के समाप्ति के बाद भी उपग्रह शिक्षणोत्मक दूरदर्शन परीक्षण को जारी रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 31 जुलाई, 1976 को समझौते के समाप्ति के बाद हमारे अपने उपग्रह के तैयार होने तक समझौते की अवधि बढ़ाने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो परीक्षण को जारी रखने के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) से (ग) : उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग ('साइट'), जो केवल एक वर्ष की अवधि के लिए था, 31 जुलाई, 1976 को समाप्त हो गया है और इसे आगे जारी नहीं रखा जा रहा है । छः स्थलीय ट्रांसमिटर अर्थात् छः 'साइट' राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक ट्रांसमिटर स्थापित करके 'साइट' के अन्तर्गत आने वाले लगभग 40 प्रतिशत गांवों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है । इन ट्रांसमिटरों से जो कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जायेंगे । वे उपयुक्त परिवर्तन सहित उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के दौरान टेलीकास्ट किये जाने वाले कार्यक्रमों के विस्तार के रुप में होंगे ।

गुजरात में 20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1522. **श्री भोगेन्द्र झा** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में विशेष रुप से सूरत, मुहसाना तथा अहमदाबाद के जिलों के संदर्भ में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी बंधुआ श्रमिकों की प्रथा की समाप्ति, निर्धन व्यक्तियों को ऋण संबंधी राहत, भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम, बटाईदारों तथा अन्य खेतीहर मजदूरों के अधिकारों के बारे में प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : गुजरात राज्य में प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कायक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से संबंधित विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० -11219/76]

जाइलेंट वेली पनबिजली परियोजना

1523. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अन्य लाभ उठाने वाले पड़ौसी देशों

के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में साइलेंट वेली पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन की संभावना का पता लगायें ; और

(ख) यदि हो, तो उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). हाल ही में केरल सरकार को सुझाव दिया गया है कि जिन अन्य राज्यों को इस परियोजना से उपलब्ध होने वाली विद्युत् से लाभ हो सकता है उनके साथ विचार-विमर्श करके संयुक्त उपक्रम के रूप में इस परियोजना को कार्यान्वित करने की संभावना पर विचार करें। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को ऋण

1524 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से ऋण एवं अनुदान आदि के रूप में भारी धनराशि प्राप्त कर रहा है।

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है ;

(ग) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का अपने कर्मचारियों के साथ उच्चतम न्यायालय तक मुकद्दमा लड़ता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन मुकद्दमों में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा):(क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Legislation to Check Adverse Effect of Noise on Health

1525. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government proposes to bring forward a legislation to check adverse effect of noise on health ; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Sankar Ghose) : (a) and (b). At present there is no proposal to bring forward such legislation.

दक्षिण गुजरात के सेतम गाँव में दो भूमिहीन श्रमिकों की हत्या

1526. **श्री एम० कल्यामुतु** :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण गुजरात के सेतन गांव में दो भूमिहीन श्रमिकों की कथित हत्या की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने कृषि श्रमिकों ने भूमि सुधारों तथा न्यूनतम मजूरी को कार्यान्वित कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) : मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और इस के प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले

1527. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की करेंगे कृपा कि :—

(क) क्या गत दो वर्षों में कुछ विदेशियों सहित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बहुत से मामले दर्ज किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनसे इस संबंध में क्या कागजात बरामद हुये हैं ; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : जून, और जुलाई, 1976 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के लिए हाथ में लिए गए मामलों की संख्या जिन मामलों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन इन दो महीनों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई है, उन की संख्या वास्तव में अधिक है। यदि ऐसे मामले जिसके बारे में अथवा ऐसे व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में और आगे सूचना अपेक्षित है निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे ब्यौरे तथा विवरण जिन्हें मामले की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस स्टेज पर दिया जा सकता है, एकत्रित करके दिया जा सकता है।

(ग) जांच / न्याय निर्णयन की कार्यवाहियां पूरी होने पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संगत उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली में हवाई अड्डे पर आयात के सामान की कथित चोरी

1528. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आयात के सामान की कथित चोरी के लिए दिनांक 13 जून, 1976 के दैनिक समाचार पत्र में 'मोर एस्टेट्स एट एयरपोर्ट', शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई गिरफ्तारियों के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) आयात के सामान की चोरियों को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) दि इन्टरनेशनल एयरपोर्टस अथारिटी आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि एयरपोर्ट पर सामान्य सुरक्षा प्रबन्ध पूर्वोपाय विद्यमान हैं।

Promotion of Khadi Industry

1529. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme for the promotion of Khadi industry; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri A. P. Sharma) : (a) and (b). The development of khadi has always been an integral part of Government's policy for economic development of rural areas. In order to provide for the development of khadi and village industries, the Khadi and Village Industries Commission was set up in 1957. The work relating to the khadi industry is carried out through the agency of about 700 registered institutions, 24,000 cooperatives and 20 State Khadi and Village Industries Boards. In addition to ensuring optimum utilization of available inputs and greater employment and production, the Khadi and Village Industries Commission is also paying considerable attention to research and development and the marketing of the khadi in the country through various Khadi Bhavans and Bhandars.

बिहार द्वारा वर्ष 1976-77 के लिये भेजी गई अनुपूरक योजना

1530. श्री एम० एस० पुरती : क्या **योजना** मंत्री बिहार द्वारा 1976-77 के लिए भेजी गई अनुपूरक योजना के बारे में 28 अप्रैल, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 572 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) बिहार राज्य की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित 242.04 करोड़ रुपए के अलावा बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 37 करोड़ रु० की अतिरिक्त पूरक योजना की जांच की गई थी। योजना में शामिल कार्यक्रमों को देखते हुए और राज्य की संसाधन की स्थिति का भी विचार करते हुए इस वर्ष अतिरिक्त परिव्यय की स्वीकृति देना व्यवहार्य नहीं हो सका है।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नलकूपों को बिजली से चलाया जाना

1531. श्री एम० एस० पुरती : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1976 के एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार में धन की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति में तथा नलकूपों को बिजली देने के कार्य में भारी रुकावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) जी, हां ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण अनिवार्य रूप से राज्य का कार्यक्रम है । यह कार्यक्रम लागू करने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक ऋण सहायता देता है ।

बिहार की वार्षिक योजना में 1976–77 के लिए ग्राम विद्युतीकरण हेतु 11 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है । इसमें ग्राम विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये तथा राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 3 करोड़ रुपये का व्यय सम्मिलित है । वित्त व्यवस्था करने वाले अन्य संस्थानों से भी राज्य को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध हो सकेंगी ।

तमिलनाडु की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

1532. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 2 जुलाई को तमिलनाडु के राज्यपाल के सलाहकारों को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री [श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०–11220/76]**

विकासशील राष्ट्रों को औषध उद्योग के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी सहायता

1533. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने औषधियों के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है और यह विकासशील राष्ट्रों को भी प्रौद्योगिकीय सहायता देने की स्थिति में है ;

(ख) क्या भारत फार्मेसी, आर्गेनिक रसायन तथा रसायन इंजीनियरी में भी तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधायें देने में समर्थ है ;

(ग) क्या किसी देश ने भारत से इस प्रकार की सहायता मांगी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) :(क) भारत ने औषध और फार्मेस्युटिकल्स के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है और विकासशील देशों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्यूबा ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) से बहुप्रयोजनीय फार्मेस्युटिकल एकक लगाने के लिये रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु संपर्क स्थापित किया है । यूएनआईडीओ ने उक्त मामला भारत सरकार को भेजा है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की आय

1534. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की आय वर्ष 1971–72 में 10.5 प्रतिशत से धीरे धीरे घट कर वर्ष 1975–76 में एक प्रतिशत रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की आय 1971–72 में 10.5 प्रतिशत से घट कर 1975–76 में 2.61 प्रतिशत रह गई है ।

(ख) इस अवधि के दौरान निगम के कार्यों का प्रबन्ध बुद्धिमानी से किया गया नहीं लगता । तथापि, कुछ बातों के कारण घाटे हुए । 1972-73 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम से आयातित कच्चे माल के केनेलाइजेशन का व्यापार वापस ले लिया । प्रश्नास्पद अवधि के दौरान, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने कुछ फिल्मों की सीधी खरीद पर बहुत राशि खर्च की जो लाभकर सिद्ध नहीं हुई । भारतीय चलचित्र निर्यात निगम अपनी निर्यात गतिविधियों में भी परिवर्तन नहीं कर पाया ।

(ग) 1974-75 से आगे, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के प्रबन्धकों ने गतिविधियां बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं । फिल्मों की अनन्य सप्लाई के लिए अफगानिस्तान, बर्मा, ईराक तथा मालद्वीव के साथ पहले ही करार किए जा चुके हैं । ओमन और लीबिया के साथ भी करार किए गए हैं । कई अन्य देशों के साथ भी फिल्मों के निर्यात के लिए करारों को अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । फिल्म वित्त निगम के सब-एजेंट के रूप में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, निर्यात के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कुल 2½ प्रतिशत कमीशन में से अब 2 प्रतिशत कमीशन की हकदार है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय राशि का आवंटन

1535. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा कितनी धन राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) इस राशि में से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा शेष अप्रयुक्त राशि को उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या 'आफसीजन' में इन व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना अनुलग्नक में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11221/76]

(ख) कुल अनुमानित व्यय आरम्भिक आवंटन से ज्यादा है ।

(ग) ऐसी कोई योजनायें पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन नियमित नहीं की गई हैं ।

कर्नाटक तथा केरल द्वारा संयुक्त विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1536. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केरल राज्य के साथ मिलकर संयुक्त विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कहा है ताकि क्षेत्र में पन बिजली के संतुलन में सुधार लाया जा सके और मानसून के न होने पर सुरक्षात्मक उपाय की व्यवस्था की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

1537. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर कितना धन व्यय कर रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार 10+2 पद्धति के अन्तर्गत ग्यारहवीं कक्षा तथा बारवीं कक्षा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने का है; और यदि हां, तो इस योजना में कितना धन व्यय किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रु० और राज्य सरकार की निधि से 77 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। केन्द्रीय क्षेत्र कायक्रम में से राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1974–75 और 1975–76 के दौरान क्रमश: 10.05 करोड़ रुपये और 13.62 करोड़ रुपये दिये गये थे। केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन 1976–77 के दौरान राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 14 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें चौथी योजना के अन्त में वचनबद्ध व्यय के स्तर पर अपनी धनराशि से प्रतिवर्ष व्यय करती हैं, जो 15.40 करोड़ रुपये वार्षिक है ।

राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भिन्न-भिन्न शैक्षिक योजनाओं का संचालन करती हैं जिनमें 1 से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्र वृत्तियां देना शामिल है। राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1974–75 व 1975–76 में सभी शैक्षिक योजनाओं पर किया गया व्यय और 1976–77 के लिए निर्धारित किया गया व्यय इस प्रकार है :—

(रुपये लाख में)

1974–75	971.68
1975–76	1452.66
1976–77	1579.00

(ख) यह निर्णय किया गया है कि शैक्षिक वर्ष 1975–76 से शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के अधीन कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा की नई प्रणाली की कक्षा 10वीं के अन्त में सार्वजनिक परीक्षा के आधार पर इस योजना के अधीन मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं, बशर्ते कि वे योजना के नियमों के अधीन निर्धारित पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों। इस प्रयोजन के लिए 1975–76 से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की आशा है।

नागपुर स्थित सेंट्रल फूड टैक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीटयूट को मैसूर स्थानान्तरित किया जाना

1538. **श्री बसन्त साठे** : : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थित सेंट्रल फूड टैक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीटयूट के केन्द्र को मैसूर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित स्थानान्तरण की क्या आवश्यकता है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) :(क) जी नहीं। फिर भी, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (सी० एफ० टी० आर० आई०) मैसूर की कार्यकारिणी सभा ने इस बात का अनुमोदन किया है कि नागपुर स्थित एक्सपेरीमेन्टल स्टेशन (प्रायोगिक केन्द्र) को उनको बम्बई स्थित प्रायोगिक केन्द्र के साथ मिला दिया जाये क्योंकि वहां पर उपस्करों, उपकरणों और मूल सुविधाओं संबंधी व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी हैं।

(ख) नागपुर स्थित प्रौद्योगिक केन्द्र वर्ष 1961 में खोला गया था। इस समय वहां कार्य-भार इतनी मात्रा में नहीं है कि व्यय को न्यायसंगत माना जाय। आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय महत्व का कोई भी कार्य बम्बई स्थित केन्द्र द्वारा आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है।

(ग) इस संबंध में संस्थान से अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विकास तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन

1539. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में कुछ संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि सरकार कुप्रबन्ध वाली कम्पनियों के प्रबन्ध को बदल सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). उद्योगों में कुप्रबन्ध और संकटग्रस्तता दूर करने के लिए सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि अन्य बातों के साथ औद्योगिक उपक्रम वाली किसी कम्पनी को उसके निदेशक मण्डल के अध्यक्ष, किसी प्रबन्ध अथवा पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक को उसके पद से हटाने और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने सम्बन्धी आवश्यक निदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त कर सके।

पाँचवीं योजना में गुजरात के लिये नियतन

1540. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने पांचवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार से 200 करोड़ रुपये की और मांग की है ;

(ख) पांचवीं योजना में गुजरात के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई तथा यह राशि किन-किन मदों पर व्यय की गई ; और

(ग) मांगी गई राशि किन योजनाओं पर व्यय की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) से (ग). (क) में जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रकार का कोई अनुरोध हमें प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए (ग) का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) के संबंध में, गुजरात के लिए पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों की वार्षिक योजनाओं का आकार 600.33 करोड़ रु० का था। राज्य की पांचवीं योजना के परिव्यय के कुल आकार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पहले दो वर्षों में योजना परिव्यय जिन विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर व्यय किया गया है, वे हैं कृषि और सम्बद्ध सेवाएं, सहकारिता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, उद्योग और खनन, परिवहन और संचार, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और अभावग्रस्त क्षेत्रों पर किया गया व्यय आदि।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

1541. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास में कितने सरकारी कर्मचारियों को अनिवाय रूप से सेवा निवृत्त किया गया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लोक हित में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए जाने के सम्बन्ध में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही की सूचना एकत्रित की जाती है। 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाली तिमाही की सूचना पूरी नहीं है, क्योंकि वह अभी बहुत से मंत्रालयों तथा विभागों से प्राप्त होनी बाकी है। किन्तु 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली तिमाही की सूचना अधिकतर मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हो गई है। इस सूचना के अनुसार जनवरी से मार्च, 1976 के दौरान 157 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिनमें समूह 'क' के 19, समूह 'ख' के 43, समूह 'ग' के 86 और समूह 'घ' के 19 कर्मचारी शामिल हैं, लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए हैं।

कपड़ा मिलों/उद्योगों द्वारा तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग

1542. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री भान सिंह भौरा :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि कपड़ा मिलें/उद्योगों को चलाने के लिए तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग किया जाये तो उससे प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये की बचत होगी ;

(ख) क्या तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करने के बारे में केन्द्र के परामर्श को स्वीकार करने में उद्योगपति उदासीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। 1976–77 के दौरान इस खाते में विदेशी मुद्रा के रूप में तेल की बचत 48 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ख) व (ग) मुख्यत : वित्तीय कठिनाइयों, कोयला रखने के लिए जगह की कमी तथा चिमनी के धुएं से वायु-दूषण आदि की समस्याओं के कारण उद्योगों में तेल के बदले कोयला इस्तेमाल के कार्य को धीमा रखा गया है। सरकार इन पहलुओं पर विचार कर रही है ।

इण्डियन नेशनल सैटेलिट प्रोजेक्ट "इनसेट" आरम्भ करना

1543. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
मौलाना इसहाक सम्भली : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल सैटेलिट प्रोजेक्ट "इनसैट" आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या "इनसैट" व्यवस्था के लिये पहले राष्ट्रीय उपग्रह का निर्माण विदेशों में किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा, मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में अभी तक कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कोयला खान कम्पनियां और कम्पनी अधिनियम

1544. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह कोयला खान कम्पनियों और कम्पनी अधिनियम के बारे में 30 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1076 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अथवा केन्द्रीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल और बम्बई में सम्बद्ध आयुक्तों को उसी प्रकार का निदेश जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख) : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 27-12-75 को पश्चिम बंगाल -1, बिहार-1, तथा बम्बई सिटी-1, के आयकर आयुक्तों को निदेश जारी किये थे कि भूतपूर्व कोयला खान मालिकों, जिनकी खानों का कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया था, की सम्बद्ध वर्ष की निर्धारण की कार्यवाही को फरवरी, 1976 के अन्त तक स्थगित कर दिया जाए यदि वह कार्यवाही उस तरीख तक कालातीत न हो रही हो ।

Setting up of Small and Cottage Industries in Bihar

1545. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of new units of the small scale and cottage industries opened in rural areas in Bihar during 1975-76, district-wise; and

(b) the number of additional new units proposed to be opened there in 1976-77

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri A. P. Sharma) : (a) A statement indicating the number of small scale units who were granted permanent registration during 1975 in Bihar State—district-wise, is attached. Separate district-wise information of the small scale and cottage industries opened in Rural areas in Bihar in 1975-76 is not available.

(b) No specific target for setting up of SSI units for 1976-77 has been fixed. However, an amount of Rs. 20 lakhs has been allocated to the State Government of Bihar during the year 1976-77 which will be advanced by the State Government for assisting industrial units in the State.

Statement

No. of small scale units granted permanent registration during 1975 in Bihar State (District-wise).

Sl. No.	District	No. of units registered
1	2	3
1.	Patna	312
2.	Nalanda	114
3.	Gaya	168
4.	Aurangabad	34
5.	Nawadah	27
6.	Bhojpur	33
7.	Rohtas	24
8.	Darbhanga	25
9.	Madhubani	12
10.	Samastipur	17
11.	Muzaffarpur	74

1	2	3
12.	Sitamahi	23
13.	Vaishali	16
14.	Saran	17
15.	Siwan	37
16.	Gopalganj	27
17.	West Champaran	3
18.	East Champaran	3
19.	Purnea	37
20.	Katihar	7
21.	Monghyr	36
22.	Begusarai	10
23.	Santhal Praganas	98
24.	Saharsa	11
25.	Bhagalpur	31
26.	Ranchi	76
27.	Hazari Bagh	13
28.	Giridih	16
29.	Palamau	62
30.	Dhanbad	191
31.	Singhbhum	199
	TOTAL	1753

पांचवीं योजना में उपयोजनाओं के अन्तर्गत जनजाति विकास के लिये आवंटन

1546. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश के जनजाति क्षेत्रों के लिये उपयोजना के अन्तर्गत जनजाति विकास के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की है ;

(ख) कुल आवंटित राशि में से कुल कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(ग) सरकार ने शेष राशि, जो पांचवीं योजना के अन्त तक उपलब्ध होगी, व्यय करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष सहायता के रूप में, देश के उप-योजना क्षेत्रों में जनजाति विकास के लिए 200 करोड़

रु० की व्यवस्था की गई है। राज्य योजना कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य अपने यहां जो प्रयत्न करेंगे उनमें यह राशि पूरक के रूप में रहेगी। योजना के प्रथम तीन वर्षों में, केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को 65 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। यह राशि मुख्यतः छोटी सिंचाई, बागबानी, जनजाति क्षेत्रों में सहकारी समितियों और प्रशासन को सुदृढ़ करने के कार्यक्रमों पर खर्च की जानी है।

(ग) राज्य परिव्ययों, केन्द्रीय कार्यक्रमों और अन्य संसाधनों से जनजाति उप-योजनाओं को वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर धन राशियों का आवंटन किया जाता है जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, विशेष केन्द्रीय सहायता से पर्याप्त मात्रा में धन स्वीकृत किया जा रहा है और राज्य सरकारों से वार्षिक योजना से संबंधित विचार-विमर्शों में राज्यों के परिव्ययों को सुनिश्चित किया जाता है। जनजाति उप-योजना क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में निवेश की उपलब्धि होती रहे इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसका हिसाब किताब रखने के लिए राज्य सरकारों को विशेष कार्यपद्धति का सुझाव दिया गया है। इस व्यवस्था में, प्रत्येक मुख्य संचालन शीर्ष के अन्तर्गत एक उप-शीर्ष "जनजाति उप-योजना" रखा जाएगा। फिर भी, अधिकांशतः उप-योजनाओं की धनराशियों का उपयोग, राज्य कार्यान्वयन व्यवस्था तथा तंत्र की तैयारी और पुनर्गठन पर निर्भर होगा। राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था तथा तंत्र का पुनर्गठन करने के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं।

बुल्डाना जिला में स्थित मंदिर में प्रवेश की अनुमति न देना

1547. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के समाज कल्याण मंत्री को बुल्डाना जिले के महोकर में स्थित मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या पुजारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण तथा परिवहन मंत्री अपनी पत्नी तथा कुछ स्थानीय नेताओं के साथ 21-6-1976 को बुल्डाना जिले के महोकर स्थित 'बाला जी' मंदिर को देखने गये। उन्होंने मंदिर के मुख्य हाल में प्रवेश किया और उसके बाद मुख्य मंदिर के उस कमरे में जहां भगवान बाला जी की मूर्ति रखी है के नजदीक गये, जब मंत्री उस कमरे के दरवाजे को पार कर रहे थे तो मंदिर के 'पुजारी' ने ऐसा न करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि 'पुजारी' के अलावा किसी हिन्दू को मंदिर के उपासना कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

(ग) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की धारा 3 (ए) (बी) तथा 10 के अधीन अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

केरल में घड़ी कारखाना

1548. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सहयोग से राज्य में एक घड़ी कारखाना स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) पुर्जे जोड़कर घड़ियां बनाने के एककों के स्थापना स्थल के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1549. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्ग निर्देशन सिद्धान्त जारी किए हैं तथा उनके पुनर्वास के लिए कोई समान नीति निर्धारित की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). हाल ही में मैंने स्वयं राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्रों के उप-राज्यपालों को भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए विभिन्न सुझाव देते हुए लिखा है। इन सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(1) समुदाए के अन्य कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों में आरक्षण में वृद्धि करना।

(2) सशस्त्र सेनाओं में उनके सेवा काल को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवाओं में उनके प्रवेश के लिए आयु-सीमा में छूट।

(3) सशस्त्र सेनाओं में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संबंधी अर्हताओं में छूट।

(4) सैनिक बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए संघटनात्मक सुधार।

(5) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए युद्ध विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए गृह स्थापित करना।

(6) राशन की दुकानों, जय जवान स्टालों और कोओपरेटिवों के आवंटन और ट्रकों, बस लाइसेंसों, कृषि-उद्योगों आदि के लिए परमिट स्वीकार करने में अग्रता।

केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन का 'मिनी माइक्रो कम्प्यूटर' के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र

1550. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 'मिनी माइक्रो कम्प्यूटर' के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदनपत्र कब से मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ग) लाइसेंस मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) 17 जुलाई, 1974 को प्राप्त आवेदन पत्र 16 दिसम्बर, 1974 को रद्द कर दिया गया था; पार्टी को इसकी सूचना 25 जनवरी, 1975 को दे दी गयी थी।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फिलिप्स, डनलप और गुडईयर के कार्यों की जांच

1551. **श्री बयालार रवि** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिप्स, डनलप, गुडईयर जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कोई जांच की है जो बहुत कम मूल्य पर माल निर्यात करने और उसको यूरोप में बहुत अधिक मूल्य पर बेचने के परिणामस्वरूप में विदेशों में स्थित अपनी मूल कम्पनियों के लिये भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) इन कम्पनियों द्वारा निर्यात किये गये माल का मूल्य से कम बीजक बनाने की कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिलिप्स इंडिया द्वारा निर्मित रेडियो का निर्यात

1552. **श्री बयालार रवि** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स रेडियो द्वारा निर्मित रेडियो के निर्यात मूल्य और देश में उनके मूल्यों में भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशों में रेडियो उचित मूल्य पर बेचे जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) । (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी निकायों में सरकारी निदेशकों का नामांकन

1553. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें कुछ राज्यों में सहकारी निकायों में बड़े पैमाने पर सरकारी निदेशकों का नामांकन कर रही हैं; और

(ख) क्या इस प्रकार के नामांकन का सहकारी समितियों के उचित कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) व (ख). सभी राज्य सहकारी कानूनों में उन सहकारी सोसायटियों, जिनकी अंशपूंजी में सरकार ने अंशदान दिया है, के प्रबंध मण्डल में राज्य सरकार द्वारा अपने निदेशक नामित करने की व्यवस्था है। नामांकित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या हर राज्य में अलग-अलग है, किन्तु आमतौर पर तीन निदेशक या निदेशक मण्डल के कुल निदेशकों में से एक तिहाई, जो भी कम हों, नामित किये जाते हैं। तथापि, कुछ राज्यों के कानूनों में उन सहकारी सोसायटियों, जिन्हें सरकार से काफी मात्रा में सहायता मिलती है, के प्रबंध मण्डल में सरकार द्वारा अधिक संख्या में नामांकन करने की व्यवस्था है। इस पद्धति के कार्यकरण की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने पर केन्द्र द्वारा राज्यों को हाल में मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किये गये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव भी दिया गया है कि जहां सोसायटी को इक्विटी में सरकारी अंशदान कुल धनराशि के एक तिहाई से कम है, वहां सरकार द्वारा इस प्रकार का नामांकन न किया जाये। यह सुझाव भी दिया गया है कि बोर्ड में 5 या उसके सदस्यों के आधे के बराबर, जो भी कम हों, निदेशकों का नामांकन किया जाये और किसी भी दशा में उनकी संख्या इतने से अधिक न हो।

विज्ञान और टैक्नोलोजी के लिये पृथक योजना

1554. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और टैक्नोलोजी के लिए एक पृथक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उसके अभिन्न अंग के रूप में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना भी है। इसके अधीन क्या-क्या लक्ष्य और परियोजनाएं हैं, इनके बारे में ब्यौरे उन दो जिल्दों में दिए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है और जिन्हें सदन के पटल पर 26-3-1974 को प्रस्तुत किया गया था।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 1974-75 के दौरान योजना के अधीन वास्तविक व्यय 69 करोड़ रुपये था और 1975-76 के दौरान लगभग 113 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान था। 1976-77 के बजट में इन कार्यक्रमों के लिए 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लाइसेंस और आशय पत्र जारी किया जाना

1555. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी संख्या में लाइसेंस/आशयपत्र जारी किये गये और ये किन-किन मदों के लिये तथा कितनी-कितनी क्षमता के लिये जारी किये गये;

(ख) कितने आशयपत्रों को लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया; और

(ग) कितने आशयपत्र/लाइसेंस रद्द किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० मौर्य) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जनवरी से जून, 1976 की अवधि में 342 औद्योगिक लाइसेंस और 225 आशयपत्र जारी किये गये थे। इन औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों के विवरण उत्पादन की वस्तु और क्षमता आदि के साथ "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज", "इण्डियन ट्रेड जरनल" और "मन्थली लिस्ट आफ लेटर्स आफ इन्टेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) चालू वर्ष में तथा इसके पहले के वर्षों में जारी किए गए आशय-पत्रों में से 256 आशय पत्रों को जनवरी से जून, 1976 की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों में तबदील किया गया।

(ग) चालू वर्ष में तथा पूर्ववर्ती वर्षों में जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों में से जनवरी से जून, 1976 की अवधि में 333 आशयपत्र और 57 औद्योगिक लाइसेंस रद्द प्रति संहृत किए गए।

समाचारपत्रों और पत्रिकाओं द्वारा प्रेस के लिये आचार संहिता का उल्लंघन

1556. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाचार-पत्र पाक्षिक और पर्चे आपात् स्थिति अथवा अन्य ऐसे सम्बन्धित मामलों, जिनके बारे में सरकार ने समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा आचार संहिता का पालन करने की घोषणा की है, के विरुद्ध लेख लिख रहे हैं अथवा समाचार प्रकाशित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बात का उल्लंघन करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत छः महीनों में कितने सम्पादकीय तथा प्रिंटिंग कर्मचारी गिरफ्तार किये गये अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसे समाचारपत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा ऐसा करने से रोका गया है अथवा जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) से (घ). कुल मिलाकर समाचारपत्र स्व-अनुशासन का पालन कर रहे हैं। जब भी कोई प्रतिकूल या आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित हुई है, आवश्यक कानूनी कार्रवाही की गई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के आदेश पर समाचारपत्रों का कोई कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह पता चला है कि पांच समाचारपत्रों के प्रकाशन पर राज्य सरकारों द्वारा रोक लगाई गई है। आचरण संहिता सरकार द्वारा नहीं, अपितु, सम्पादकों को केन्द्रीय समिति और अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा स्वतः विनियमन के लिए बनाई गई है।

Manufacture of Tractors

1557. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Shashi Bhushan :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of the companies and the number of tractors being manufactured by each of them annually in India at present along with rated capacity ;

(b) the prices of various tractors ; and

(c) whether Government also propose to manufacture tractors at cheaper cost so as to benefit marginal and small farmers ?

The Minister of Industry (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). The necessary information is given in the attached statement. [Placed in Library, *See* No. L.T.-11222/76].

(c) No, Sir.

इलेक्ट्रानिकी व्यापार टैक्नोलोजी विकास निगम द्वारा शाखा कार्यालयों की मास्को और वारसा में स्थापना

1558. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इलेक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी व्यापार टैक्नोलाजी विकास निगम का मास्को और वारसा में अपने शाखा कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शाखाओं के कार्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, लैक्ट्रानिकी मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। वारसा में इस निगम की एक शाखा मार्च, 1976 में पहले ही स्थापित की जा चुकी है तथा मास्को में शीघ्र ही एक कार्यालय खोले जाने की संभावना है।

(ख) ये शाखा-कार्यालय प्रमुखत: पूर्वी योरप तथा सोवियत संघ के साथ किये जाने वाले व्यापार आदि के कार्यों को देखेंगे। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ये कार्यालय निगम के आयात एवं निर्यात संबंधी कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करेंगे, दोनों ओर के बाजारों के संबंध में जानकारी हासिल करके उसे उपलब्ध कराएंगे तथा प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन करेंगे और उनमें हिस्सा लेंगे। वारसा तथा मास्को स्थित कार्यालयों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस संबंध में पूरी तथा अद्यतन सूचना भेजें कि क्रमश: पूर्वी योरप तथा सोवियत संघ में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहां तक विकास हुआ है जिससे भारत के विनिर्माण कार्यकलापों के लिए समुचित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकें।

भारत में समुद्री प्रौद्योगिकी का विकास

1559. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान ने भारत में अपार समुद्री संसाधनों के विदोहन के उद्देश्य से समुद्री प्रौद्योगिकी का शीघ्रता से विकास करने का आह्वान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी हां, श्रीमान्। आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली ने अपने प्रकाशन "इम्पैक्ट आफ साइंस एंड टैक्नोलोजी (1976)" में समुद्री संसाधनों के पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने के महत्व पर बल दिया है।

(ख) सरकार अपने समुद्री संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के महत्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक विज्ञान

और प्रौद्योगिकी योजना में, जिसे 26-3-1974 को सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था, समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिक के लिए कई कार्यक्रमों का अभिज्ञान किया गया है, जिनका उद्देश्य समुद्र तल में तेल, खाद्य सामग्री और समुद्री संसाधनों आदि की खोज-उपयोग करना है।

बक्शी आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें

1560. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बक्शी आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) से (ग). बक्शी आयोग ने अपना प्रतिवेदन गुजरात सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

डीजल इंजनों का निर्माण और निर्यात

1561. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकरिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के दौरान भारत में कितने डीजल इंजनों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त वर्षों में कितने डीजल इंजनो का निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाइ) : (क) संगठित क्षेत्र में निर्मित डीजल इंजनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1973-74	. .	1,45,954 नग
1974-75	. .	1,14,925 नग
1975-76	. .	1,41,678 नग

लघु क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1,00,000 इंजनों का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). निर्यात के जो आंकडे उपलब्ध हैं वे मूल्यों में हैं, जिनमें फालतू पुर्जे और इंजनों के हिस्से-पुर्जे भी सम्मिलित हैं। निर्यात का मूल्य और उससे हुई विदेशी मुद्रा की आय 1973-74 में 8.13 करोड रु०, 1974-75 में 19.11 करोड रु० थी, और 1975-76 में 28.50 करोड रु० का निर्यात और विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

1975-76 में बिजली के उत्पादन में भारी वृद्धि

1562. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकारिया :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में देश मे बिजली के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1975-76 में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) विभिन्न प्रयोजनों के लिए बिजली की मांग किस सीमा तक पूरी की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश में बिजली का कुल उत्पादन 1975-76 के दौरान 1974-75 की अपेक्षा 13% तथा 1973-74 की अपेक्षा 20% अधिक रहा ।

(ग) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जहां कि उच्चतम मांग और/अथवा ऊर्जा पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगी ई हैं, अन्य सभी राज्यों में, कुल मिलाकर, बिजली की आवश्यकताएं, पूरी की जा रही हैं । अर्थ-व्यवस्था का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भी इसमें शामिल है । इन राज्यों में बिजली में की जाने वाली कटौतियों का तथा लगाई गई पाबंदियों का ब्यौरा उपाबंध [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 11223/76] में दिया गया है । लोअर असम में उद्योगों और चाय कारखानों पर से बिजली की कटौती 11 अगस्त से सितम्बर, 1976 के अंत तक के लिए खत्म कर दी गई हैं ।

"टी० वी० में काज फिट्स इन चिल्ड्रन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1563. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक में "टी० वी० में काज फिट्स इन चिल्ड्रन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) कभी सरकार ने इस मामले में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है । इस अवस्था पर इस प्रकार के विचारों को निश्चयात्मक या प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूरोपीय देशों द्वारा प्रेस एजेंसियों के पूल के बारे में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के प्रस्ताव का समर्थन

1564. श्री राजदेव सिंह :
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमरीकी देशों में समाचार पत्रों ने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच जन संचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रैस एजेंसियों के पूल के बारे में गुट निरपेक्ष देशों के मंत्रि-स्तर के सम्मेलन में तैयार किये गये प्रस्तावों का भरपूर स्वागत किया है ;

(ख) क्या यूगोस्लाविया के अतिरिक्त यूरोप में अन्य किसी देश ने भी उक्त अभियान का समर्थन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बरतानिया और फ्रांस के कुछ पत्रों में उक्त प्रस्ताव की सराहना की गई है।

विद्युत् संयंत्र को चालू करने में लगने वाला समय

1565. डा० के० एल० राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृति दिए जाने के बाद एक विद्युत संयंत्र को चालू करने में कितना समय लगता है ; और

(ख) ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों में इस पर औसतन कितना समय लगता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत में जल विद्युत संयंत्र के प्रथम यूनिट को उसकी स्वीकृति की तिथि से उसे चालू किए जाने तक लगने वाला समय अलग-अलग होता है जो सामान्यत 5–8 वर्ष होता है। यह समय इस बात पर निर्भर रहता है कि परियोजना का अन्वेषण किस सीमा तक किया गया। व्यतीत हुए समय में उनकी ताप विद्युत संयंत्रों को चालू करने में स्वीकृति की तिथि से 4 से 6 वर्ष तक का भिन्न-भिन्न समय लगा है।

(ख) अमेरिका (यू०एस०ए०) तथा इंगलैंड (यू०के०) जैसे देशों में औसतन कम समय लगता है परन्तु भारतीय परिस्थितियों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अन्य चीजों के साथ-साथ वहां उपस्करों की आपूर्ति का समय, निर्माण प्रक्रिया पूर्णत: भिन्न है और बहुत अधिक यंत्रीकृत है।

खाद्य तेलों के बारे में राष्ट्रीय नीति

1566. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री डी० के० पंडा :

क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना में देश में घरेलू उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं दोनों ही की खाद्य चिकनाइयों और तेलों की मांग का अनुमान लगाया जाएगा, वर्ष में होने वाली तिलहनों की फसल की सम्भावनाओं का अंकन किया जाएगा, आयात तथा निर्यात कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाने के तेल तथा वनस्पति नियमित आधार पर तथा उचित मूल्यों पर मिलते रहें ।

नर्डिंग

1567. श्री स० एम० बनर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लैम्प उद्योग संकट से गुजर रहा है क्योंकि भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों से उसे कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अपने देश के लैम्प निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख). संगठित क्षेत्र में जी० एल० एस० लैम्पों का उत्पादन 1972–73 से 1975–76 तक 1320 लाख नग प्रतिवर्ष रहा है सिर्फ वर्ष 1973–74 में इसका उत्पादन गिरकर 1174 लाख नग हो गया था । फ्लोरासेंट ट्यूब का उत्पादन 1972–73 में 121.7 लाख नग से बढ़कर 1975–76 के दौरान 174 लाख नग तक पहुंच गया है। उत्पादकों के पास बिजली के लैम्पों का बड़ी मात्रा में स्टाक इकट्ठा हो जाने के विषय में सरकार को किसी भी ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति 1973 के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां/बड़े गृह केवल निर्यात करने के लिए उत्पादन करने के अलावा बिजली के लैम्प उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकते। जी० एल० एस० लैम्प उद्योग को अब लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है किन्तु विदेशी कंपनियों/बड़े गृहों को यह छूट नहीं होगी।

Tongas in Delhi

1568. Shri Bibhuti Misra : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) number of tongas in Delhi three years ago ;

(b) number of tongas in Delhi at present ; and

(c) whether any proposal is under consideration of Government to abolish the tongas in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) and (b). According to information received from the Municipal Corporation of Delhi, the number of tongas in Delhi three years ago was 2495. Their present number is 2273.

(c) No, Sir.

छोटे तथा ग्रामीण समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के लिये विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

1569. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे तथा ग्रामीण समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सरकारी क्षेत्र तथा राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : नवीनतम निर्णयों के अन्तर्गत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार की नीति के अनुसार उन पत्रों का चयन करे जिन्हें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों की ओर से विज्ञापन जारी किये जाने होते हैं । इस मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को महत्व देना है । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है । इसको जो धन राशि दी जाती है वह सहायता के रूप में नहीं दी जाती । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को कोई सहायता देने की आवश्यकता नहीं है ।

पत्रकारों के लिये प्रशिक्षण स्कूल

1570. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी/हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रकारों के लिए कुछ प्रशिक्षण स्कूल हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दी में पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ उन संस्थानों की सूची संलग्न [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-11224/76] है जिनमें पत्रकारिता में प्रशिक्षण और डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है ।

(ग) हिन्दी के समाचारपत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय जन सम्पर्क संस्थान ने फरवरी, 1975 में एक पाठ्यक्रम चलाया था । उक्त संस्थान एक पंजीकृत संस्था है जिसका सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा उठाया जाता है ।

समय पूर्व सेवा निवृत्ति के मामलों पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण

1571. **श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समय-पूर्व सेवा निवृत्ति के मामलों पर विचार करने की शक्ति प्रदान करे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय; कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

केरल के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

1572. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिलेवार आज तक कितने व्यक्तियों को राजनीतिक पेंशन दी गई है ;

(ख) पेंशन के लिए कितने आवेदन इस समय विचाराधीन है; और

(ग) शेष आवेदनों पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) तथा (ग). कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है । परन्तु 3767 आवेदन पत्र दस्तावेजी सबूत न होने के कारण फाइल कर दिये गये हैं और आवेदकों को सूचित कर दिया है । जैसे ही अपेक्षित सूचना प्राप्त होगी उपयुक्त मामलों में पेंशन स्वीकार कर दी जायेगी ।

विवरण

उन मामलों की संख्या का विवरण जिनमें पेंशन स्वीकार की गई है (जिलावार)

क्र० सं०	जिले का नाम	मामलों की संख्या
1	आलप्पे	223
2	कन्नोर .	430
3	एर्नाकुलम	143

क्र० सं०	जिले का नाम	मामलों की संख्या
4	इदीक्की	33
5	कोट्टायम	84
6	कोजीकोड़े	275
7	माला पुरम	87
8	पालघाट	176
9	क्वीलोन	264
10	त्रिचूर	181
11	त्रिवेन्द्रम	255
	जोड़	2151

बड़ौदा डायनेमाइट केस के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1573. **श्री डी० के० पंडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ौदा डायनेमाइट केस में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि जार्ज फर्नांडीज ने अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में भारी मात्रा में डायनेमाइट और उपस्कर प्राप्त किये। इसका उद्देश्य संचार व्यवस्था को भंग करने के लिए सड़क तथा पुलों को उड़ाकर तोड़फोड़ से सरकार को भयभीत करना और अव्यवस्था तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना था।

अभियोगपत्र शीघ्र दायर किये जाने की आशा है।

Home for Freedom Fighters in Delhi

1574. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of freedom fighters accommodated at present in the Freedom Fighters Home in Delhi and the number of persons for whom this provision was made originally ;

(b) whether women freedom fighters are not allowed this facility ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) At present the following freedom fighters are admitted to the Freedom Fighters Home in Delhi :—

(1) Shri Bhagwan Datt
(2) Shri Ramji Lal Bandhu
(3) Shri Fakirbhai Govindbhai Patel
(4) Shri Narendra Nath Tuli

(5) Shri Pedipeddi Subba Rao
(6) Shri P. S. Narayanan
(7) Shri Bhupendra Chandra Majumdar
(8) Shri Kishori Lal Saxena
(9) Shri Parma Nand
(10) Shri Haru Mal
(11) Shri Vekant Rai Rsisam

The Home is intended to accommodate 25 freedom fighters only.

(b) Women freedom fighters who fulfil the requisite conditions are also eligible for admission to the home

(c) Does not arise.

विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग के लिये रायल्टी

1575. श्री भालजो भाई रावजो भाई परमार : क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ट्रैड मार्कों का प्रयोग करने के लिए रायल्टी दी जाती है ;

(ख) यदि नहीं,तो अभिसंधान के आधार पर कितने विदेशी ट्रेड मार्क अभी भी जारी हैं और इनका प्रयोग कब से बंद कर दिया जायेगा ; और

(ग) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अभिसंधान के लिए बाजार में प्रचलित विदेशी ट्रेड मार्क कौन-कौन से हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क). वर्तमान नीति के अनुसार, विदेशी सहयोग प्राप्त करने संबंधी व्यवस्थाओं की स्वीकृति देते समय सरकार इस बात के लिए आग्रह करती है कि देश के भीतर के व्यापार में आमतौर पर विदेशी व्यापार चिन्हों का प्रयोग नही किया जाना चाहिए, यद्यपि निर्यात की वस्तुओं पर उन का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए जहां तक सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबंधों के अन्तर्गत देश में बनाई तथा बेची जाने वाली वस्तुओं का संबंध है, उन पर व्यापार चिन्हों के प्रयोग के लिए रायल्टी देने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि, यह सम्भव है कि कुछ पुराने सहयोग करारों में विदेशी सहयोगियों ने कार्यविधि ज्ञान करार के अंग के रूप में अपने व्यापार चिन्हों के उपयोग की अनुमति दी हो, परन्तु सामान्यत : व्यापार चिन्हों के उपयोग के लिए अलग से भुगतान करने को कोई स्वीकृति दी गई प्रतीत नहीं होती। जब इन पुराने करारों का नवीकरण करना होगा, उस समय यदि भुगतान पर विदेशी व्यापार चिन्हों के निरन्तर प्रयोग का प्रश्न हुआ तो उस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा और इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति लागू की जायगी। इस बात की जानकारी है कि कुछ पुरानी सुस्थापित अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियाँ भी अपनी विदेशी मूल कम्पनियों के व्यापार चिन्हों का प्रयोग करती हैं, लेकिन बताया गया है कि व्यापार चिन्हो के उपयोग के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है ।

(ख) तथा (ग). भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी मंगाई जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयले का मूल्य न बढ़ाने के बारे में सरकार का निर्णय

1576. श्री डी० डी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले का मूल्य न बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला उद्योग अपनी लागत पूरी करने में समर्थ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) सरकार ने कोयला और कोक के वर्तमान खान मुहाना (रेल पर्यन्त निःशुल्क) मूल्यों को 31 मार्च, 1977 तक जारी रखने का फैसला किया है ।

(ख) कोयला कम्पनियों ने अभ्यावेदन किया है कि वर्तमान मूल्य ढांचा लाभप्रद नहीं है । तथापि यथा संभव मितव्ययिता और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि घाटा कम से कम हो ।

रुग्ण उद्योगों के लिये केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर समन्वय समिति

1577. श्री धामनकर :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण तथा बंद पड़े एककों की बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समितियां बनाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनसे किस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है और वे रुग्ण बंद पड़े एककों की किस प्रकार सहायता करेंगी तथा एसे एककों के पोषण के लिए वे किस प्रकार के उपचारात्मक कार्य करेंगी ; और

(ग) क्या उद्योगवार सामान्य समस्याओं पर विचार करने और उन्हें उपयुक्त सलाह देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर भी कोई समन्वय समिति स्थापित की जायगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा संकटग्रस्त एककों को पुन : स्थापित करने हेतु उपयुक्त कारवाई किए जाने तथा विपणन, वित्त और प्रबंध आदि क्षेत्रों के लिए समन्वित रूप में अपेक्षित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित कर दी गई हैं ।

(ग) जी, नहीं । किन्तु विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के विचार विमर्श की संवीक्षा करेगा तथा जहां कहीं आवश्यक होगा सुधारात्मक अभ्युपाय करेगा ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा बम्बई में पौली टैक्नोलोजी (बहु औद्योगिक) क्लिनिक का खोला जाना

1578. श्री भाऊ साहिब धामनकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) का

महाराष्ट्र के उद्योग महानिदेशालय के सहयोग से बम्बई में एक पोलिटेक्नोलोजी (बहु-प्रौद्योगिकी) क्लिनिक खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्लिनिक का कार्यक्षेत्र और कृत्य क्या होंगे, और प्रस्तावित क्लिनिक का वार्षिक कितना खर्च होगा तथा धन कौन खर्च करेगा ; और

(ग) क्या देश में ऐसी और भी क्लिनिक हैं; और यदि हां, तो कितनी और वे कैसा कार्य कर रही हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने बम्बई में पोलिटैक्नोलोजी केन्द्र (बहु प्रौद्योगिकी केन्द्र) स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) से सम्पर्क किया है। मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) एक पौलिटैक्नोलोजी क्लिनिक का कार्य स्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में उद्योगों के समूह के लिए निदानात्मक सूचना और निर्देशन केन्द्र के रूप में होता है। एक ओर राज्य में स्थित उद्योगों और संस्थानों के साथ सम्पर्क रखना और दूसरी ओर सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं के साथ सम्पर्क कायम रखने का कार्य यह केन्द्र करता है। राज्य सरकार, उद्योग संस्थाओं और व्यापार मण्डलों के सहयोग से इस केन्द्र की स्थापना की जाती है। प्रथम चरण में इसका अनुमानित व्यय लगभग एक लाख रुपए होता है। सी० एस० आई० आर० और राज्य (सरकार और उद्योग संयुक्त रूप से) आधा-आधा खर्चा वहन करते हैं।

(ग) जी हां, चार पोलिटैक्नोलोजी क्लिनिक इस समय हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, पटना और भोपाल में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश की स्थापना हाल ही में हुई है। इनके कार्य का मूल्यांकन उचित समय पर किया जायगा।

बिहार में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम

1579. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम को वस्तुत: कब से लागू किया जायेगा ;

(ख) क्या कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों की उपयोजनाएं अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) बिहार के जनजाति क्षेत्रों सहित सभी जनजाति क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रम पहले से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग). सभी 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी-अपनी उप-योजनाओं के प्रारूप प्रस्तुत कर दिए हैं। योजना आयोग में इनकी जांच की गई है और इन पर समय-समय पर विचार विमर्श किया गया है और संबंधित राज्यों को उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सिफारिशें भेज दी गई हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोआ, दमण और दीव के जनजाति क्षेत्रों की उप-योजनाओं को

अंतिम रूप दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु नामक राज्यों और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनी उप-योजनाओं का संशोधन कर रहे हैं।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्यात

1580. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा :** क्या लैक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों का निर्यात करने की स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे चालू वर्ष में कोई क्रयादेश मिला है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड के पास लगभग 31 करोड़ रुपए मूल्य के इलैक्ट्रानिक उपस्करों (जिनमें अधिकतर रेडार हैं) के आर्डर हैं, जिसकी आपूर्ति अप्रैल, 1976 से लेकर 3 वर्ष की अवधि में की जानी है। साथ ही इस कंपनी को 45 लाख रुपए मूल्य के इलैक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के ऐसे आर्डर भी मिले हैं जिनकी पूर्ति वर्ष 1976–77 के दौरान की जानी है।

(ग) चालू वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 1976 तक के पहले चार महीनों में भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड ने 1.32 करोड़ रुपए मूल्य का माल निर्यात किया है। समूचे वित्त वर्ष 1976–77 में कंपनी द्वारा कुल 9.5 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है। फिलहाल कंपनी को जो आर्डर मिले हुए हैं उनके फलस्वरूप भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड को अप्रैल, 1976 से लेकर अगले तीन वर्ष की अवधि में लगभग 32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी।

पुणे स्थित आर्मी केडट कालेज का स्थानान्तरण

1581. **श्री शंकर राव सावन्त :**

श्री अनन्त राव पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण स्थित आर्मी केडट कालेज को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य तथा कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ?

महाराष्ट्र में तापीय और जल-विद्युत परियोजनायें

1582. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75, 1975-76, और 1976-77 में महाराष्ट्र में कौन-कौन सी तापीय और जल-विद्युत परियोजनायें मंजूर की गई हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की क्षमता कितनी है और उनके कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ग) प्रत्येक को ऋण और राज-सहायता के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976-77 के दौरान स्वीकृत की गयीं ताप-विद्युत परियोजनायें संलग्न विवरण (उपाबंध) में बताई गई हैं। इन वर्षों में महाराष्ट्र के लिए कोई जल-विद्युत परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है ।

ये सभी स्वीकृत योजनायें राज्य की योजना में सम्मिलित हैं । इनके लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा का निर्धारण विद्युत परियोजनाओं के लिए विशिष्ट तौर पर न होकर समग्रता के आधार पर किया जाता है ।

"विवरण"

1974-75, 1975-76 तथा 1976–77 के दौरान महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गयी ताप-विद्युत परियोजनायें

क्र० सं०	परियोजना का नाम	यूनिट का साइज	चालू होने की संभावित तारीख
वर्ष 1974–75 **के दौरान**			
1.	नासिक ताप-विद्युत केन्द्र चरण --दो	1 X 210	मार्च, 1979
2.	भुसावल ताप-विद्युत केन्द्र का विस्तार	1 X 210	मार्च, 1979
वर्ष 1976–77 **के दौरान**			
---शून्य---			
वर्ष 1976–77 **के दौरान**			
1.	चन्द्रपुरा ताप-विद्युत केन्द्र चरण--एक	2 X 210	पहली यूनिट 1980-81 में चालू होगी और दूसरी यूनिट 1981–82 में ।

New Radio Stations in U.P.

1583. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state (a) whether a proposal to set up new Radio Stations in Uttar Pradesh is under consideration;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the time by which this proposal is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (a) and (b). A new Radio Station for Kumaon/Garhwal region in Uttar Pradesh, with a high power medium wave transmitter and studios at Najibabad, is under installation. It is also proposed to set up studios at Pauri and Almora to prduce programmes in local languages to feed the transmitter at Najibabad. There are no plans to set up any other new station in the state for the present.

(c) The station at Najibabad is expected to be commissioned by the end of this year. The site for the studios at Pauri has been taken over and the site for Almora is being surveyed. How ever , due to inadequacy of funds, these two pro ects are likely to spill over to the Sixth Plan.

पश्चिमी देशों के उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश

1584. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) के नियंत्रण कर पश्चिमी देशों के 400 उद्योग पत भारत में पूंजी निवेश हेतु भारत का दौरा करेंगे और देश के उद्योगों में प्रौद्योगिकी सहयोग भी प्रदान करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इससे भारतीय प्रौद्योगिकी, जिसे प्रयोग में लाये जाने की आवश्यकता है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के रजत जयन्ती समारोह के सम्बन्ध में समारोह समिति के अध्यक्ष ने चैम्बर्स आफ कामर्श और दूसरे देशों के अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की थी तथा उनसे नवम्बर के अंतिम सप्ताह में व्यापारियों के शिष्टमंडल भारत भेजने का अनुरोध किया था ताकि उन्हें इंजीनियरी, परामर्शदायी, सिविल इंजीनियरी और निर्माण के क्षेत्र में विकसित की गई क्षमताओं और बढ़िया किस्म की उत्पादित वस्तुओं की हमारी निर्यात क्षमता से उन्हें अवगत कराया जा सके ।

(ग) इससे विदेशी व्यापारियों की जानकारी और ज्ञान के अन्तर को भरने में जितनी मदद मिलेगी, उस सीमा तक सरकार को ऐसे दौरों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(घ) सरकार की विदेशी विनियोजन संबंधी नीति निरंतर अत्यधिक चयनात्मक रही है तथा इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के अंतर को भरना और निर्यात को बढ़ाना है । अतः जहां आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी अत्यन्त सुक्ष्म प्रकार की है अथवा जहां इसका देश में विकास नहीं किया गया है, केवल उन्हीं के लिए विदेशी विनियोजन की अनुमति दी जाती है ।

केन्द्रीय खरीद नीति का पश्चिमी बंगाल के उद्योग पर प्रभाव

1585. **श्री एव० एन० मुखर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हाल ही में इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि केन्द्रीय खरीद नीति का उसके उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिकी एककों के कार्यकरण का अध्ययन करने वाला तीन सदस्यीय केन्द्रीय दल पश्चिम बंगाल उद्योग की समस्या का भी अध्ययन करेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति

1586. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों में पूर्णकालिक सतर्कता, अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों द्वारा की जाती है, और जहां कहीं आवश्यकता होती है मितव्यता को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक नियुक्तियां भी की जाती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ अन्तर्ग्रस्त कार्य की मात्रा, जिसमें निवारक सतर्कता के कार्य की मात्रा भी शामिल है, का ध्यान रखा जाता है ।

मजूरी में वृद्धि के लिये राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों के साथ बातचीत

1587. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों के हाल के सम्मेलन में मजूरी वृद्धि के बारे में विद्युत् बोर्डों द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ वार्ता करने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया था; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य विद्युत् बोर्डों को इस बारे में कोई निर्देश या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी , नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक गृहों द्वारा गाँवों का उत्थान

1588. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक बड़े औद्योगिक गृह से एक गांव का उत्थान करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या यह अनुरोध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के निक्षेप

1589. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री भाऊ साहेब वामनकर :

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चिकमगलूर जिले के दो गांवों और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हाल ही में यूरेनियम पाया गया है ;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने खोज कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के कलासापुरा तथा देवमोडनहल्ली गांवों के आस-पास ऐसे स्थल पाये गये हैं जहां यूरेनियम के मिलने की आशा है तथा उत्तर प्रदेश के टिहरी जिले के बेलेश्वर, केम्प्सीर तथा इंगेडिनाला नामक स्थानों के निकट यूरेनियम की विद्यमानता के कुछ संकेत मिले हैं।

(ख) तथा (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा इन स्थलों की जांच विस्तार से की जा रही है। इन क्षेत्रों में विद्यमान खनिज की मात्रा का पता जांच के पूरा होने पर लग सकेगा।

Indian immigrants of foreign countries resettling in India

1590. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state: (a) the number of Indian immigrants abroad who have again settled in India during the last three years; and

(b) the number out of them who have acquired Indian citizenship again and the number of those who are still living in India retaining the citizenship of other countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b). Information about the number of such persons is not avaliable as citizens of most of the Commonwealth Countries do not require visas for coming to and staying in India.

Grant of Indian Citizenship under section 5 (1) (a) of the Citizenship Act, 1955 to 19 such persons (who had come to India during 1973,74 and 75) has been authorised by the Central Government, so far.

उड़ीसा में मोनाजाइट और इल्मेनाइट खनिज

1591. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में मोनाजाइट और इल्मेनाइट दुर्लभ खनिज उपलब्ध है ;

(ख) क्या इन खनिजों की ट्राम्बे के लिए आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे के लिए तत्काल इन खनिजों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला एक सरकारी उपक्रम है, इन खनिज निक्षेपों के व्यावसायिक समुपयोजन के लिए समेकित उद्योग समूह स्थापित कर रहा है ।

दामोदर घाटी निगम के तापीय विद्युत् और जल-विद्युत् संयंत्रों में विद्युत् उत्पादन की लागत

1592. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के तापीय विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों में 1974 से 1976 तक प्रति वर्ष विद्युत् उत्पादन पर (प्रति यूनिट) औसत कितनी लागत आई ;

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा 1974 से 1976 की अवधि में प्रति वर्ष कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को (प्रति यूनिट) किस औसत मूल्य पर बिजली दी गई है अथवा दी जा रही है ;

(ग) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन ने हाल ही में औद्योगिक वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की दरों में काफ़ी वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दामोदर घाटी निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान उनके ताप-विद्युत् और जल विद्युत् संयंत्रों में विद्युत् उत्पादन की औसत लागत निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	ताप-विद्युत्	जल-विद्युत (पैसे प्रति यूनिट)	समग्र
1973-1974 . . .	7.500	7.455	7.496
1974-1975	8.561	9.839	8.650
1975-1976	उपलब्ध नहीं है		

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की गई बिजली की औसत कीमत नीचे बताए गए अनुसार रही :—

वर्ष	पैसे प्रति यूनिट
1973-1974	8.477
1974-1975 .	10.492
1975-1976	16.185

(ग) जी, हां ।

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा टैरिफ़ का संशोधन विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है और इस मामले पर विचार लाइसेंसधारी तथा राज्य सरकार को ही करना है ।

भवतोष दत्त समिति का समाचार पत्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिवेदन

1593. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "समाचार पत्र अर्थ-व्यवस्था" विषयक भवतोष दत्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था ;

(ख) समिति की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं और उन में से किन-किन पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है / स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ग) स्वीकृत सिफ़ारिशों में से किस-किस को अब तक कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) क्या समिति की "समाचारपत्रों को व्यापार गृहों से अलग करने" की सिफारिश कों सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सिफ़ारिश को कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) समाचार पत्र अर्थ व्यवस्था संबंधी डा० भवतोष दत्त समिति की रिपोर्ट सरकार को 14 जनवरी, 1975 को प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) से (ङ) . मुख्य सिफ़ारिशें रिपोर्ट में दी गई हैं जो 7 मार्च, 1975 को सदन की मेज पर रखी गई थी । रिपोर्ट सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इस संबंध में एक विवरण यथासमय सदन की मेज पर रखा जाएगा ।

Dispute between Management and Union of Workers of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

1594. **Shri Hirala Dodal :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) : the number of disputes between the Management of the Khadi and Gramodyog Bhavan, New Delhi and the Union of its workers under Industrial Disputes Act pending with different authorities ;

(b) whether their disputes fall in the jurisdiction of the Centre or in the jurisdiicton of Delhi Administration; and

(c) whether an appeal is pending with the Supreme Court in regard to part (b) above to which Bhavan Management and workers Unions are the parties ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri A.P. Sharma) : (a) Two.

(b) In the jurisdiction of the Central Government.

(c) No, Sir.

नेपा न्यूज प्रिंट द्वारा सहायक उद्योगों का विकास

1595. **चौधरी नीतिराज सिंह :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा न्यूज प्रिंट पहले चार सहायक उद्योगों का विकास करने को सहमत हो गया था परन्तु बाद में तीन को छोड़ दिया और उत्पादन स्वयं करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन सहायक उद्योगों की स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग). नेपा मिल ने पहले एलम लाइम, चिपर नाइब्स, ग्रे-कास्टिंग्स, स्पेशल नट बोल्ट्स आदि के चार सहायक उद्योगों का विकास करने का विचार किया था। किन्तु संभावी उद्यमियों की ओर से कोई पहल नहीं हुई तथा नेपा मिल को स्वंय के कुछ देशी किल्स सहायक एककों के रूप में स्थापित करने पड़े। नेपा मिल्स अपनी अनेक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संरचना (फ़ेब्रिकेशन) कार्य सहित बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी की वस्तुएं पड़ौस के शहरों के मौजूदा कारखानों से ले रही है। नेपा मिल्स सहायक उद्योगों की स्थापना करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के लघु उद्योग संवर्धन और सहायक उद्योग स्कंधों तथा रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया, भोपाल से संपर्क बनाए हुए है।

जबलपुर में रक्षा-मोटरगाड़ियों का कारखाना

1596. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित रक्षा मोटर गाड़ी कारखाना अपने सभी सहायक एककों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान नहीं दे रहा है ; और

(ख) क्या इन एककों को पर्याप्त काम दिया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल नरहर गाडगिल) : (क) जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्टरी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुसार, अपनी सहायक यूनिटों को दिए गए आर्डरों पर 10 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान दे रहा है।

(ख) जिन सहायक यूनिटों ने व्हीकल फ़ैक्टरी के मदों के लिए निर्माण तत्परता से स्थापित कर लिया है उन सभी को फ़ैक्टरी द्वारा पर्याप्त काम दिया गया है।

टोकियो से लाई गई नेताजी की अस्थियों/अवशेषों का संरक्षण

1597. **श्री सुबोध हंसदा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोसला आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार नेताजी की अस्थियों/अवशेशों के भाग को टोकियो से भारत ले आई हैं ; और

(ख) इन अमूल्य अवशेषों को प्रदर्शन और संरक्षण के लिए कलकत्ता तथा देश के अन्य भागों में कब तक ले जाया जाएगा ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं श्रीमान । खोसला आयोग ने ऐसी कोई सिफ़ारिश नहीं की थी और न ही सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात तट के पास विदेशी मत्स्य ग्रहण पोत

1598. **श्री एन० आर० वेकारिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मत्स्यग्रहण पोत गुजरात तक के पास हमारी जलसीमा के अन्दर कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में गुजरात तट के पास कोई विदेशी मत्स्यग्रहण पोत पकड़े गए हैं ;

(ग) वे किस-किस देश के हैं ; और

(घ) इस प्रकार के उल्लंघनों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंशी लाल): (क) जी हां। सौराष्ट्र तट के पास मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों के कुछ मामले हमारे ध्यान में आए हैं ।

(ख) कस्टम/पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जनवरी 1976 में दो विदेशी जहाज पकड़े गए थे।

(ग) दोनों जहाज पाकिस्तान के थे ।

(घ) ऐसी घुसपैठों को रोकने के लिए पकड़ी गई नौकाओं के मालिकों/स्वामियों पर असैनिक प्रशासन द्वारा अदालत में मुकदमा चलाया जाता है । इस प्रयोजन के लिए जितने गश्ती जहाज उपलब्ध हैं उन्हें तैनात कर के ऐसे अनाधिकार प्रवेश को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं :

पाँडिचेरी में म्यूनिसिपल कम्यून

1599. **श्री एस० राधाकृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में म्यूनिसिपल कम्यूनों के कार्यकाल की अवधि को बढ़ा दिया गया है; और

(ख) क्या जनता द्वारा अथवा किसी संगठन की ओर से सरकार को उनका विघटन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) पाण्डिचेरी में वर्तमान म्यूनिसिपल तथा कम्यून पंचायत परिषदों के पार्षदों के कार्यकाल की अवधि 30 जून, 1977 तक बढा दी गई है ।

(ख) सरकार को पांडिचेरी क्षेत्रीय कांग्रेस (संगठन) की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित एक संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है जिसमें वर्तमान परिषदों को भंग करने का आग्रह किया गया है ।

Fine for Misuse of I.S.I. Mark

1600. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :
(a) whether Government have under consideration a proposal to increase the amount of fine in case of misuse of I.S.I. mark;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) when this will come into force ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri B.P. Maurya) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The proposals for the enhancement of penalties have not yet been approved by Government. When approved, the Parliament will be approached for amending the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952. They will come into force when the Parliament approves amendments to the Act.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

त्रिवेणी स्ट्रेक्चुरल लिमिटेड, नैनी का वर्ष 1974–75 का इसी वर्ष प्रतिवेदन के कार्यकरण की समीक्षा तथा एक विवरण ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1976 और पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) त्रिवेणी स्ट्रैक्चुरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रैक्चुरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये] संख्या एल० टी० 11199/76

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियन्त्रण (तीसरा संशोधन) आदेश 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 362 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11200/76]

(4) पेटेन्ट्स अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेन्ट्स, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियन्त्रक के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11201/76]

पेटेन्ट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, तमिलनाडु सहकारी समितियाँ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) व्यापार तथा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियन्त्रक के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) (क) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 616 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1974 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समितियां नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(दो) जी० ओ० एम० 487 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समितियां नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीन) जी० ओ० एम० 596 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी शीर्ष समितियां (प्रबन्ध और निर्वाचित संचालन) नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11202/76]

(5) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित

तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 38-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 597 की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकार भूमि विकास बैंक (प्रकीर्ण उपबंध) नियम, 1970 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11203/76]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् तथा भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा विवरण

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1975 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11204/76]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11205/76]

अन्दमान और निकोबार प्रशासन का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन, संघ लोक से ा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1976 और अखिल भारतीय सेवा आयोग अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : मैं श्री ओम मेहता की की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1974–75 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 11206/76]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1063 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11207/76]

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 4 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 752(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 4 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 753(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सोलहवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2091 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सोलहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2092 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) सातवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2143 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा/गया देखिए संख्या एल०टी० 11208/76]

(4) प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों में की गई कतिपय सिफारिशों पर किये गये निर्णयों तथा उन निर्णयों की क्रियान्विति संबंधी एक विवरण (20 अगस्त, 1976 को) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11210/76]

नौसेना (पेंशन) नौवां संशोधन विनियम, 1976

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) नौवां संशोधन विनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 201 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11210/76]

अखबारी कागज की आयात नीति तथा समाचार पत्रों / पत्रिकाओं तथा अन्य अखबारी कागज के उपभोक्ताओं की पात्रता

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धरवीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सार्वजनिक सूचना संख्या 76 —आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 2 अगस्त, 1976 जिसमें वर्ष 1976–77 के लिए अखबारी कागज की आयात नीति दी हुई है ।

(दो) सार्वजनिक सूचना संख्या 1 —पी आर-एन पी/76 दिनांक 2 अगस्त, 1976 जिसमें समाचारपत्रों/पत्रिकाओं तथा अन्य अखबारी कागज के उपभोक्ताओं की पात्रता का आधार अधिसूचित किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11211/76]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11212/76]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 24 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 1976 को पास किये गये विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा 24 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 1976 को पास किये गये इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 1976 को पास किये गये भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

52वां प्रतिवेदन

श्री निहार लास्कर (करीमगंज): मैं गृह मन्त्रालय---दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 52वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTEE ON GOVT. ASSURANCES

17वाँ प्रतिवेदन

श्री वीरभद्र सिंह (मण्डी): मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक

CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने तथा भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने तथा भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted,

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, धनकर अधिनियम, 1957 और आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

कि कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, धनकर अधिनियम, 1957 और आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के बारे में विवरण

STATEMENT RE. LABOUR FUND LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक

METAL CORPORATION (NATIONALISATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि राजस्थान राज्य के जवार क्षेत्र में और उसके आस-पास जस्ते और सीसे के भंडारों का लोकहित में, यथासम्भव पूर्णतया समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति

से उपयोग करने के लिए जिससे सर्वसामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए मेटल कारपोरेशन के उपक्रम का प्रबन्ध, ऐसे उपक्रम का उक्त कारपोरेशन को पुनः अन्तरित और उसमें पुनः निहित हुआ समझे जाने के पश्चात् ग्रहण करने का और मेटल कारपोरेशन के उपक्रम के पश्चात्वर्ती अर्जन का और उनसे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

यह विधेयक 2 अगस्त, 1976 को लागू किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाया गया है । 1966 के अधिनियम का 2 अगस्त, 1976 से निरसन करने के बाद इस उपक्रम को मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया को सौंप दिया गया और उसमें मिला दिया गया । परन्तु इसके साथ ही इसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया तथा अब फिर से 2 अगस्त, 1976 को इसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित किया गया । यह प्रबन्ध 1–8–76 तक चलता रहा । इस अवधि में मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया उपक्रम का मालिक रहा परन्तु उपक्रम का प्रबन्ध सरकार के हाथ में ही रहा तथा सरकार ने एक प्रशासक नियुक्त कर दिया । इसलिये मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया इस उपक्रम के प्रबन्ध से 25 अक्तूबर, 1965 से 1 अगस्त, 1976 तक वंचित रहा । इसलिये कम्पनी को प्रबन्ध से वंचित करने के लिये उचित राशि का भुगतान करना आवश्यक हो गया । इसके लिये अध्यादेश की धारा 10 तथा विधेयक के खण्ड 10 में 11.39 लाख रुपये प्रतिवर्ष कम्पनी को दिए जाने का उपबन्ध किया गया ।

इस कम्पनी का प्रबन्ध तुरन्त हाथ में लिए जाने के लिए अध्यादेश जारी करने का कारण विधेयक के उद्देश्य और कारण वक्तव्य में दिया गया है । कम्पनी जस्त और सीसा (खनिजों) का उत्पादन करती है जो देश के आर्थिक विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । हमने देखा कि कम्पनी ने विस्तार की एक योजना बनाई थी तथा सरकार भी सामरिक महत्व के इन खनिजों का उत्पादन शीघ्रता से करना चाहती थी । हमें अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिये तथा अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहिये । परन्तु दुर्भाग्यवश कम्पनी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और विस्तार का कार्य लम्बे समय तक रुका पड़ा रहा । इसलिये सरकार ने इस उपक्रम का अर्जन करने का निर्णय किया ।

इस उपक्रम के हाथ में लिए जाने के बाद से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, इसलिए हिन्दुस्तान जिंक लि० ने देवरी जिंक पिघलाने के सन्यन्त्र की वार्षिक क्षमता 18,000 मी० टन से बढ़ा कर 45,000 मी० टन करने के लिए उसके विस्तार करने, टुण्डी सीसा पिघलाने के सन्यन्त्र का वार्षिक उत्पादन 8,000 मी० टन करने के लिए उसका आधुनिकीकरण करने तथा बलारिया (जवार क्षेत्र) में नई खानों का विकास करने की योजनायें बनाईं । कम्पनी द्वारा 30,000 मी० टन वार्षिक उत्पादन का एक नया जस्त पिघलाने का संयंत्र आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम में स्थापित किया जा रहा है । टुंडी सीसा पिघलाने के संयंत्र का विस्तार कार्य हो जायगा तथा विशाखापटनम का जस्त पिघलाने का संयंत्र इस वर्ष के अन्त तक कार्य करने लगेगा । बेलारिया में विकसित की जा रही नई खानें अक्तूबर 1977 तक कार्य करने लगेंगी ।

हमारे देश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 90,000 मी० टन जस्त और 40,000 मी० टन सीसे की आवश्यकता होगी । 1978–79 तक जस्ते की मांग 1,15,000 मी० टन और सीसे की 50,000 मी० टन होगी । हिन्दुस्तान जिंक लि० के अतिरिक्त कोमिनको बिनानी लि० भी जस्त का उत्पादन करती है । यह कम्पनी प्रति वर्ष 20,000 मी० टन जस्त का उत्पादन

करती है । उपरोक्त विस्तार योजना से देश की जस्त पिघलाने की क्षमता बढ़ कर 1,15,000 टन हो जायगी तथा हम अपनी मांग पूरी कर सकेंगे। भूगर्भीय सर्वेक्षण से सामरिक महत्व के खनिजों, जस्त, सीसा और तांबे के लिए देश के विभिन्न भागों का सर्वेक्षण करने को कहा गया है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा एस० आर० ओ० इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। इन दोनों संगठनों के सहयोग और समन्वित कार्य से हम इन खनिजों में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करेंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सरकार इस कम्पनी का अर्जन करने के लिये 1965 से प्रयत्न करती आ रही है । कम्पनी का अर्जन करने में सरकार द्वारा अपनाये गये तरीके को उचित बताना युक्तियुक्त न होगा। संसद का सत्र आरम्भ होने से केवल 8 दिन पहले ही अध्यादेश जारी किया गया। जब हम 11 वर्ष से अधिक प्रतीक्षा कर सकते हैं तो और 10 दिन तक प्रतीक्षा करने से क्या आपत्ति आ जाती। इस प्रकार की प्रक्रिया भविष्य में नहीं अपनायी जानी चाहिये।

सीसा और जस्ता बहुत महत्वपूर्ण धातुयें हैं। हम इनका बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं और बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। 1969-70 से 1974-75 तक हमने 215 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का जस्ता और सीसा आयात किया और यह मांग प्रति वर्ष बढ़ती ही जाती रही है । देश में जेलिना, जस्ते और सीसे के भारी निक्षेप को ध्यान में रखते हुए हमें इनको निकालने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिये।

उड़ीसा राज्य के सुन्दरगढ़ जिले में सरगीपाली स्थान पर 'जेलिना' के निक्षेप हैं। कटक में मध्यावधि चुनाव के समय वहां एक प्रगलन संयंत्र की स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया था। लेकिन अभी तक उससे आगे कार्यवाही नहीं हुई है। अब हमें पता चला है कि ये जेलिजा अयस्क सरगीपाली से विशाखापत्तनम प्रगलक संयंत्र ले जाया जाता है। विशाखापत्तनम प्रगलक संयंत्र मुख्यत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के अग्निकुन्डलम क्षेत्र में पाये गये जेलिना और सीसा अयस्क के लिए ही बनाया गया था।

जहां तक हुंडी प्रगलक संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का सम्बन्ध है, यह मामला जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला भेजा गया है क्योंकि यह संगठन प्रमुख रूप से अनुसन्धान कार्य के लिये ही है। जहां तक हुंडी प्रगलक संयंत्र का सम्बन्ध है; यह प्रयोगशाला किसी प्रकार के आधुनिकीकरण का सुझाव देने में समर्थ नहीं है। यहां नये प्रगलन संयंत्र लगाने के मामले में सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये।

गैलेना या सीसा अथवा लोहे को पिघलाने का काम बहुत कठिन नहीं है। कुटीर उद्योग पैमाने पर पिघलाने वाले संयंत्र हैं जिनसे गैलिना, चांदी और सीसे को अलग किया जा सकता है। कई ऐसे बेईमान लोग हैं जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध इस तरह का कार्य कर रहे हैं।

अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि वह विजग और सरगीपली के बीच केंसिगा में एक प्रस्तावक संयंत्र स्थापित करे ताकि सुन्दरगढ़ जिले तथा केंसिग में विद्यमान अयस्क का उपयोग हो सके। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, उड़ीसा सरकार अपर इन्द्रावती परियोजना को आरम्भ कर रही है जो कि 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। इससे वहां बड़ी मात्रा में बिजली भी उपलब्ध होगी।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : भारतीय धातु निगम का राष्ट्रीयकरण करने वाला यह विधेयक सराहनीय है क्योंकि इस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका राष्ट्रीयकरण अनिवार्य हो गया है ।

खेद की बात है कि हम जस्ते तथा अन्य धातुओं का बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं । जबकि हमारे यहां इसके उत्पादन की क्षमता तथा इसके संसाधन उपलब्ध है । हमें इनका आयात बन्द करके उल्टे इसका निर्यात कर सकते हैं । राजस्थान में इसके प्रचुर भण्डार हैं । मंत्री महोदय की इस बात से हमें प्रसन्नता हुई है कि वह अब भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा खनिज अन्वेषण निगम को गहन अन्वेषण के लिये अनुदेश दे रहे हैं । बौक्साइट तथा तांबे के नए निक्षेपों का हाल में पता लगने से जस्ते की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । 10 वर्ष पूर्व इसकी स्थिति अत्यधिक गम्भीर थी । धातु और खनिज व्यापार निगम का अलौह धातु का आयात कार्य बहुत तेजी से कम होता जा रहा है ।

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में समन्वय की कमी के कारण ही आज तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाये । हर्ष की बात है कि इस सम्बन्ध में यह विधेयक पेश कर लिया गया है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं ।

लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कार्य के बेकार हुये घंटो के बारे में भी बताया है । 1973–74 के दौरान संयंत्र 1251 घंटे बन्द रहा । यह उचित नहीं है । हमें हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिये कि एक भी क्षण व्यर्थ बरबाद न हो ।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक—जारी

METAL CORPORATION (NATIONALISATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL—CONTD.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य ने अपना भाषण जारी रखते हुये कहा : हमें अलौह धातुओं का अधिक तेजी से पता लगाना है । मंत्री महोदय ने पहले ही इसके लिये कार्य-भूमिका तैयार कर ली है । हमें पूर्ण विश्वास है कि अतिरिक्त निक्षेपों के लिये इस अभियान और इसके खोज कार्य से क्षमता बढ़ेगी और हमारी आवश्यकताओं तथा उत्पादन में होने वाला असन्तुलन अतीत की बात हो जाएगी ।

चूंकि खान विभाग का तांबे, जस्ते, सीसे तथा ऐसे खनिजों, जिनकी बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, से सम्बन्ध है, इसलिये मंत्री महोदय को एक औद्योगिक इंजीनियरिंग कक्ष बनाने के बारे में विचार करना चाहिये ।

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : यद्यपि विधेयक स्वागत योग्य है फिर भी अध्यादेश जारी करने की इस आदत से सन्तोष हो पाना कठिन है। यह अध्यादेश 2 अगस्त, को जारी किया गया जब कि लोक सभा का सत्र 10 अगस्त से आरम्भ होने वाला था। लोक सभा के सत्र के आरम्भ होने से पहले अध्यादेश जारी करने की यह प्रथा बड़ी अवांछनीय है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

उद्देश्यों और कारणों के विवरणों में कहा गया है कि कम्पनी का प्रबन्धक वर्ग दो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों अर्थात् जस्ते और सीसे के उत्पादन और विस्तारण कार्यक्रमों में लम्बी चौड़ी मुकदमेबाजी के माध्यम से रोड़ा अटका रहा था। कम्पनी कुप्रबन्ध के कारण जवार खानों के विस्तार की परियोजनाओं तथा उदयपुर के निकट बनाए जाने वाले जस्ता प्रद्रावक संयंत्र को पूरा नहीं कर सकी। उसके सारे कार्यक्रम ठप्प हो गये थे। तथा कम्पनी सप्लायरों को मशीनरी इत्यादि के लिये भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं थी। इन परिस्थितियों में हम इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का पूरा समर्थन करते हैं।

विधेयकी धारा 4 के खण्ड 3 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रबन्ध कार्य की देखरेख करने वाले सभी व्यक्तियों, जिनमें निदेशक, मैनेजर और अन्य प्रबन्ध कर्मचारी आते हैं, को अपने पद खाली करने पड़ेंगे। यह बहुत उचित उपबन्ध है। क्योंकि कम्पनी के कुप्रबन्ध के लिये ये ही लोग जिम्मेदार हैं और मुकद्मेबाजी में समय बर्बाद करके इन्होंने कम्पनी के संसाधनों को बेकार किया है।

धारा 5 के द्वारा कम्पनी में प्रशासक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। सरकार को एक ऐसे प्रशासक की नियुक्ति करनी चाहिये जिसे इस सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव हो तथा जिसे इस कम्पनी को चलाने के लिये पर्याप्त तकनीकी ज्ञान हो।

विधेयक में कम्पनी को मुआवजा देने का भी उपबन्ध किया गया है। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारियों की समूची बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाये। कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि भी वसूल की जानी चाहिए। इस कम्पनी के पहले प्रबन्धक वर्ग ने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि सरकार के पास जमा नहीं की है। इसका पूरी तरह सत्यापन किया जाए तथा कम्पनी को दिये जाने वाले मुआवजे में से कर्मचारियो की भविष्यनिधि की राशि घटा ली जाये।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी कर्मचारी की छटनी न हो। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि इस कम्पनी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन अन्य राष्ट्रीयकृत कम्पनियों और खानों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के समान हो।

विधेयक की धारा 20 में उल्लिखित दण्डात्मक उपायों को भूतपूर्व प्रबन्धक वर्ग के विरुद्ध, यदि वे कम्पनी की पूंजी को क्षति पहुंचाने तथा कुछ अन्य अनियमितताओं को बरतने के दोषी पाये जाते हैं, कठोरता से लागू किया जाये। तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के लिये कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

सरकार को जस्ते और सीसे के और निक्षेपों का पता लगाना चाहिये। इस सम्बन्ध में खनिज धातु व्यापार निगम तथा भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण इत्यादि के विशेषज्ञों से

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

परामर्श किया जा सकता है । हमें इस क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिये ।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) Welcoming the Bill said : although the Bill has come quite late we are happy that only Rs. 1·98 crores will be paid to the company wereas it has demanded Rs. 101 crores. The Minister deserves to be Congratulated for this saving.

Zinc and lead are very essential raw materials and have an important place in the economy of the Country. We are happy that the Government propose to undertake an expansion programme in this regard.

It is heartening to learn that a smelter is going to be set up at Tundee. But what is desirable is that smelters should be set up at places where raw material is available. This will save transportation expenses and consequently the cost of production will also be reduced.

Since Zinc and lead are very strategic raw materials all the smelters set up in the private sector should be nationalised. If these metals are left in the private sector there is a possibility of their being misused.

Long back when Bihar and Orissa formed one state a survey was conducted and Zinc and lead was found there. There should be another survey conducted in that area and if those minerals found more smelters should be set up there.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : धातू निगम के इस विशिष्ट एकक का राष्ट्रीयकरण करने के लिये इस्पात और खान मंत्री बधाई के पात्र हैं । अब चूंकि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, अब इसमें केवल उन्हीं लोगों को प्रबन्ध कार्य सौंपा जाना चाहिये जिनकी कि राष्ट्रीयकरण में आस्था है । इस एकक का मुखिया केवल उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिये जिसे तकनीकी ज्ञान हो ।

इस विधेयक में कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने सम्बन्धी कई उपबन्ध हैं । फिर भी कुछ खण्डों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है । खण्ड 18 (1) में दी गई अभिव्यक्ति "सद्-विश्वास" बहुत अस्पष्ट है । जब तक इस अभिव्यक्ति की उचित परिभाषा नहीं की जाती तब तक इसके दुरुपयोग की पूरी सम्भावना है । मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये ।

खण्ड 14 (2) में कहा गया है कि कर्मचारी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में नहीं जा सकते । किन्तु कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये ताकि वे मुआवजे की मांग कर सकें । इसके लिये एक सलाहकार समिति या फिर अपीलीय निकाय होना चाहिये ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रबन्धक वर्ग ने कर्मचारियों की भविष्यनिधि की राशि जमा कर दी है । हम उनकी आस्तियों और दायित्वों के बारे में जानकारी चाहते हैं । हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस कम्पनी को 1.98 लाख रुपये की राशि 11 लाख रुपये प्रति माह की दर से देने से पहले क्या कर्मचारियों की देय राशि इस राशि में से घटा ली जायेगी । हमें प्राथमिकतायें निर्धारित कर लेनी चाहिये । इस बात को न तो विधेयक में और न ही उद्देश्यों और कारणो के विवरण में स्पष्ट किया गया है । हम यह भी जानना चाहते है कि कर्मचारियों को कितनी राशि देय है । कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या होंगी इसे भी स्पष्ट किया जाये ।

Shri Hari Singh (Khurja) This Bill provides for the taking over of the management of the undertaking of the Metal Corporation is very Commendable measure in the interests of the nation and the Minister deserves Congratulation for bringing forth this Nationalization Bill.

Lead and Zinc are not only used in goods for domestic purposes but they are also in great demand to fulfil the needs of our defence. So it is essential for strengthening nation's economy that such heavy industries as depended on those minerals should be nationalized.

Just now my friend Shri Banerjee was refering to the issue of re-employment of employees of the Corporation. In this regard I may submit that it has been very clearly laid down in chapter VI clause 14 that all possible provisions for securing the emoluments, pension and service conditions of employees has already been made. There interests have been fully safeguarded.

Regarding zinc, I may submit that it is heartening to note that our production of zinc has inereased by 32 percent since the Government took over its production. In case of lead also, Government is making rapid attempts to attain self sufficiency in the same. With these words I support the Bill.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : विधेयक को प्रस्तुत करते हुये मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मुआवजे की राशि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दी जा रही है जिसका हिसाब प्रशासनिकतंत्र द्वारा विधि और बिल मंत्रालयों के परामर्श के बाद लगाया गया है। 320 लाख रूपये की कुल राशि में से 122 लाख रुपये 1965 से लेकर अधिग्रहण की तिथि 2 अगस्त, 1976 तक के लिए दिया गया है। इस बात के पीछे कोई ठीक तर्क नज़र नहीं आता है। यद्यपि यह कार्य 1965 में आरम्भ कर दिया जाना चाहिये था परन्तु यह कार्य 1976 में शुरू किया गया। इसके उपरान्त भी विचित्र बात यह है कि कम्पनी को अपना कार्य रोक देने के लिए लगभग 11 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से मुआवज़ा दिया जा रहा है।

हमें अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि मुआवजे का यह हिसाब किस प्रकार लगाया गया है। हमारे पास उस कम्पनी का वित्तीय विवरण तो है नहीं फ़िर भला हम इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। हां मंत्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह अवश्य कहा है कि उन्होंने मध्यस्थों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की थी। तथ्य तो यह है कि यह कम्पनी गत 10 वर्षों से बंद पड़ी है। अतः इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार यह पता लगाये कि बाज़ार में इस कम्पनी के शेयर किस भाव से बिक रही है।

आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार जब किसी कम्पनी या मिल को अपने अधिकार में ले रही होती है, तो उसके मालिक पूंजीपति अपने औद्योगिक उपक्रम को रुग्ण सिद्ध करवा, सरकार से अधिक मुआवज़ा प्राप्त कर लेते है। सरकार को पूंजीपत्तियों की इस चाल से सहा सतर्क रहना चाहिये। सरकार की इतना अधिक मुआवज़ा नहीं देना चाहिये। मैं समझता हूं कि मुआवजे के रूप में केवल 5 रुपये ही कम्पनी को दिये जा सकते है। हमें मुआवज़ा देने की प्रक्रिया पर फ़िर से विचार करना चाहिये।

स्पात और खान मंत्री (श्री चरणजीत यादव) : मैं माननीय सदस्यों का बहुत अभारी हूं कि उन्होने इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया। वास्तव में इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का उद्देश्य जस्ते और सीसे के निक्षेपों का पता लगाना तथा उनका समुचित विकास करना था। हमारा यह भरसक प्रयास है कि देश जस्ते तथा सीसे के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले। हम इस सम्बन्ध में बहुत गंभीरता से प्रयत्नशील हैं। हमें अपने प्रयत्नों के फ़लस्वरूप अनेक उपलब्धियां भी हुई है।

चर्चा के दौरान अल्यूमीनियम का उल्लेख भी किया गया था। वर्ष 1974 में देश में केवल 1.28 लाख टन अल्यूमिनियम का उत्पादन हुआ था जबकि गत वर्ष देश में 1.66 लाख

टन अल्यूमीनियम का उत्पादन हुआ। यह हर्ष की बात है कि हमने इसका आयात करने के बजाय लगभग 35,000 टन से भी अधिक अल्यूमीनियम का अन्य देशों को निर्यात किया। इसी प्रकार तांबें की स्थिति भी अच्छी ही रही है। अब तांबा विकास की संभावना पहले से कही अधिक हो गई है। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मलाचेकुड को सर्वोच्च प्राथमिकता देना स्वीकार कर लिया है और इन स्थानों पर अच्छा तांबा मिलता है। एच० जैड० एल० को आवश्यक धन उपलब्ध कराया गया है ताकि वे आवश्यक कार्यवाही कर सके।

इस निगम की अन्य खानों का भी विकास किया जा रहा है। 1965 में हमने इस कम्पनी को अपने अधिकार में लिया तब से यह सरकारी उपक्रम के रूप में मानी जाती रही है लेकिन कम्पनी मुआवजे की राशि को स्वीकार नहीं कर रही है इसलिए काफ़ी अनिश्चितता उत्पन्न की जा रही है। अतः इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए तथा मामले को हमेशा के लिए निपटाने के लिए ताकि सरकार को बाद में बेकार में, मुकद्दमेबाजी के जंजाल में न फ़ंसना पड़े हमने इस अध्यादेश और इस विधेयक को लाना आवश्यक समझा है।

जहां तक एच० जैड० एल० के उत्पादन और कार्यकरण का सम्बन्ध है आंकड़े स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस उपक्रम में कितनी संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है। अतः इस कम्पनी का विस्तार करने के लिए इस उपक्रम का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न किया गया है कि हम उन्हें मुआवजा क्यों दे रहे हैं इसमें कुछ कानूनी बाध्यतायें हैं जब हमने इस कम्पनी को अपने अधिकार में लिया था तब यह रुग्ण कम्पनी नहीं थी। कम्पनी को उस समय भी मुनाफ़ा हो रहा था लेकिन उसका विस्तार नहीं किया जा रहा था। इसलिए सरकार को कम्पनी को अपने अधिकार में लेना आवश्यक हो गया और इसलिए हम उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। कम्पनी ने 101 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था। लेकिन हम उन्हें 1.98 करोड़ रूपए दे रहे हैं। सरकार इस कम्पनी को जो मुआवजा दे रही है वह उचित है साथ ही हम विस्तार योजनाओं को भी शुरू कर रहे हैं इस दिशा में कई नए उपाय किए गए हैं। मंत्रालय ने भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण को इन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों जैसे जस्ता, तांबा क्रोमाइड और मैंगनीज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है हमें अपने आयात बिलों को घटाना है तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। इन खनिज पदार्थों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए सभी संभव उपाय किए जायेंगे।

यह कहा गया है कि इन खनिजों के निकाले जाने के स्थान पर पिघलाने के संयंत्र लगाए जायें। हम इन संयंत्रो की स्थापना देश के प्रत्येक भाग में नहीं कर सकते। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हम राजस्थान में बहुत बड़ा पिघलाने का संयंत्र लगाने पर विचार कर रहे हैं।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाए गए हैं। किसी भी कर्मचारी की छंटनी करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच बड़े आदर्श सम्बन्ध है। पुराने अधिनियम का निरसन कर दिया गया है तथा कुछ कानूनी बाध्यता के कारण इस बिधेयक को लाना पड़ा है।

इस कम्पनी में 8,200 कर्मचारी काम करते थे। पिछले तीन वर्ष से उसमें उचित लाभ हो रहा था। पर सुधार के लिए सदैव अवसर रहता है। कर्मचारियों के उत्तम सहयोग प्रबन्धकों के अच्छे कार्य तथा अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण ये उपक्रम ठीक प्रकार काम करने लगे हैं।

इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें इस बात का गर्व है कि इस वर्ष 98 प्रतिशत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। हाथ में लिए जाने वाले इन प्रस्तावित सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी प्रबन्ध में पूरी तरह से भाग ले रहे हैं।

श्री बी० पी० नायक (कनारा) : अप्रैल, 1971 में आपने यह आंकड़े 1.98 करोड़ रुपये बताये थे। अब यह आंकड़े 3.20 करोड़ हो गये है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रबन्ध कार्य से अलग करने के लिए मुआवजा तो देना ही था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"राजस्थान राज्य के ज्वार क्षेत्र में और उसके आस-पास जस्ते और सीसे के भंडारों का लोकहित में, यथासंभव पूर्णतया समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग करने के लिए जिससे सर्वसामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए मेटल कारपोरेशन के उपक्रम का प्रबन्ध, ऐसे उपक्रम का उक्त कारपोरेशन को पुनः अन्तरित और उसमें पुनः निहित हुआ समझे जाने के पश्चात् ग्रहण करने का और मेटल कारपोरेशन के उपक्रम के पश्चातवर्ती अर्जन का और उनसे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। क्या श्री नायक अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री बी० पी० नायक : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2–25, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2—25, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

clauses 2—25, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री चरणजीत यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लक्ष्मी रतन एण्ड एथरटन काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

THE LAXMIRATON AND ATHERTON WEST COTTON MILLS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कतिपय कम्पनियों के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक लोक हित में ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध इस दृष्टि से करने के लिये कि कतिपय किस्म के कपड़ों का, जिनकी समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यकता होती है और जिनकी रक्षा विभाग को भी आवश्यकता होती है, प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लक्ष्मीरतन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 19 जुलाई, 1976 को जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मई, 1975 से बन्द पड़ा लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और एथरटन वेस्ट कं० लि० का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाँथों में ले लिया। क्योंकि बन्द पड़ी हुई मिलों के लगभग 5,000 श्रमिक बेकार थे और उत्पादन पर भी उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यह कदम सरकार ने अनेक विकल्पों पर विचार करने के बाद उठाया क्योकि सरकार के पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह गया था। इस बुनियादी निर्णय के बाद सरकार के सामने यह बात भी आयी कि यदि इन उपक्रमों का प्रबन्ध तुरन्त हाथ में न लिया जाता तो इस बात की काफ़ी संभावना थी कि कम्पनी की हस्थियों में काफ़ी अधिक हेराफ़ेरी की जा सकती थी।

इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट कर दूं कि केन्द्रीय सरकार की सामान्य नीति अब अन्य संकटग्रस्त अथवा बन्द पड़ी हुई मिलों को अपने हाथ में लेने की नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा पहले ही 103 मिलों का कार्यकरण अपने हाथ में लिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतिपथ कम्पनियों के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक लोकहित में ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध इस दृष्टि से करने के लिये कि कतिपथ किस्म के कपड़ों का, जिनकी समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यकता होती है और जिनकी रक्षा विभाग को भी आवश्यकता होती है, प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** : "घाटल" यह विधेयक सरकार कानपुर के लक्ष्मी रतन काटन मिल्स और एथर्टन वेस्ट एण्ड कम्पनी मिलों को हाथ में लेने के लिये 19 जुलाई, 1976 को जारी किए गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाई है। ये मिल कमजोर वर्ग और रक्षा मंत्रालय के लिए कपड़ा बनाते थे। ये मिल मई, 1975 से बन्द पड़े थे। जिसके परिणामस्वरूप 5000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे तथा उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही थी और उत्पादन की हानि हो रही थी।

---

*! बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

यह विधेयक, यद्यपि उचित दिशा में एक कदम है परन्तु यह बड़ी देरी से लाया गया है। वर्तमान प्रबन्धकों द्वारा इनकी वित्तीय अवस्था सर्वथा खराब किये जाने से पहले ही सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये थी।

ये मिल रक्षा मंत्रालय को कपड़ा सप्लाई करते थे। उनका बाजार निश्चित था इसलिये बिक्री के अवसरों के कम होने को इनके बन्द होने के कारण नहीं बताया का सकता। तथ्य यह है कि प्रबन्धक अंशधारियों को धोखा देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त ये दोनों मिल सरकारी रुपये और उसके क्रयादेश का लाभ उठा रहे थे। परन्तु फ़िर भी वे पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे थे। यह प्रबन्धकों का अपराध था। उनके विरुद्ध देश के दाण्डिक विधान के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये तथा उनके मामलो में आंसुका का भी उपयोग किया जा सकता है।

उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में यह कहा गया है कि ऐसा डर है कि कम्पनी की आस्तियों में बड़ी हेरा-फेरी की जा सकती है, जो जनहित के लिये हानिकर सिद्ध हो सकता है। सरकार सारे मामले की तुरन्त जांच कराये और यदि इसमें सत्यता हो तो अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

खण्ड 13 में अभिरक्षक को एकछत्र अधिकार दिया गया है। अभिरक्षक को दी गई इन शक्तियों के कारण कर्मचारियों के हितों को हानि पहुंच सकती है, तथा इसकी कोई गारन्टी नहीं कि इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। अतः इस खण्ड को निकाल दिया जाये।

हमारा यह अनुभव है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर कार्मिक संघ गतिविधियों को रोकने के लिये किया जाता है और इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति प्रायः इसके शिकार होते हैं। अतः मेरे विचार में विधेयक के इस खण्ड का लोप किया जाना चाहिये।

इस विधेयक को देखने पर पता चलता है कि इसमें वर्तमान कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्या उन सभी को नये प्रबन्ध के अधीन इन मिलों में रखवा लिया जायेगा; जिस बीच मिल बन्द रही उस समय का क्या उन्हें मुआवजा या वेतन दिया जाएगा; क्या भूतपूर्व प्रबन्धक ने भविष्य निधि आयुक्त को भविष्य निधि के अंशदान की पूरी राशि का भुगतान किया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार वह राशि देगी और क्या कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि का पूरा भाग उन्हें दिया जाएगा? अतः मंत्री महोदय ये सब बातें स्पष्ट करें। मंत्री महोदय यह भी सुनिश्चित करें कि वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाये और उनके हितों की रक्षा की जाये।

कम्पनी को जनहित में हाथ में लिये जाने के कारण क्या मुआवजा दिया जाना आवश्यक है? इस सम्बन्ध में वर्तमान अधिनियमों का संशोधन करने का सबसे अच्छा समय है तथा सरकार द्वारा जनहित में किसी संगठन को हाथ में लिये जाने की दशा में कोई मुआवजा न दिया जाये।

Shri Ram Singh Bhai (Indore). I support the bill and congratulate the Minister for this. Government have taken a right of decision. This will provide jobs to those workers who were thrown out of employment after the closure of these mills.

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुये
Shri P. Parthasarthi in the Chair.]

Some of the directors, who are responsible for mismanagement and for bringing the affairs of these mills to such a pass are absconding. Government should inform the House what action is proposed to be taken against these directors.

The Bill provides that the owners will receive some rent for their properities from the Government. They should not be given a single paisa, because the ownees have not only fleeced the mills but they have misappropriated the money due to workers. A huge amount is due to workers from these mills on account of their wages, salaries and provident fund. It is not known how Government propose to pay this amount to the workers.

Government should also outline their policy as to how they propose to run these mills after the take-over. In many cases these very presons, who are responsible for closing the mills have been entrusted with their management after the takeover with the result that corrupt practices have increased and the mills are incurring heavy losses. This should be looked into.

It is unfortunate that the conditions of most of the textile mills is far from satisfactory. They need renovation and modernisation, but the management is quite indifferent of it. Their only motive is to export as mush profit as they possibly can. Besides, many corupt practices have been rampant in the management. Government should appoint a study group which should go into the present condition of the textile industry and suggest measures for its improvement. Government should also constitute some machinery which should go in to the working of each mill at least once a year. This will go a long way in improving the present state of the textile industry.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय को उनके द्वारा की गई कार्यवाही के लिये बधायी देता हूं । कानपुर के मजदूरों ने और इन दो मिलों के कर्मचारियों ने राम रतन गुप्त और उनके सहयोगियों के विरुद्ध दृढ़तासे लड़ाई की । श्री राम रतन गुप्त कानपुर के बड़े आदमी हैं और वह कानपुर के बड़े आदमी बने रहेंगे । सरकारी भुगतान जो उन्होंने नहीं किया है, उनकी पूंजी है, । मेरे विचार में स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने न तो कोई आयकर दिया है और न ही धनकर दिया है । उन्होंने अन्तिम दिन यह प्रयास किया कि इन मिलों को सरकारी हाथों में न लिया जाय । उन्होंने इन मिलों के हाथ में न लिये जाने के समर्थन में 135 विधान सभा सदस्यो के हस्ताक्षर भी इकटठे कर लिये थे । मैंने यह बात तुरन्त मंत्री महोदय को बताई, उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि श्री राम रतन गुप्त को मिल नहीं चलाने दिया जाएगा तथा उसे सरकारी हाथों में ले लिया जाएगा । अतः मैं इसके लिये न केवल मंत्री महोदय को ही अपितु 7500 से 8000 कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने भुखमरी तक सही परन्तु सरकार द्वारा मिल के राष्ट्रीयकरण का नारा नहीं छोड़ा ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन अधिकारियों और निदेशक मंडल के सदस्यों को वहां न रखा जाए जिन्होंने श्री राम रतन गुप्त के साथ सांठ-गांठ में सहयोग दिया था । इन अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी जांच की जानी चाहिये । मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि कर्मचारियों की मजदूरी का क्या होगा । पिछले एक वर्ष में मिलों के बन्द रहने के दौरान उन्होंने अपनी भविष्य निधि की पूरी राशि अग्रिम राशि के रूप में लेकर समाप्त कर दी है । इन दोनो मिलों के 7500 कर्मचारियों के पास अब अपना काम चलाने के लिये कुछ नहीं है । उनमें से कुछ को अपने बच्चों को स्कूलों से हटाना पड़ा है क्योंकि वे उनकी

स्कूल फ़ीस देने में असमर्थ थे। अतः इसको दो करोड़ रुपये का कुछ भाग कर्मचारियों को उनकी मजदूरी के रूप में दे दिया जाये। इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी और उन्हें भूखे नहीं मरना पड़ेगा।

हमारा यह प्रयत्न है कि ये मिलें कुशलता से चलें। लक्ष्मी रतन मिल का 90 प्रतिशत उत्पादन और एथर्टन वैस्ट का 80 प्रतिशत उत्पादन चाहे केनवस, दोसूती या त्रिपाल है, सेना के लिये होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इन मिलों को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद ये मिलें रक्षा उत्पादन एककों के सहायक एकक बनें। नये बोर्ड में जनप्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहियें। पुराने निदेशकों को अपने पदों पर बने रहने नहीं देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा एथर्टन वैस्ट एण्ड कम्पनी 15 महीने पहले बन्द किये गये थे जिसके फलस्वरूप 5000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे। ये कर्मचारी बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे थे। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सरकार इनका ने प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया है जिससे इन कर्मचारियों को फिर से रोजगार मिल जाएगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मोटा और मध्यम किस्म का कपड़ा बनाने वाली मिलें बड़े कठिन समय से गुजर रही हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलो को नियंत्रित कपड़े के दायित्व से छूट मिल गई है लेकिन फिर भी उनमें भारी हानि हो रही है क्योंकि वहां प्रयोग में आने वाली रुई का मूल्य 100 प्रतिशत बढ़ गया है और इसके साथ अन्य खर्चे भी बढ़ गये हैं जब कि कम मांग के कारण उनके उत्पादों के मूल्य पर्याप्त रूप से नहीं बढ़े हैं। इन वर्षों में जनता की रुचि भी बदल गई है। लोग अब मोटे और मध्यम किस्म के कपड़े को पसन्द नहीं करते हैं जब कि ये कपड़े 20 वर्ष पूर्व बहुत लोकप्रिय थे। जब तक ये मिलें अपने उत्पादन में परिवर्तन नहीं करतीं तब तक कठिन स्थिति चलती रहेगी।

दूसरी बात यह है कि नियंत्रित कपड़े का मूल्य उसकी उत्पादन लागत से 40 प्रतिशत कम है। इतने कम मूल्य पर भी इस कपड़े की खरीद कम है। निर्माताओं के पास स्टाक जमा होता जा रहा है। और मंत्री महोदय को मालूम है कि अपने स्टाक को कम करने के लिये उन्होंने अपने वितरकों को स्टाक रीलीज किया है। इसका अर्थ हुआ कि कम मूल्य पर भी इसकी मांग कम है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ताकि जनता को बढ़िया किस्म का कपड़ा मिल सके। जब लोगों को उनकी पसन्द का कपड़ा मिलेगा तो उन्हें अधिक मूल्य देने की कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः इसके ढांचे में परिवर्तन करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे।

नियंत्रित कपड़े का निर्धन वर्ग के लिये कपड़े की प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उद्योगों को हिदायतें दी जायें कि वे अपना 25 प्रतिशत उत्पादन लागत मूल्य पर ही सप्लाई करें और इसमें मूल्यह्रास न जोड़ें। यह लागत मूल्य मिल के प्रबन्धकों द्वारा नहीं बल्कि सूती कपड़ा आयुक्त द्वारा निर्धारित की जानी चाहिये। इसका वास्तविक हल यही है क्योंकि जनता को विभिन्न प्रकार का कपड़ा कम मूल्य पर मिलेगा।

Shri B. R. Shukla (Bharaich) : I support this Bill. The question of taking over private company by Government arises due to mismanagement. The owners of private companies create such conditions. They take loans from banks for the development of the company but utilise it some where else, where they expect more profit. They stop paying income-tax, excise duty etc. to Government. They also stop paying wages to workers and their contribution to Provident Fund, resulting in deterioration of economic condition of the company. In the end they declare lay off as has happened in these mills.

There are various departments of the Government which are responsible for ensuring proper functioning of the mills. But unfortunately their work has not been up to the mark. I am forced to comment that the Provident Fund Commissioner has been showing soft corner to the defaulting mill owners. The commissioner has not taken any action against the management or the owners of those mills which have failed to deposit the provident fund many of the workers.

Now these two mills have been taken over by the Government. The Government should give an assurance that all dues of the workers will be paid. The dues of the workers should be made the first charge on the compensation to be paid to the share holders or mill owners. It is only after deducting the dues of the workers that the remaining amount should be paid to the share holders or the mill owners.

There is another basic question. Under the provisions of the bill the entire management stands dissolved. The bill is silent over the point whether any person from the old management can be taken in the new management. I want to point out that in the new management only honest and efficient persons from the old management should be taken. Those people in the old management who have contiributed to the sickness of the mill should not be included in the new management.

It is often seen that the millowners are themselves responsible for the sickness of the mills. Under the circumstances created by mill owner the Government have no option but to take over the mills. In most of the cases it is seen that the mill owners do not instal new machinery even though the old machinery might have out lived its utility. There should be provision for compulsory installation of new machinery after a specified period.

While supporting the present bill I would suggest that while introducing such bills Government should furnish full report to the House explaining the reasons responsible for the sickness of the mill. Moreover it is of utmost impotance that the Government should take timely action to prevent the mills falling sick.

Shri Hari Singh (Khurja) : The Government have taken over the management of Laxmirattan and Aherton West Cotton Mills, as the closure there of had rendered five thousand workers Jobletss. At present ideological war is going on between the big industrialists and the Govermet. The policies of the Government do no suit their conveience and as a result thereof they create such conditions which are responsible for the falling sick of their mills. These are not the only sick mills and there is every likeldihood that some other mills may also fail in the line. No one can root out the apprehension that all the textile mill owners may come together for creating textile crisis in the country. Cloth is an essential Comodity next only food. The Govenment should, therefore, keep a watch on the functioning of textile mills of that they did not creatcrisis for the Country. There should be a Committee to go into the working of the mills from time to time so as to keep a watch on the functioning of the mills.

I have the Satisfaction of saying that our textile technology has gone ahead and some of our mills are producing such cloth which can be compared favourably with the Cloth produced in advanced countries. The demand of our cloth in foreign market has gone up. This all shows our advancement and the hardwork put in by the Ministry. But the good of our country is socialism. We should not give much importance to varieties, designs and prints etc. The textile mills should not be allowed to produce too many varieties. There should not be more than five or six varieties of cloth.

The textile mills which are being taken over have taken certain loans. Why should the Government alone bear the burden of paygment of those loans. The owners of these units should also share this burden.

I support the bill.

Shri M.C. Daga (Pali): It is good that the Government are taking over these units in the interest of the workers. This measure will give relief to five thousand workers. But

at the same time I fail to understand as to why the workers, are being deprived of the benefits of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, the Industrial Disputes Act, 1947 and the Minimum Wages Act, 1948. The workers are already in difficulty and to deprive them of the benefits of these acts, particularly the benefits of the Minimum Wages Act is not justified.

I would like to draw the attention of the House to the following lines:—

"(*a*) all or any of the enactments specified in the Schedule shall not apply or shall apply with such adoptations, whether by way of modification, addition or omission....."

It has been further stated :—

"(*b*) The operation of all or any contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instuments in force.....immediately before the date of issue of the notification shall remain suspended....."

This means the Government are taking powers to change, modify or cancel in contracts etc. entered into by these companies. When the Government are taking over the management of these companies, they should honour the agreements etc. Signed by these mills, other wise the affected persons would suffer.

My next suggestion is that all the sick mills should not be taken over by the Centre. There might be somany sick mills in the Country. There are twenty two states in our Country and the State Governments are there. The management of the sick mills should be entrusted to the State Governments and if need be the finances can be provided by the Centre. I am of the view that this arrangement will yield better results. With all this I will say that the Centre is free to issue guide lines to the States.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : सर्वप्रथम मैं सभा का ध्यान विधेयक की प्रस्तावना की ओर दिलाना चाहता हूं । इन मिलों के बन्द होने से लगभग 5000 श्रमिक बेरोजगार हो गये थे । परन्तु विधेयक की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं । सरकार ने विधेयक की प्रस्तावना में इन मिलों के अधिग्रहण के ये कारण बताये हैं कि इनके बन्द हो जाने से रक्षा विभाग को कैनवस तथा दसूती की सप्लाई पर कुप्रभाव पडा है तथा समाज के कमजोर वर्गों को मोटा और दरमियाना कपड़ा मिलने में कठिनाई पेश आई है । इन दो कारणों के सिवाय इन मिलों के अधिग्रहण के अन्य कारण नहीं बताये गये हैं ।

मैं विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं और न ही अधिग्रहण के विरुद्ध हूं । मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने जिस कारण से अर्थात् 5000 श्रमिकों को बेरोजगारी से बचाने के लिए इन मिलो का अधिग्रहण किया है, उस का प्रस्तावना में उल्लेखन क्यों नहीं किया गया । सरकार को प्रस्तावना तैयार करते समय निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिये था ।

इस देश में बहुत सी अन्य ऐसी मिल हैं, जिन्हें सरकार को अपने अधिकार में कर लेना चाहिये । सरकार को अपनी नीति के रूप में बेरोजगारी को प्रेरक घटक के रूप में मानना चाहिये, जिसके अन्तर्गत किसी मिल का अधिग्रहण किया जा सके । यदि यह प्रेरक घटना है तो उन सभी बन्द पड़ी मिलों की, जिनका अर्जन किया जा सकता है और बेरोजगारी दूर हो सकती है, विस्तृत

जांच की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में समान नीति अपनाई जानी चाहिये। बेरोजगारी को ही एक मात्र प्रेरक घटक माना जाना चाहिये, जिसके लिये कर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं।

यह कहा गया है कि अभिरक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इन दो मिलों के अधिग्रहण के लिये पृथक विधेयक लाया गया है। यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम अधिनियम ठीक से बनाया गया होता, तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय कपड़ा निगम अधिनियम ने इस निगम द्वारा अधिग्रहण किये जा सकने वाले मिलों की संख्या बहुत कम रखी गई है, जिसका परिणाम यह होता है कि जब कभी सरकार को किसी मिल का अधिग्रहण करना होता है, उसे संसद् के समक्ष विधेयक लाना पड़ता है। यह बिल्कुल अनावश्यक है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, जिससे राष्ट्रीय कपड़ा निगम की क्षेत्र सीमा समाप्त की जाये और यह मिलों के अपने अधिकार में ले सके। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये और इस आशय का संशोधनकारी विधेयक लाया जाना चाहिये।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने इन मिलों के अधिग्रहण का निर्णय किया है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मिलों का अधिग्रहण करना गलत नहीं है, अपितु यह समझ नहीं आता कि निदेशक मंडल के उन सदस्यों को जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया उनको मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। विधेयक के उद्देश्य तथा कारण सम्बन्धी विवरण से यह ज्ञात होता है कि उन्हें 10000 अथवा 8000 रुपये की राशि के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा परन्तु यह मुआवजा दिये जाने के क्या कारण हैं। उनको मुआवजा देना तो ऐसी बात है जैसे कि डाक्टर रोगी से फीस लेने की बजाय उसे फीस दे।

सरकार द्वारा मिलों के अधिग्रहण का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि कर्मकार बेरोजगार न हों और कुप्रबन्ध को दूर किया जा सके। सरकार को प्रबन्ध के लिये उन्हें अपने अधिकार में लेना चाहिए, न कि उनकी आस्तियों को देख कर सरकार को पुराने प्रबन्धकों, जिन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, द्वारा लिये गये ऋण, उनके देयताओं, उनकी वचनबद्धताओं तथा गलतियों की गारंटी नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लेने का सिद्धान्त गलत और खराब है। कोई भी व्यक्ति इतना धन नहीं लगाना चाहेगा। अतः केवल इन मिलों की आस्तियां और सम्पत्तियां एवं कारखाने ही अपने अधिकार में किये जाने चाहिएं और फिर नये सिरे से काम आरम्भ किया जाना चाहिए।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Chairman, Sir, while supporting the Bill, I would like to point out that no compensation should be paid to the millowners. The mill-owners have utilised the profits earned by them from these mills in making investments else where from where they could earn more profits. They knew it fully well that in case the mills fall sick, the Government will take them over and they will be paid compensation for that. They took no steps for replacing the old machinery and modernising the mills because to them it was more profitable to insert their earnings elsewhere and get the compensation for these mills, when they fall ill, instead of making investments in these mills for modernising them. The old machinery is useless for the Government. What we have to do with this old machinery? We should only see that no worker is rendered jobless. The old machinery should be given to the old owners and they can auction if they so like. The Government while taking over the sick mills should pay no compensation for the old machinery, as it is useless. The Government should start the mills with new machinery.

A tendency is growing among the mill owners to allow their mills fall sick, because they know that they will be paid compensation, whenever their mill is taken over. Prevention is better than cure. The Government should take steps to see that the mills are not allowed to fall sick. A watch should be kept on the working of the mills and timely action should be taken to arrest deterioration in the functioning of the mill.

Coarse cloth which is being produced by these textile mills is not of good quality. Also the type of cloth required in a particular area is not supplied to the people. The matter should be looked into. I support the Bill.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : लक्ष्मी रतन काँटन मिल 10–5–75 को तथा एथरटन वैस्ट काँटन मिल 2–5–75 को बन्द की गई थी। इन मिलों के बन्द हो जाने के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है तथा लगभग 5500 श्रमिक बेरोजगार हो गये। यह राष्ट्रीय हानि हुई है। हम चाहते थे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों को अपने अधिकार में ले ले अथवा कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाये जिससे इन मिलों में पुनः काम चालू किया जा सके। हमने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इन मिलों को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया था। हमारे समूचे प्रयास विफल हो गये, क्योंकि इन मिलों को पुनः चालू करने में अनेक कठिनाइयां थीं। अतः इन परिस्थितियों में कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को चालू करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास इन मिलों को अपने अधिकार में लेने की बजाय और कोई चारा नहीं था।

जहां तक लक्ष्मी रतन काँटन मिल का सम्बन्ध है इसका कुल वार्षिक उत्पादन 3 करोड़ रुपये के लगभग था। इसकी वर्तमान आस्तियां 1.5 करोड़ तथा दायित्व 1.78 करोड़ के लगभग हैं। इसे पुनः चालू करने के लिये 3.20 करोड़ की आवश्यकता होगी। जहां तक एथरटन वैस्ट काँटन मिल का सम्बन्ध है, इसे पुनः चालू करने में 2 करोड़ 70 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

यह कहा गया है कि विधेयक की प्रस्तावना में अधिग्रहण के कारणों में बेरोजगारी सम्बन्धी दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन उद्देश्यों और कारणों के विवरण में हमने बताया है कि मिलों के बन्द हो जाने के कारण 5000 से अधिक कर्मकार बेकार हो गये हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार इस सम्बन्ध में कितनी चिन्तित है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति नहीं है कि किसी मिल विशेष की स्थिति पर विचार किये बिना एक के बाद एक रुग्ण मिल का अधिग्रहण किया जाये। यदि सरकार किसी भी आधार पर रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लेती है तो उससे ऐसा लगता है कि सरकार केवल रुग्ण मिलों की देख भाल कर रही है और लाभ पर चलने वाली एककों को गैर-सरकारी हाथों में छोड़ रही है। यह समस्या का कोई आदर्श हल नहीं है। इसी कारण, से सरकार ने इस मामले में नया और गहन दृष्टिकोण अपनाया है।

यदि राज्य सरकार के लिये इन मिलों को अपने अधिकार में लेना संभव होता, तो निश्चय ही यह बहुत अच्छी बात होती। कुछ मामलों में यह आदर्श समाधान होगा। केन्द्र सरकार द्वारा मिलों को अपने हाथ में लेना एकमात्र निदान नहीं है और न ही यह उत्तम है। सरकार यह भी नहीं चाहती कि ऐसी प्रत्येक मिल को राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने हाथ में ले, क्योंकि एसा करना सरकार की सामान्य नीति नहीं है।

कर्मचारियों के हितों के बारे में उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मिलों का अधिग्रहण ही इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के विषय में कितनी चिन्तित है। जहां तक चूककर्ता प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को देय भविष्य निधि की राशि अदा न करने का सम्बन्ध है, सरकार तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर मामले की जांच करेगी। फिलहाल यह अन्तरिम व्यवस्था है। जब राष्ट्रीयकरण के मामले पर विचार किया जायेगा, तब भुगतान आयुक्त इस की जांच करेगा।

सरकार के प्रयासों को सफल बनाने तथा रुग्ण मिलों को फिर से पहले जसी अच्छी हालत में लाने के लिये कर्मचारियों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिनके कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं, वे उन्हे सरकार को अधिकतम सहयोग देने के लिये कहें, ताकि सरकार अपने प्रयासों में सफल हो सके।

जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एककों को होने वाली आवर्ती हानि का सम्बन्ध है, कई बार इस सम्बन्ध में आंकड़े दिये हैं और बताया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कार्य कर रही 103 मिलों के उत्पादन में दिन-प्रति-दिन सुधार हो रहा है। अप्रैल, 1975 में जबकि 7.60 करोड़ रुपये की हानि हुई थी गत माह यह हानि एक करोड़ रुपये से भी कम थी अर्थात् कुल 98 लाख रुपये की हानि हुई है।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि सभी कपड़ा मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले तो वह अधिक प्रभावशाली हो सकती।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह कहना गलत है कि हम केवल मोटा और बीच की किस्म का कपड़ा ही बनाते हैं और हानि उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे कपड़े की मांग नहीं है। देहात में इसी कपड़े की मांग है। हमारे सामने समस्या वितरण सम्बन्धी कठिनाई है।

किस्मों की संख्या कम किये जाने का सुझाव अच्छा है। हम धीरे-धीरे किस्मों की संख्या घटा रहे हैं।

रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण समस्या का हल नहीं है। यह एक बड़ा ही रचनात्मक सुझाव है कि मिलों को उनके रुग्ण होने के पूर्व सूचना दे दी जाये। सरकार इस पर विचार कर रही है। यह परमावश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर मिलों के लम्बे समय तक बन्द रहने के बाद फिर चलाये जाने पर होने वाली हानि से बचाव हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख से ये दोनों मिल चलने लगेंगे। मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि कर्मचारियों को कुछ धन पेशगी दे दिया जाय।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता, मात्र इसके कि इस सम्बन्ध में सहानुभूति से विचार किया जायेगा। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मशीनों को तेल लगाया जा रहा है तथा उसे यथाशीघ्र चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय कम्पनियों के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक लोकहित में ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध इस दृष्टि से करने के लिये कि कतिपय किस्म के

कपड़ों का, जिनकी समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यकता होती है और जिनकी रक्षा विभाग को भी आवश्यकता होती है, प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार शुरू करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 17, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, और अधिनियम का नाम अधिनियम का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 17, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और अधिनियम का नाम अधिनियम में जोड़े गये ।

Clause 2 to 17, the Schedule Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) निरसन विधेयक

DHOTIES (ADDITIONAL EXCISE DUTY) REPEAL BILL

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

1953 का अधिनियम हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इसके अन्तर्गत मिलों द्वारा कोटा से अधिक धोतियों का निर्माण करने पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था। परन्तु मिलों द्वारा धोतियों का उत्पादन निर्धारित कोटे से बहुत नीचे गिर गया है। इसलिए इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। इसलिए सब पहलुओं पर

विचार करने के बाद विधेयक का निरसन करने का विचार किया गया। मैं विधेयक को सदन के विचार के लिए पेश करता हूं।

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुये। / SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि धोती (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : 1968 से धोतियों के उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आई है। इतनी ही नहीं बिजली का उपयोग करने वाली फैक्टरियो पर धोती का उत्पादन करने पर नियंत्रण लगा दिया गया। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि विधेयक को सदन में पेश किये जाने के बहुत पहले से धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम लागू नहीं था। अब अधिनियम का निरसन करने के लिए एक विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

उद्देश्य और कारण संबंधी वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि धोतियों के उत्पादन में गिरावट आई है परन्तु इसका कोई कारण नहीं बताया गया है।

इसका कोई उल्लेख नहीं है कि मिलों द्वारा बनाई जा रही धोतियों पर कितना नियंत्रण लगाया गया है तथा यह नियंत्रण क्यों और किसके लाभ के लिए लगाया गया है। इस बात का कोई उपबंध अथवा गारन्टी या आश्वासन नहीं है कि समाज के निर्धन वर्ग के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी।

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) निरसन विधेयक स्वागत योग्य विधेयक है। 1953 में अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क लगाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के हितों को रक्षा करना और मिलों के उत्पादन पर रोक लगाना था, जिससे वे हथकरघा को हानि न पहुंचा सकें। मिलों के लिए एक कोटा निश्चित कर दिया गया तथा उससे अधिक उत्पादन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा। परन्तु इससे मिलों द्वारा धोतियों और साड़ियों के उत्पादन में कमी आई। इसे दूर करने के लिए अब अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को हटाया जा रहा है। अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, क्योंकि मिलें कोटा के बराबर उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय यह बताएं कि उत्पादन के कम होने से मूल्य में कितनी वृद्धि हुई तथा सरकार ने इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई की है।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का एक मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना था। परन्तु के० के० शाह समिति ने अपने प्रतिवदन में कहा है "धोती का कोटा निश्चित करने की पद्धति असंतोषजनक रही है तथा इससे हथकरघा उद्योग को कोई तथ्यपूर्ण लाभ नहीं हुआ है।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान अधिनियम से हथकरघा उद्योग को कोई सीधा लाभ होगा और यदि हां, तो किस प्रकार ?

इस विधेयक से निसंदेह मिलों को लाभ होगा, परन्तु हथकरघा उद्योग को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आजकल विदेशो में हथकरघा कपड़े की काफी मांग है। तथापि मैं विधेयक का पूर्ण

समर्थन करता हूं। परन्तु मंत्री महोदय यह बात ध्यान में रखें कि इससे हथकरघा उद्योग को कोई हानि न हो।

Shri K.M. 'Madhukar' (Kesaria) : This Bill sought to provide for the repeal of 1953 enactment, because the cloth production figures show that the mill owners have violated the enactment and as a result, the production of Dhoties went down considerably. The controlled cloth does not reach the weaker sections of the society. Therefore the Minister should give some thought to devise some measures to see that it reaches the poorer sections of the community.

It was not known why the stock of NTC Cloth is piling up. It will bring disrepute to NTC. Attention should be paid to the keen competition among the private mills and NTC. The Government should take over the entire textile industry, because it is facing a severe crisis today.

The handloom industry need a good deal of encouragement. This industry is not being provided any facilities in the district of Champaran. Therefore sufficient attention should be paid to bring about its further development.

The Minister should ensure that after passing this legislation good-quality cloth and sarees are regularly available to poorer sections at cheaper price.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The mill-owners purchase Dhotis from Handloom weavers at lower rate and sold them at a much higher rate, after putting their trade-mark on them, and thus made a lot of profit. This malpractice should be checked.

The condition of handloom weavers in the country is very bad. Government should give them as much assistance as possible with a view to improving their lot.

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। 1949 से 1952 के बीच मिलों द्वारा बड़ी मात्रा में धोतियां बनाए जाने के कारण हथकरघा उद्योग को अत्यधिक हानि हो रही थी। इसलिए 1952 में सरकार को उसकी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ा। इससे हथकरघा उद्योग, मिलों की अधिक लाभप्रद स्थिति में आ गया। 1973 के पहुंचते-पहुंचते मिलों ने केवल 1250 लाख मीटर साड़ियां निर्मित कीं। इस प्रकार उपाय सफल रहा और अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई है। इसी लिए यह निरसनकारी विधेयक लाया गया है ।

हथकरघा उद्योग के हितों के प्रति हम जागरूक है। नियंत्रित कपड़े के उत्पादन से भी हमने हथकरघा का सहयोग लिया है। प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र होने के कारण हम इस ओर विशेष ध्यान दे रहे है। कुछ वस्तुएं हथकरघा के लिए ही निश्चित कर दी गयी है।

कहने का अर्थ यह है कि कानून का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब इसे और बनाए रखना आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय कपड़ा आयोग के उत्पादन में सुधार हुआ है। उसने लोक वस्त्र की एक योजना बनाई है। उसे हम लागत से कम पर बेच रहे है। वहां हम प्रबन्ध में कर्मचारियों का सहयोग भी ले रहे है। 105 मिलों में से 75 में हम उनका सहयोग ले रहे है।

राष्ट्रीय कपड़ा आयोग के अधिकतर बिक्री केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे है जिससे उन्हें उचित मूल्य पर कपड़ा मिल सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): अब आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को लिया जाए परन्तु यह कल चर्चा का पहला विषय नहीं होगा । हम पहले श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक को लेंगे । उसे पास करके राज्य सभा भेजना है । उसके बाद आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के कथनानुसार श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक को पहले ही लिया जाएगा ।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—(जारी)

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL (*Contd.*)

सभापति महोदय : अब हम आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह आशा की गई थी कि इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाएगी जिनसे लोगों में असंतोष व्याप्त है और उनके जीवन स्तर के बारे में चर्चा होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें केवल औपचारिक एवं तकनीकी मामलों को ही लिया गया है। 1955 के मूल अधिनियम में आवश्यक वस्तु की 13 श्रेणियां है लेकिन इस विधेयक में कुछ ही वस्तुओं को लिया गया हैं।

देश में खाद्यानों तथा मूंगफली की बहुत भारी फसल हुई है। ऐसी स्थिति में समुचित वितरण व्यवस्था को बनाने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने में क्या बाधा है।

औद्योगिक उत्पादन के बारे में उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया है कि औद्योगिक उत्पादन पर निगरानी रखी जायेगी। श्री पाई ने एक पेनल तैयार किया है और यह पेनल उत्पादन परियोजनाओं के उत्पादन आंकड़ों को एकत्र करेगा। महत्वपूर्ण बातों का अर्थ निकालने तथा उन्हें जानने और मूलभूत ढांचे या विपणन के क्षेत्र में पहले से ही अभिकृत कार्यों को संगठित करने के लिये एक सूत्री तैयार करेगा जिससे कि उत्पादन में वृद्धि की जाए। अतः सरकार की उत्पादन नीति का यह अन्त होता है। बड़ी विचित्र बात है कि आपात स्थिति के दौरान जहां सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है वहां गैर सरकारी क्षेत्र में तालाबदी और छटनी हो रही है। हमारे देश में एकाधिकार वादी उत्पादन घटाने के बाद मूल्य बढ़ा कर अपने मुनाफे में वृद्धि करने की नीति अपना रहे हैं। खेद है सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया है।

जहां तक मूंगफली, रूई तथा जूट के उत्पादन का संबंध है इनका भारी जमाव हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अगले वर्ष उत्पादन कम होगा क्योंकि वास्तविक उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये उन्हे कोई प्रेरणा और प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

जूट मिल मालिक जूट के उत्पादन, इसके उत्पादकों तथा इसकी विवणन व्यवस्था के साथ-साथ न्याय नहीं कर रहे है। वे जूट के सामान का मूल्य नहीं घटा रहे हैं। जबकि जूट का मूल्य घट गया है। इसके विपरीत परिष्कृत सामान के मूल्य कुछ सीमा तक बढ़ गए है। यही स्थिति निजी क्षेत्र के चीनी मिलों और कपास मिलों में व्याप्त है। अब समय आ गया है कि जबकि सरकार को कम से कम जूट कपास और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये जिससे इसकी स्थिति दृढ़ हो और सरकार का उत्पादन पर नियत्रण हो तथा उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रहे ताकि इन वस्तुओं का उचित वितरण हो और उनके मूल्य भी उचित ही रहे।

मंत्री महोदय का कहना है कि वितरण के मामले में वह असहाय हैं। आज जबकि देश में आपातस्थिति लागू है व्यापारी मौनसून देर से आने के कारण चोर बाजारी और जमाखोरी के हथकंडे अपना रहे है। लेकिन सरकार के पास उन पर नियंत्रण के लिये समुचित शक्तियां हैं फिर भी मंत्री महोदय इस बारे में शिकायत कर रहे है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं अब हम आधे घंटे की चर्चा वाले विषय को लेंगे।

आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

रोके गये महंगाई भत्ते की पहली किस्त की अदायगी

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : आधे घंटे की चर्चा का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका संबंध देश के लाखों वेतन भोगियों से है। सरकार ने मुद्रास्फीती को रोकने की दृष्टि से अनिवार्य जमा योजना शुरु की थी। दो वर्ष की अवधि के बाद यह जानकर खेद हुआ कि कर्मचारियों के वेतन में से मालिकों द्वारा काटी गई राशि, जिसे अधिकारियो के पास जमा कराना था बहुत से मामलों में जमा नहीं कराई गई है और करोड़ों रुपये की रशि वापिस नहीं की गई है। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है।

केवल गैर-सरकार क्षेत्र के नियोक्ता ही दोषी नहीं है बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी दोषी हैं। एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों विशेषतया भारत कोकिंग कोल को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा खाते में 4.1 करोड़ रूपये की राशि जमा करानी है।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : आप मेरा भाषण पूरी तरह पढ़िये। आपको पता लगेगा कि इसका एक भाग जमा कराया जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार ने संसद् से ही अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम पास कराया है और इसके अंतर्गत यह योजना बनाई है। मुद्रास्फीती को रोकने के बहाने मजदूर का वेतन और मंहगाई भत्ता रोका गया है। लेकिन अब पता चला है कि नियोक्ताओ ने यह राशि काट कर इसे जमा नहीं कराया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह योजना एक ऐसा तरीका बन गई है जिससे मजदूरों की जेब से रूपया निकाल कर नियोक्ताओं की जेबों में भर दिया गया है।

मेरे 2 मई, 1975 के प्रश्न संख्या 8369 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था अनिवार्य जमा योजना में कर्मचारियो को उनकी जमा राशि के बारे में पास बुक देने की व्यवस्था नहीं है लेकिन बाद के वर्ष के अन्त में प्रत्येक कर्मचारी को लेखो का विवरण दिया जायेगा अतः पहला लेखा विवरण कर्मचारियों को 6 जुलाई, 1975 को दिया जाना था और अब 6 जुलाई; 1975 भी गुजर गया है। इस वर्ष 26 मार्च को फिर मैंने अनिवार्य जमा में एकत्र हुइ राशि के बारे में प्रश्न किया था उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार द्वारा जिन अधिाकरियो को मनोनीत किया गया है वे नियोक्तावार खाता रखने के लिये जिम्मेदार है। उन्होंने नियोक्तावार खाते नहीं रखे है। नियोक्ताओं को तो प्रत्येक कर्मचारी का अगल अलग खाता बनाना है। अतः यह विस्तृत जानकारी इसलिये नहीं दी जा सकी क्योंकि इसे अगल-अगल वर्गीकृत नहीं किया गया है। इस तरह सरकार ने इस कार्य की अपनी सारी जिम्मेदारी नियोक्ताओं पर डाल दी है। इसका क्या परिणाम निकला है? कर्मचारियों को अब अचानक यह पता चला है कि नियोजकों ने उनका रुपया हड़प कर लिया है। अतः में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में ऐसे दोषी उपक्रमों को एक सूची कल तक सभा पटल पर रखी जायें। हम दोषी पार्टियो के नाम जानना चाहते है। हमें पता लगाना चहिये कि उन्हें कितना रुपया काटना था और कितना जमा कराना था। और उन्होंने वास्तव में कितना रुपया जमा किया है और उन्होंने जुलाई तक कितना रुपया अदा कर दिया है।

मैं जानना चाहता हूं कि जब रुपया जमा नहीं किया जा रहा था तो ये मनोनीत अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या सरकार ने इनसे यह पता लगाने का कष्ट किया कि क्या यह योजना ठीक चलरही है तथा रुपया जमा किया जा रहा है यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

यह योजना आरंम्भ में केवल दो वर्ष के लिये लागू की गई थी। अब दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। अतः अब यह योजना समाप्त की जानी चाहिये। इसे और एक वर्ष के लिये नहीं बढ़ाया जाना चाहिये जैसाकि अब किया गया है। जो लोग रुपया वापस लेना चाहते हैं उनका रुपया वापिस दिलाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। सरकार को यह नहीं कहना चाहिये कि वह नियोक्ताओं से रुपया वसूल करेगी और फिर उसका भुगतान करेगी। सरकार को इस धन का भुगतान करना होगा और फिर नियोक्ताओं से रुपया वसूल करने के लिये कार्यवाही करनी होगी। त्यौहारों के आने से पहले ही कर्मचारियों को रुपया देने के लिये प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्यों ने इस विषय पर जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं लेकिन कुछ यह गलतफहमी है कि नियोक्ताओं ने पैसे का गबन कर लिया है और यह योजना पूरी तरह असफल हुई है तथा लेखों का हिसाब ठीक से नहीं रखा गया। मैं आप को इस संबंध में आंकड़े दूंगा। मामला बिल्कुल सीधा है दो योजनायें हैं जहां तक अतिरिक्त वेतन का संबंध है यह एक वर्ष के लिये है और फिर हम इसे नहीं बढ़ायेंगे जहां तक 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का संबंध है मूलतः यह दो वर्ष तक है और फिर हम ने इसे अब एक वर्ष के लिये बढ़ाया है। अतः यह अवधि तीन वर्ष की हो गई है।

जहां तक अतिरिक्त वेतन के भुगतान का संबंध है। हम ने इस की अदायगी पिछले वर्ष आरम्भ कर दी थी और 27.5 करोड़ रुपया जो देय था अदा कर दिया है। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि यह राशि वापस नहीं की गई है। जहां तक अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान का संबंध है इस की पहली किश्त की 6 जुलाई को अदायगी की जानी थी।

हमें यह पता चला है कि कुछ नियोजक रोके गये मंहगाई भत्ते की राशि को जमा नहीं करा रहे हैं और एक वर्ष में हम ने 58 या 59 व्यक्तियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही कर दी है। 76,500 में से कुल 388 व्यक्ति दोषी हैं। इन मामलों में 7.34 करोड़ रुपया अंतर्ग्रस्त है। इस में से कोल इंण्डिया लिमिटेड को 4.1 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इस महीने की 23 तारीख को उन्होंने 4 करोड़ रुपया जमा कराया है। अतः शेष 3 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जानी है। वसूल की जाने वाली शेष 3 करोड़ रुपय की राशि वसूल की जानी है। यदि उन नियोक्ताओं ने पैसे का गबन किया है तो सरकार उन से निपट लेगी लेकिन कर्मचारियों को उन की राशि की अदायगी करना सरकार की नैतिक ही नहीं अपितु कानूनी जिम्मेदारी भी है। और हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। कर्मचारियों के ब्याज खोने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी राशि पूरी तरह सुरक्षित है।

388 नियोक्ताओं द्वारा राशि जमा कराने में दोष किए जाने के अतिरिक्त जिसे विश्वासघात कहा जा सकता है, दुर्विनियोग तथा अन्य बहुत से अपराध हैं। बहुत से उपक्रम ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता नहीं खोला है। यह मामले तेजी से निपटायें जा रहे हैं जिससे प्रत्येक

कर्मचारी को यह पता चल जाये कि उस का कितना रुपया जमा हो गया है और कितना देय है।

13 अगस्त तक मूल के रूप में 16.66 करोड रुपया ब्याज के साथ कर्मचारियों को दे दिया गया है। फिर भी इस में कुछ अधिक समय लग गया है। अब यह मामला संसद में भी उठाया गया है। अतः आशा है सभी संबंधित व्यक्ति इसे तेजी से निपटायेंगे। फिर भी भुगतान की यह प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी हो जानी चाहिये।

इस प्रश्न के संबंध में कि हम दोषी व्यक्तियों से यह राशि कैसे वसूल करेंगे; अधिनियम में उपबंध किया गया है कि यह राशि तुरन्त मुकदमा चला कर लगान के रूप में वसूल की जायेगी और बकाया या जमा न कराई गई राशि पर 25 प्रतिशत की दर से दण्डिक ब्याज लगाया जायेगा। यह अभियान शुरू कर दिया है। मुकदमा चलाने के अतिरिक्त बहुत तेजी से वसूली की जाएगी। भविष्य निधि आयुक्त को 388 नियोक्ताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सामान्य शक्ति दे दी है।

मैं यह आश्वासन देता हूं कि किसी मजदूर को नियोक्ता या हमारे ही अधिकारियों की गलती के कारण हानि नहीं उठानी पड़ेगी। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का यथाशीघ्र भुगतान किया जायेगा। हम 388 दोषी नियोक्ताओं की सूची अवश्य ही सभा पटल पर रखेगें। अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह एक ऐसी भावना का प्रसार करने का यत्न न करें कि यह सारा मामला एक बडा धोखा है मंहगाई भत्ते के अंतर्गत 1047 रुपया एकत्र हुआ उसमें से केवल 3 करोड़ रुपये गायब है। अतः हमें इस बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहिये।

यदि नियोक्ता अपनी राशि को 5 वर्ष तक और जमा रहने देंगें तो हम उस पर 12.5 प्रतिशत ब्याज देंगे। यह गारंटी सरकार अपनी तरफ से दे रही है। यह नियोक्ताओं की ओर से दी जाने वाली गारंटी नहीं है।

माननीय सदस्य ने कहा है इस राशि के द्वारा मुद्रास्फीति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। यदि मांग अधिक होगी और पूर्ति कम तो स्वभाविक है कि मुद्रा स्फीति बढ़ेगी इसलिये हम मुद्रा की सप्लाई को कम करना चाहते हैं।

जहां तक नियोजकों सहित अन्य कर दाताओं का प्रश्न है उन के बारे में तो माननीय सदस्य को मालूम ही है कि उन के लिये गत दो वर्षों से अनिवार्य जमा की योजना चल रही है। अब हम ने अनिवार्य जमा करवाये जाने वाली धनराशि में वृद्धि कर दी है तथा अब लाभ का 5 प्रतिशत भाग पांच वर्ष के लिये अनिवार्य जमा के रूप में रखना पडेगा। अतः नियमित क्षेत्र या अन्य ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा नहीं गया है।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त सम्भवतः यही समझते हैं कि मानों श्रमिकों के हित की चिंता उन्हें ही अत्यधिक रहती है। मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि सरकार भी अपने दायित्व के प्रति जागरूप रहती है तथा उसे भी समाज के कमजोर वर्ग की उतनी ही अधिक चिंता रहती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आधे घंटे की चर्चा का एक लाभ यह हुआ है कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 4 करोड रुपये की धनराशि का दोषी पाया गया। दोषी पाये जाने वाले 388 नियोजकों में से केवल 58

के विरुद्ध ही कार्यवाही की गई। अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति अब दी जा रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्यभारी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो कि इस के लिये उत्तरदायी हैं? 93 करोड़ रुपये की धनराशि वापिस की जानी थी जिस में से केवल 16 करोड़ रुपये ही वापिस किये गये हैं। अतः 77 करोड़ रुपये अभी वापिस किये जाने बाकी हैं। क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि 31 अक्तूबर 1976 तक इसका लेखा ठीक हो जायेगा?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि एक संयुक्त मंत्रणा समिति है। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जमा की गई धनराशि के लिये रसीद दी जायेगी। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि ऐसी रसीद सभी विभागों के कर्मचारियों को दी जायेगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इन का तात्पर्य है जमा राशि का लेखा दिया जाये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : जो आंकडे प्रस्तुत किये गये हैं उन के अनुसार अब तक 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि जमा हो गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं श्रमिकों को उन के क्षेत्र में कुछ हक देने के उद्देश्य से क्या आप यह सुनिश्चित करने की लिये कोई कार्यवाही करेंगे कि जब कोई श्रमिक सेवा निवृत हो तो उस की संतान को उस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिये कुछ प्राथमिकता प्रदान की जाये?

सभापति महोदय : श्रमिकों के क्षेत्रों का प्रश्न भला इस चर्चा में कहां से आ गया? आप यह मामला किसी अन्य अवसर पर उठाइयेगा।

डा० रानेन सेन (बारासाट) : कल माननीय मंत्री ने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था। वह वक्तव्य और इस सभा में आज दिया गया वक्तव्य भिन्न-भिन्न हैं। उस वक्तव्य में कहा गया है :

> '13 अगस्त 1976 तक 20.66 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान मूलधन के रूप में किया गया है।'

आज उन का कहना है कि मंहगाई भत्ते के 16.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। राज्य सभा में कल सप्लाई की गई सूची में कुछ बड़े-बड़े नियोजकों के नामों का उल्लेख किया गया है। साहू जैन ग्रुप, जयपुर मिनरल डिवेलपमेंट सिंडीकेट, जयपुर उद्योग; कानपुर जूट उद्योग, अलोक जैन ग्रुप; बजोरिया; आर० एन० गोयंका बर्ड़ ग्रुप आफ जूट मिल्स आदि ने उच्च न्यायालय में अपील की हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमा चलाते समय इनमें से किसी को आंसुका के विरुद्ध गिरफ्तार करने का विचार किया है? मेरा यह सुझाव है कि कड़ी सजा दी जानी आवश्यक है धन न देकर वे उच्च न्यायालय में जा रहे है और उच्च न्यायालय उन्हें रोकादेश दे देती है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पहला प्रश्न सरकारी क्षेत्र में दोषी व्यक्तियों के बारे में है। हम इस की जांच करेंगे और पता लगायेंगे कि क्या इस में कहीं कदाचार है। यदि ऐसा हुआ तो हम कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेंगे हमें पता लगाना होगा कि किन परिस्थितियों में अधिकारियों ने गलत काम किया है।

जहां तक खातों के आंकलन का संबंध है, कुल खातों की संख्या लगभग 76,500 है। उन 388 नियोजकों के अलावा जिन्होंने राशि जमा नहीं की है; लगभग 10,000 नियोजकों ने खाता नहीं बताया है। अतः हमें उन से कहना होगा और उनसे खाते प्राप्त करने होंगे। हम प्रत्येक राज्य में दल भेजेगें और खातों को पूरा करेंगे। इसी कारण मैं 2 महीने का समय मांग रहा हूं ताकि 31 अक्तूबर तक यह पूरा हो सके। हम प्रयास करेंगे कि इसे यथाशीघ्र पूरा कर सकें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ लोगों ने मामले में रोकादेश प्राप्त कर लिये हैं। यह बड़ी अजीब बात है इन मामलों में क्या किया जाना चाहिये हम इस पर विचार करेंगे। जिन मामलों में उच्च न्यायालय ने रोकादेश दिया है उन में यदि मैं आसूंका के अंतर्गत कार्यवाही करता हूं तो हो सकता है कि इस से न्यायालय के अवमान का मामला खड़ा हो जाये यह किसी अन्य कारण के लिये होना चाहिये।

दूसरों को सबक सिखाने के लिये कुछ कार्यवाही की जायेगी। परन्तु मैं इस संबंध में आश्वासन नहीं दे रहा हूं, यह सुझाव विचारणीय है।

तत्पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 26 अगस्त, 1976 /4 भाद्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, August 26, 1976[Bhadra 4, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० न० दि० एल० एस० 3—1742 एल० एस०—5-10-76—200